खण्ड-290, अंक-10
मंगलवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1893
(10 अगस्त, 1971 ई0)

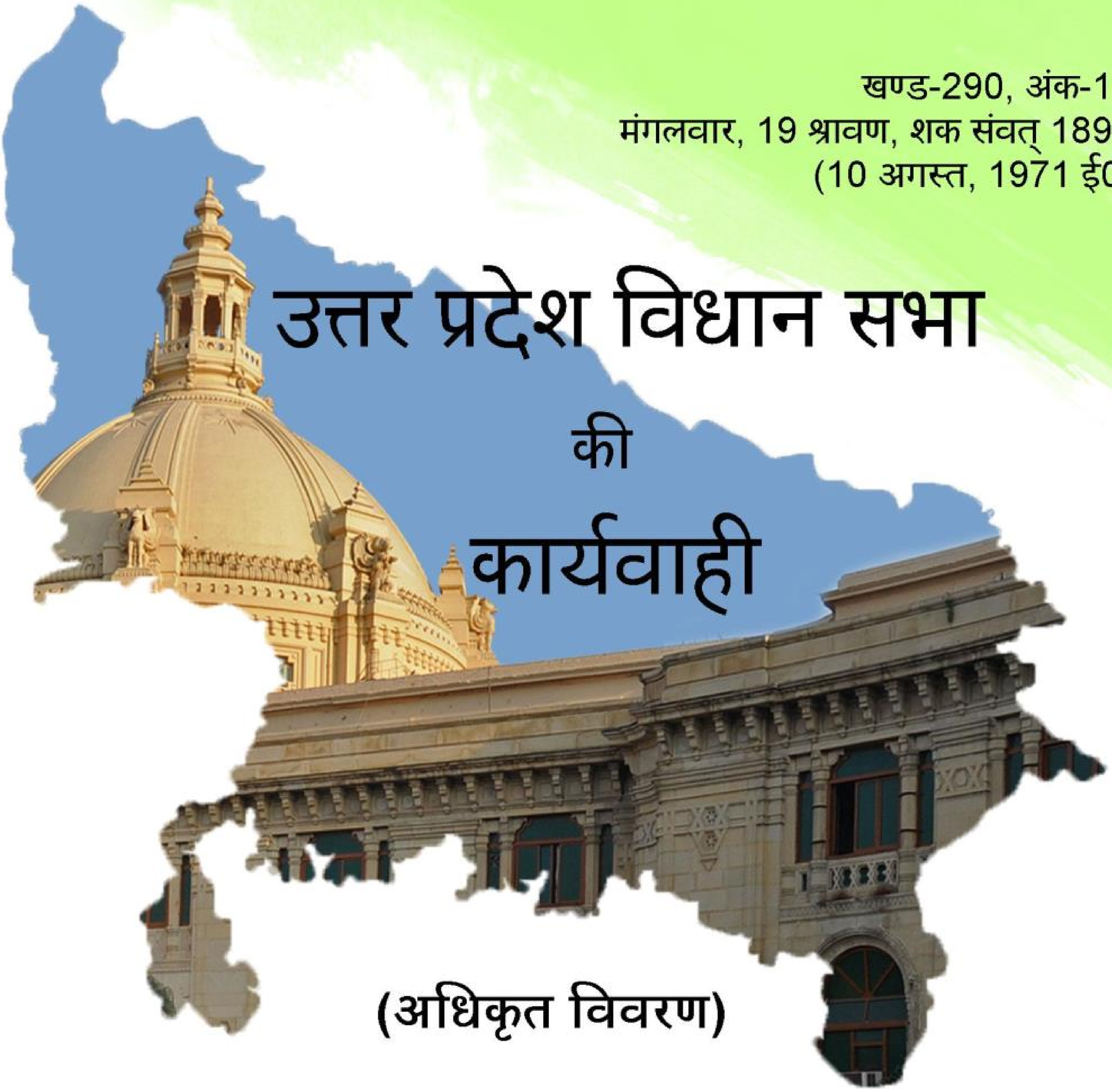

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११६७–११७१
प्रश्नोत्तर	११७१–१२००
सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना	१२००–१२०१
शेख मुजीबुर्रहमान पर पाकिस्तान शासन द्वारा मुकदमा चलाने की कार्यवाही रोकने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग ..	१२०१–१२०२
बंगला देश के समर्थन में हुई रैली में मंत्रियों और विधायकों के भाग लेने पर आपत्ति	१२०२–१२०४
विविध विषय (जारी)	१२०४–१२०५
सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में न होने की आपत्ति पर निर्णय की जानकारी	१२०६
सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम तथा रामकुमार दीक्षित द्वारा दी गयी तथा कुछ अन्य विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के संबंध में जानकारी ..	१२०६–१२०८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	१२०८–१२०९
जनसंघ दल के दिल्ली के बसों के परमिट रद्द करके कांग्रेस को देने के सम्बन्ध में शिकायत (जारी)	१२०९–१२१०
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी ..	१२१०–१२१४
जनसंघ दल के दिल्ली के बसों के परमिट रद्द कर के कांग्रेस को देने के सम्बन्ध में शिकायत	१२१४–१२१५
बिजली कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य	१२१५–१२२०
विविध विषय	१२२०–१२२१
मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम शोरम में हरिजन बस्ती जला दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१२२१–१२२५
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टर मीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ (विचारोपरान्त पारित)	१२२५–१२८४
नियम ५६ तथा ५१ की सूचनाएं	१२८४–१२८७
नत्थी	१२८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त वाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथसिंह, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम-प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंहगिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहनसिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह "कृष्ण", श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त बैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री,
नित्यानन्द स्वामी श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगीप्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहन, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामबिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रावअब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायणसिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री,
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शैलनाथ सिंह, चौधरी
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री

सियादुलारी श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंस)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, बेगम
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिमी)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० अगस्त, १९७१

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

कृषि देयों की वसूली का स्थगन

**१—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मन्त्री की स्पष्ट घोषणा तथा आपके आश्वासन के बाद भी कानपुर जनपद में राजस्व एवं सभी प्रकार के ऋणों की वसूली सख्ती से हो रही है ?

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। भू-राजस्व, सिंचाई देय, तकावी तथा सभी कृषीय देयों की वसूली पूरे कानपुर जिले में स्थगित कर दी गई है।

श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या सरकार बतलायेगी कि इस प्रकार की वसूली के स्थगन आदेश कब दिये गये और जनपद में उन पर कब पालन हुआ ?

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन् कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर)

*राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

पहले तो ५ जून को जनरल आर्डर्स गये थे कि जहां-जहां पर ५० फीसदी से अधिक नुकसान हुआ है वहां पर स्थगित कर दी जाय। इसके बाद ८ जुलाई को पुनः चार तहसीलों को लिख कर आदेश गये कि वहां पर पूरी तरह से स्थगित की जाय वसूली। फिर १८ जुलाई को लिखकर भेजा गया कि सारे जिले में वसूली स्थगित कर दी जाय।

श्री रामकुमार दीक्षित---

इन आदेशों का पालन जनपद में कब हुआ ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मेरी सूचना के अनुसार जैसे-जैसे ये आदेश जाते रहे वैसे वैसे उनका पालन होता गया। यदि पालन नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य बतलायेंगे और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

सरकार बतलायेगी कि चकबन्दी का खर्चा वसूल हो रहा है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

चकबन्दी का खर्चा स्थगित नहीं किया गया है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

राजस्व विभाग पूर्ण कलेक्शन करता है और सरकार को यह ज्ञात होगा कि उद्योग विभाग वसूली करा रहा है ? यदि हां, तो क्यों।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, यहां से आदेश हो चुके हैं और लिख दिया गया है कि जितने भी ऋण या देय जो कृषि से सम्बन्धित हैं और राजस्व विभाग के माध्यम से वसूल होते हैं उनकी वसूली रोक दी जाय। जहां तक मेरी जानकारी है उद्योग विभाग का कर्जा कृषि से सम्बन्धित नहीं है अतः वह इसमें नहीं आता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बावजूद आपके हुक्म के कि मुल्तवी की जाय, उस हुक्म का ठीक तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, मुझे इसकी जानकारी यह है कि कुछ माननीय सदस्यों जिनमें कि एक माननीय सदस्य रामकुमार शास्त्री जी भी हैं, ने मुझसे कहा है और इसे मेरे नोटिस में लाये हैं कि उनका पालन नहीं हो रहा है और मैंने दुबारा आदेश भेजने के लिये लिखा है कि 'दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली ओबेड'।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि जनपद के राजस्व एवं सभी प्रकार के ऋणों की वसूली सख्ती से हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या "सभी प्रकार" में उद्योग वाले ऋण नहीं आते हैं। मंत्री जी ने अभी कहा है अपने जवाब में कि वसूली स्थगित हो चुकी है। तो यह कौन सी वसूली स्थगित हो चुकी है, उसमें उद्योग भी है अथवा नहीं और किस प्रकार के ऋण उसमें आते हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि हमने लिखा है कि जितने ऋणों को आप कृषि से सम्बन्धित कर सकते हैं उनकी वसूलियाबी मुल्तवी कर दी जाय। उद्योग से सम्बन्धित बहुत से कर्जे ऐसे हैं जोकि कृषि से सम्बन्धित नहीं हैं अतः उनकी वसूलियाबी हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पिछली बार बाढ़ के ऊपर हुई बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि माननीय राजस्व मन्त्री इस बात का आश्वासन दें कि वे सरकार से इस बात का आग्रह करेंगे कि बाढ़-पीड़ित परिवारों के बच्चों से ली जाने वाली फीस उनसे न ली जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, अभी तक मुझे मालूम नहीं है आदेश चले गये हैं अथवा नहीं, किन्तु सरकार का इरादा उनको माफ करने का है।

श्री रामकुमार दीक्षित--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे, मेरी जानकारी को सही मानकर कि आपके आदेश जाने के बावजूद भी जिलाधिकारियों और तहसीलदारों ने अमीनों को लिखित आदेश देकर वसूलियाबी कराई है, तो इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूंगा यदि वे मुझे कुछ इन्स्टान्सेज लिखकर देंगे ताकि मुझे सहूलियत हो और मैं यह पूछ सकूं कि वैसा क्यों किया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब मन्त्री जी ने सदन में कहा है कि फ्लड की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें सरकारी मुतालिवात की वसूली रोक दी जाय तो फिर जो चकबन्दी की वसूली है और जोकि सब से ज्यादा भी है और जो १४ रुपये एकड़ पड़ता है उसकी वसूलियाबी रोकने में माननीय मंत्री जी को क्या परेशानी हो रही है। लगान तो सवा ६ प्रतिशत माफ कर दिया और ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो दे सकते हैं। तो चकबन्दी की वसूलियाबी को रोकने में मंत्री जी को क्या परेशानी महसूस हो रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

श्रीमन्, यह तो प्रश्न नहीं है। यह तो दूसरा ही प्रश्न है। यहां प्रश्न यह है कि जितने ऋण कृषि से सम्बन्धित हैं उनको हमने स्थगित किया हुआ है। इसलिये यदि इन आदेशों का पालन नहीं हुआ है तो उसे हम देख लेंगे लेकिन दूसरे देय जो रोके गये हैं उनको हम वसूल करेंगे या नहीं उसे मैं आज बताने में असमर्थ हूं।

प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

**२--श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्लानिंग विभाग के लगभग ५५३ कर्मचारी जिनकी सेवा की अवधि ८ या १२ साल तक की है, उनकी सेवा ३१ जुलाई, १९७१ से समाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की ३१ जुलाई, १९७१ से सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।

श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार की ऐसी योजना है कि ३१ जुलाई तक सेवाएं समाप्त की जा रही हैं? अगर ३१ जुलाई तक नहीं समाप्त की जा रही हैं तो क्या कोई तिथि उसके बाद निश्चित हुई है जब सेवाएं समाप्त की जा रही हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इस समय उनकी सेवाएं समाप्त करने की कोई योजना नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

हर विकास खंड में पंचायत लिपिकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है या उनको आफिस में अटैच करके हटाने की योजना है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जैसा मैंने अभी निवेदन किया ये सेवायें समाप्त करने की कोई योजना नहीं है।

धनारी पट्टी, जिला उत्तरकाशी के ग्राम माजफ के समीप पहाड़ से जलधारा फूटने से भूमि का नष्ट होना

**३—श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तर काशी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को विदित है कि इसी वर्ष जिला उत्तरकाशी का धनारी पट्टी के माजफ गांव के समीप एक पहाड़ से अकस्मात भयंकर जलधारा फूट पड़ने से उक्त पहाड़ के तले स्थित अस्तल ग्राम की कृषि भूमि नष्ट हो गई और अस्तल ग्राम का अस्तित्व आपद-ग्रस्त है? यदि हां, तो अस्तल ग्राम की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है और भविष्य के लिये क्या-क्या योजनायें हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस वर्ष धनारी पट्टी, जिला उत्तर काशी के ग्राम माजफ के निकट पहाड़ से भयंकर जल धारा फूट पड़ने की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

अध्यापकों के वेतन से बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर (सी०पी०टेक्स) काटा जाना

**४—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री राम कुमार दीक्षित—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि कानपुर में जिला परिषद् के अल्प-वेतन भोगी अध्यापकों के वेतन से सम्पत्ति एवं विभव कर (सी० पी० टैक्स) के नाम पर जबरन रुपया काट लिया जाता है और इसी से अध्यापकों का ३ माह से वेतन रुका पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों की इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं। जिला परिषद्, कानपुर द्वारा अपने अध्यापकों के वेतन से केवल सन् १९७१ में एक वर्ष के बकाया सम्पत्ति एवं विभव कर की धनराशि की वसूली उनके माह फरवरी, १९७१

के वेतन से की गई है । परिषद् के कुल ४,७५६ अध्यापकों में से केवल ९४६ अध्यापकों ने इस वसूली के विरोध में माह फरवरी, १९७१ का वेतन नहीं लिया है । अगले महीनों का वेतन सभी अध्यापक ले रहे हैं । कर की वसूली करना अनुचित नहीं कहा जा सकता इसलिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला परिषद् में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका वेतन अध्यापकों से कई गुना अधिक है और उन लोगों से संपत्ति एवं विभव कर वसूल नहीं होता है ? क्या यह अध्यापकों के साथ अन्यायपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यही है कि क्या उनका ज्यादा है वेतन ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

दो सौ रुपया वार्षिक आय वाले जिला परिषदों के कर्मचारियों से संपत्ति और विभव कर समाप्त करने की व्यवस्था कानपुर जिला परिषद् ने की है । इसके अलावा और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा रही है, इसकी सूचना शासन को नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अध्यापकों का मूल वेतन क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

अध्यापकों का वेतन कितना है, यह अलग प्रश्न है । यह प्रश्न तो संपत्ति एवं विभव कर का था और उसके बारे में मैंने निवेदन किया कि २०० रुपया वार्षिक से अधिक वालों से यह लिया जाता है ।

श्री रामकुमार दीक्षित---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन नियमों के अन्तर्गत तथा किस के आदेश से यह सी० पी० टैक्स अध्यापकों के वेतन से काटा जा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ११४ के अन्तर्गत नियमों के अनुसार यह कर लगाया जाता है और १९२५ में जिला बोर्ड/कानपुर ने अपने यहां नियम बनाकर इसको लागू कर दिया था ।

श्री रामकुमार दीक्षित---

मैंने यह पूछा था कि किस नियम के अन्तर्गत यह टैक्स लगाया जाता है और किसके आदेश से उनके वेतन से इसकी कटौती हुई ? वेतन से नहीं काटा जा सकता है । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी---

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

सवाल करें, व्यवस्था क्या है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मंत्री जी ने सूचना दी उनको नहीं मालूम कि अध्यापकों को कितना वेतन मिलता है। उन्होंने बताया कि जिनको २०० रुपये मासिक वेतन मिलता है...

श्री उपाध्यक्ष—

२०० रुपये मासिक नहीं बल्कि २०० रुपये वार्षिक।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद् में कितने कर्मचारी हैं जिनको २०० रुपये वार्षिक आय होती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल जिला परिषद् से पूछा जा सकता है। जहां तक नीति का संबंध है उसी हद तक मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सी० पी० टैक्स है वह शहरों में ऊंचे वर्ग के लोगों पर है और यह मामूली लोगों पर टैक्स लग रहा है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कम वेतन वालों पर से इसे समाप्त कर दिया जाय ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है कि देहात में २०० रुपये या अधिक आय वाले लोगों पर से इसको माफ कर दिया जाय।

श्री रामकुमार दीक्षित—

हमने स्पष्ट प्रश्न किया था कि जिन नियमों में उद्धरण दिया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कैसे टैक्स वसूल किया जाय। टैक्स लगाया जा सकता है। इस वर्ष अध्यापकों के वेतन से कटौती किस नियम के अनुसार की गई ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

मान्यवर, १६ जुलाई, १९४५ को एक राजाज्ञा निकाली गई उसके द्वारा जिला परिषद् के अध्यापकों से यह कर वसूल किया जाता है वेतन को चल सम्पत्ति माना गया है। इस वेतन को कुर्क भी किया जा सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला परिषद् ऐक्ट बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट निरस्त किया गया अथवा नहीं ? यदि किया गया तो फिर यह टैक्स कैसे लग रहा है। यदि नहीं किया गया तो कौन-कौन सी धारायें नहीं की गईं।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, संविधान के बनने से पूर्व २६ जिला परिषद् ऐसे हैं जिन्होंने सी० पी० टैक्स बहुत पहले से लगा दिया था और वे अब तक वसूल कर रहे हैं। बाकी जिला परिषदों में यह टैक्स नहीं है।

श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन अध्यापकों के वेतन से कटौती की गयी है, उनको कोई रसीद भी दी गयी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसको स्वीकार न करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे सकते, जिला परिषद् दे सकता है ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् आटोनामस बाडी है वह कितना टैक्स लगाते हैं और किस तरह से लगाते हैं उसके बारे में तो कोई सवाल हो नहीं सकता ?

श्री उपाध्यक्ष—

जिला परिषद् का कोई काम जो सरकार की नीति से असंगत हो, उसी के बारे में यह सवाल किया जा सकता है, ब्योरे की बातें यहां नहीं पूछी जा सकतीं ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्रीमन्, इस समय कानपुर की जिला परिषद् भंग है और उसके तमाम अधिकार जिलाधीश और जिला अधिकारियों को हैं। तो क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर कि यह सी० पी० टैक्स केवल अध्यापकों से लिया जाता है और उतना ही वेतन पाने वाले दूसरे लोगों से नहीं लिया जाता है और यह भी सही है कि अध्यापकों को बहुत कम वेतन मिलता है और वह भी अनिश्चित समय से मिलता है । अतः चूंकि यह समाजवाद के सिद्धान्तों के विरुद्ध है इसलिये क्या मंत्रीजी उन गरीब अध्यापकों के साथ न्याय करने के लिये इस टैक्स को माफ करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन द्वारा एलाट किये गये ट्रेक्टरों को मेक एवं संख्या

*१—श्री रियासत हुसैन तथा श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७१ में एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा किस-किस मेक के कितने-कितने ट्रैक्टर एलाट किये गये ? क्या कृषि मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि कि एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में ३१ दिसम्बर, १९७१ तक किस-किस मेक के कितने-कितने ट्रैक्टर आने की सम्भावना है ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

वर्ष १९७१ में एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा आवंटित ट्रैक्टरों का मेक एवं संख्या निम्न प्रकार है :

मेक	संख्या
जीटर ५५११	१६
बायलरस	६५
हमानियन यूनिवर्सल ५००	२२
हमानियन यूनिवर्सल ६५०	२३८
यूरिसस सी, ३३५	२००

मेक	संख्या
यूरिसस सी, ३२८	२५८
फोर्ड, ३०००	८१
मैसी फरग्यूसन (१३५)	७५
आई० एम० टी० ५५५	५०
इन्टरनेशनल बी०, २७६	७५
टी०, २५ रशियन	४५१
जीटर २०११	६०

३१ दिसम्बर, १९७१ तक निगम में जिन ट्रैक्टरों के आने की सम्भावना है उनके मेक और संख्या निम्न प्रकार है :

मैसी फरग्यूसन (१३५)	७५
आई० एम० टी० ५५५	५०
इन्टरनेशनल (बी०, २७६)	७५
जीटर २०११	२००
फोर्ड ३०००	२३८
टी०, २५	१००

श्री रियासत हुसैन---

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें मेरी आपत्ति यह है कि मेरा जो ओरीजिनल सवाल था उसमें तीन बातें थीं---(१) कितने-कितने ट्रैक्टर आये, (२) किस-किस को आबंटित किये गये (३) जिन लोगों को आबंटित किये गये उनकी डेट आफ रजिस्ट्रेशन क्या थी ? मेरा सवाल २९(४) के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था और २७ तारीख को मुझे यह नोटिस मिल गया कि मेरा प्रश्न १० तारीख के लिये नम्बर १ पर रख दिया गया है। लेकिन आज के ऐजेन्डे में जो मेरा सवाल छपा है वह बिलकुल ही दूसरे ढंग से छाप दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका सवाल बहुत ब्योरे का था इसलिये उसको विभाग में ठीक रूप दे दिया गया।

श्री रियासत हुसैन---

अगर मेरा सवाल ब्योरे का था तो मंत्री जी यह उत्तर दे सकते थे कि यह सवाल बहुत ब्योरे का है, उसके लिये कुछ और वक्त चाहिये क्योंकि उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन मेरा प्रश्न आपके द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद मेरे सवाल को एजेन्डे में दूसरे ही तरीके से छाप दिया गया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि डिपार्टमेंट के आदमी कल आपके पास आये थे और उन्होंने आपसे यह कहा था कि यह सवाल बहुत बड़ा है, इसका उत्तर नहीं दे पायेंगे इसलिये इसको बदल दिया जाय, इसलिये मेरे सवाल को बदला गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

पूरे सवाल की जो एक मोटी फाइल है वह भी मुझे दिखायी गयी, लेकिन इतनी मोटी फाइल को सदन के समक्ष रखा जायगा और इतने ब्योरे की सूचना प्रश्न के अन्तर्गत आ सकती है या नहीं प्रश्न तो यह है ?

श्री रियासत हुसैन---

इसकी व्यवस्था यही रही है कि पूरा सवाल आपकी मेज पर आ जाय और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

जिस ब्योरे की जानकारी आपने चाही उसी लिये तो इतना ब्योरा दे दिया गया। अगर आपको एतराज है तो सम्पूर्ण सवाल निरस्त कर दिया जाय, हम आगे बढ़ते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

सन् '६७ में कितने दिये, कितने रजिस्टर हुये, सन् '६८ में कितने दिये, कितने रजिस्टर हुये.....

श्री उपाध्यक्ष---

तो फिर अब हम आगे चलते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

मुझे देखने में आ रहा है कि आपके महकमें में ऐडमिनिस्ट्रशन का दखल हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय इतना न खर्च हो इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारी चीजों की जानकारी मुझसे ले लें।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को आधार मानकर कि सन् १९६७ की जितनी भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन्स थीं वह सब जला डाली गयीं यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७ में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, उनमें से कितनों को मिला, सन् १९६८ में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, उनमें से कितनों को मिला और सन् १९६९ में कितने रजिस्ट्रेशन हुए और उनमें से कितनों को मिला?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

इनके जलाने की सूचना तो सरकार को नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उसकी जानकारी करा दी जायेगी।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)---

जो ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट हुए सन् १९६७ से आज तक वह किन जिलों को कितने दिये गये?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

देहरादून---२१, सहारनपुर---१८२, मुजफ्फरनगर---४११, मेरठ---३४८, बुलन्दशहर---१७३, आगरा---९१, मथुरा---१४४, मैनपुरी---३०, एटा---३२, अलीगढ़---७४, बरेली---७४, बिजनौर---८०, बदायूं---८८, पीलीभीत---४२, शाहजहांपुर---४४, मुरादाबाद १८२, रामपुर---५५, नैनीताल---१२७, इलाहाबाद---४६, फतेहपुर---२०, कानपुर---५२, इटावा---८७, फर्रुखाबाद---८६, झांसी---४८, जालौन---९०, हमीरपुर---३४, बांदा---१९, गोरखपुर---७४, बस्ती---५६, आजमगढ़---२६, देवरिया---७६, वाराणसी---७३, जौनपुर---२४, मिर्जापुर---३८, गाजीपुर---२७, बलिया---२९,

[श्री श्यामसूरत उपाध्याय]

फैजाबाद---३८, गोंडा---५४, बहराइच---२५, बाराबंकी---७७, सुल्तानपुर---२४, प्रतापगढ़---१९, लखनऊ---५७, हरदोई---४६, लखीमपुर-खीरी---९४, उन्नाव---३९, राय बरेली---२५, सीतापुर---६५ । मान्यवर जब से निगम की स्थापना हुई है तब से अब तक के ये फीगर्स हैं ।

श्री त्रिवेणीराय---

क्या यह सही है कि इन ट्रैक्टर्स के आवंटन में पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया गया है ? यदि हां, तो क्या कृषि मन्त्री जी जो पिछड़े क्षेत्र प्रदेश के हैं वहां के कृषकों को भी ट्रैक्टर्स दिलाने की कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

किसी पक्षपात की तो इत्तला नहीं है लेकिन ट्रैक्टर्स जहां नहीं दिये गये हैं या जहां ज्यादा दिये गये हैं इसका ख्याल न करके अब नयी पद्धति को अपनाया गया है और अब यह आवंटन कलटीवेटेड एरिया के हिसाब से किया जायगा और इस तरह की शिकायत न होगी ।

श्री नौनिहाल सिंह---

क्या कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जो मेसी फर्गुसन १७५ अलाट हुये हैं वह किस महीने में किये गये हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

यह बहुत ब्योरे का सवाल है ।

श्री कृष्णकांत अवस्थी (जिला सीतापुर)---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक ट्रैक्टर्स के आबंटन का आधार क्या रहा है और अब उन्होंने कौन-सी नीति अख्त्यार की है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

पहले की नीति तो यह थी कि जो दरख्वास्तें जिस क्रम से आती थीं उन पर प्रथम आया प्रथम पाया के हिसाब से ट्रैक्टर अलाट होते थे । भारत सरकार से जो ट्रैक्टर्स का आबंटन होता था वह प्रदेश की दरख्वास्तों की संख्या के आधार पर होता था और यह दिखाने के लिए कि प्रदेश में अधिक प्रार्थना-पत्र आये हैं २० अगस्त, १९७० तक के प्रार्थना-पत्रों पर ट्रैक्टर्स दिये गये और १९६७-६८ के प्रार्थना-पत्रों पर प्रथम आया प्रथम पाया के हिसाब से दिये गये हैं । अब १ फरवरी, १९७१ से यह पद्धति अपनायी गयी है कि जो दरख्वास्तें आयेंगी उन पर प्रथम आया प्रथम पाया के हिसाब से ट्रैक्टर दिये जायेंगे । इसके अलावा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की एक मीटिंग जो ६ जुलाई को हुई थी उसमें प्रस्ताव हुआ है कि विभिन्न जिलों के प्रार्थना-पत्रों को एक रजिस्टर में सीरियल नम्बर से दर्ज किया जायगा और जिनकी दरख्वास्तें पहले की होंगी उनको पहले दिया जायगा और और बाद वालों को बाद में ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

सन् १९७१ तक जितने ट्रैक्टर्स उन्होंने दिये हैं, अपनी सूचना के आधार पर माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रैक्टर्स कितने प्रार्थना-पत्रों के अगेंस्ट दिये हैं ? और क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाना के मुकाबिले में बहुत कम ट्रैक्टर्स भारत सरकार द्वारा ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन्स को एलाट किये जा रहे हैं, यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह सच है कि उत्तर प्रदेश को पंजाब और हरियाना के मुकाबले में भारत सरकार द्वारा कम ट्रैक्टर्स मिले हैं। एप्लिकेशन्स के अगेंस्ट में कितने ट्रैक्टर्स दिये गये इसकी सूचना शासन को नहीं है पर यदि माननीय सदस्य बतायेंगे तो देख लिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे किस आधार पर कम दिये जा रहे हैं और सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को न्याय मिल सके ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों की मांग ज्यादा है, प्रार्थना-पत्र भी ज्यादा प्राप्त हुये हैं इसलिए हमने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि हमको ज्यादा ट्रैक्टर्स एलाट किये जायें।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में काबिलेकाश्त के अनुपात में ट्रैक्टरों की संख्या का आवंटन किया जायेगा। क्या पिछले दो वर्षों से इसी प्रकार आवंटन किया गया है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

पिछले दो वर्षों से तो नहीं फरवरी से ऐसा किया गया है। पहले आये प्रथम पाये एप्लीकेशन्स के लिहाज से किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जितने ट्रैक्टर्स का आबंटन किया गया है, वे सब, पहले आये प्रथम पाये के हिसाब से किया गया है ? अगर ट्रैक्टर्स कानून के विरुद्ध दिये गये हैं तो जिन अधिकारियों की सिफारिश पर ऐसा हुआ है या जिन्होंने दिये हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अगर माननीय सदस्य उसकी कोई सूचना देंगे, तो मैं उसकी अवश्य जांच करवाऊंगा।

श्री रियासत हुसैन—

मैं नहीं समझता कि इसमें माननीय मन्त्री जी को क्या पार्टीकुलर सूचना चाहिये (कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री त्रिवेणीराय—

क्या माननीय मन्त्री जी जिन जिलों में बहुत कम ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किये गये हैं उन के लिए आवंटन में कोई प्राथमिकता देंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

भारत सरकार ने जो नियम बनाये हैं ट्रैक्टर्स के आवंटन के लिए उन्हीं के अनुसार ये आवंटित किये जाते हैं। किसी जिले में अगर कम ट्रैक्टर्स का वितरण हुआ है तो आगे चलकर ऐसी प्रणाली अपनायी जायेगी कि उनकी कठिनाई दूर हो जाय, लेकिन किसी जिले को प्राथमिकता देने का प्राविधान नियमों में नहीं है। सिर्फ एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन को ५ परसेंट ट्रैक्टर्स देने का अधिकार है। उदाहरणार्थ अगर स्टेट गवर्नमेंट को भारतीय सरकार द्वारा १००

ट्रैक्टर्स दिये जाते हैं तो उनमें से पांच ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन को देने का अधिकार है। अगर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की कोई डिमान्ड हो तो उनको वे प्राथमिकता दे सकते हैं। किसी दूसरे को प्राथमिकता देने का नियम नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, सदन की परम्परा है और विदेशों की पार्लियामेंट में भी विरोधी दलों को प्रश्न करने का अधिकार होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपके सुझाव के अन्दर एक-एक सवाल की भी आज्ञा दी जाय तो यह सम्भव न होगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप यदि कुछ लिखकर देंगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी मन्त्री जी ने माननीय रियासत हुसैन साहब के प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि अगर माननीय सदस्यों को कोई आबंटन के बारे में शिकायत हो तो उसकी जांच करायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम लोगों की जानकारी को आधार मान कर कि इसके आवंटन में बहुत त्रुटियां हो रही हैं, पक्षपात हुआ है बिना किसी के प्रार्थना-पत्र दिये आवंटन हुये हैं, तो क्या आप इसकी जांच कराने का साहस रखते हैं ?

कृषि मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन अब तक ३,९९९ यानी राउन्ड अबाउट चार हजार ट्रैक्टर्स बांट चुकी हैं। इन के बारे मे जांच कराना बड़ा मुश्किल होगा। अगर किन्हीं २, ४, ५, १०, २०, ५० तक के पार्टीकुलर्स माननीय सदस्य लिखकर दे दगे कि उन के वितरण में घपला हुआ है, तो मैं अवश्य मैनेजर, ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन को लिखूंगा कि इसके बारे में जांच करायी जाय और उसके बाद माननीय सदस्यों को इत्तला दे सकूंगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि जैटर ट्रैक्टर के बारे में शिकायतें दी हैं। तो कितनों की जांच हुई ? उसके पुर्जे नहीं मिलते हैं जिले-जिले में तो उसके लिए माननीय मन्त्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी ने कहा कि ३,९९९ ट्रैक्टर्स का आवंटन हो चुका है। अगर १०, १५, २०, २५ या ५० ट्रैक्टर्स के बारे में माननीय सदस्य दें तो हम जांच करा सकते हैं। अगर चार हजार ट्रैक्टर्स के बारे में कोई घपला हुआ हो तो माननीय मन्त्री जी उसकी जांच कराने में असमर्थ हैं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जितनी भी शिकायतें देंगे सब की जांच करायी जायगी।

(व्यवधान)।

श्री राजमंगल पांडेय—

नित्यानन्द स्वामी जी ने मन्त्री जी से कहा कि इस हाउस के जो मेम्बर हैं उनकी जो सूचना है उसको आधार मानकर क्या ३,९९९ ट्रैक्टरों के बारे में जांच कराने की कृपा करेंगे, तो मन्त्री

जी ने कहा कि अगर हमें कोई शिकायत करे, शिकायत का सवाल नहीं है, उनके स्तर से संबंधित—क्या ३,९९९ ट्रैक्टर्स के आवंटन के बारे में डिपार्टमेन्ट स्वतः ही जांच करायेगा। क्या इसकी जांच करा रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमन्, जांच कराने के लिये कोई आधार होता है। क्या शिकायत है, किस तरह की आवंटन में शिकायत की गई है, कौन सी शिकायत है ? जब तक यह नहीं मालूम होगा तब तक किसकी जांच कराई जायेगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि बस्ती जिले को ५६ और बाराबंकी को ९० या ९७ मिले। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने छोटे जिले को ९७ और बस्ती जैसे कृषि प्रधान और बड़े जिले को केवल ५६ ही दिए गए, इसका क्या कारण है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, पहले ट्रक्टर्स का जो आवंटन होता था वह प्रार्थना-पत्रों के आधार पर होता था। बस्ती में कम आए होंगे इसलिये वहां कम मिले। जहां से ज्यादा आए वहां ज्यादा मिले होंगे।

(सदन में बहुत शोर होने लगा।)

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यदि प्रश्नकर्त्ता आफिस में डिटेल्स देखना चाहें तो वह उन्हें उपलब्ध हो जाएं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

माननीय सदस्य जो भी जानना चाहेंगे, उनको जानकारी करा दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो जवाब बहुत विस्तृत होते हैं उनको सदन की मेज पर रख दिया जाता है और हम लोगों को देखना होता है तो हम आपके कक्ष में जाकर देख लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम मंत्री जी के कक्ष में जाकर देखें, मंत्री जी उसे आपके यहां भेज दें तो हम देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे पास तो आया था और हमने देखा था। उतना सब छाप कर बांटने में और जवाब देने में एक सवाल के लिये दो दिन चाहिए था। अब आप उनके कार्यालय में जाकर देख लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं आपकी आंखें पकड़ने के लिये, वह आपकी आंखे नहीं पकड़ पाते और जो बिना आपकी आज्ञा के बोलने लगते हैं उनको आपकी आंखें पकड़ती है। तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि क्या हर सदस्य को अपने स्थान पर खड़े होकर बोलना चाहिए जिससे कि आपकी निगाह उधर जा सके या संसदीय परम्परा के अनुसार केवल अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इसी पर मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। इस तरह की बात नित्यप्रति आपके सम्मुख आती है और आप उस पर कुछ नहीं कहते, जिसका मतलब यह हुआ कि आपकी यह व्यवस्था है कि जो चल रहा है वह ठीक है। तो अब इस प्रकार की जो आपत्ति माननीय सदस्य करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए ?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

श्रीमन्, यह मान्य परम्परा रही है कि....

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी निगाह....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा कर बठे।

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

म क्यों बैठूं....

श्री उपाध्यक्ष---

जब दीप नारायण मणि जी बोल रहे हैं तो आप क्यों बीच में हल्ला करते हैं ?

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

मैं क्यों नहीं कहूंगा जब आपकी निगाह...

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा कर अपना आसन ग्रहण करें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

इस प्रश्न के बारे में आपकी भी रुचि है और सदन की भी रुचि है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप दूर से बोलें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस सिलसिले में गड़बड़ियां हैं और इस विषय में आपकी भी रुचि है और सदन की भी रुचि है इसलिए आप व्यवस्था दे दें कि इस पर चर्चा हो जाय क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जिसमें लाखों-करोड़ों रुपये का गबन है। इस प्रश्न को विस्तृत करके न हटा दें। इस प्रश्न पर चर्चा होने से सारे तथ्य सदन में आ सकेंगे और सरकार की आंखें खुलेंगी।

श्री उपाध्यक्ष---

और भी प्रश्न हैं और प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठेगा।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर,.....

श्री उपाध्यक्ष---

किसी को इजाजत नहीं है, श्री वीरेन्द्र वर्मा ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। यह सही है कि माननीय सदस्य को बोलने से पहले अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिये, परन्तु बहुधा ऐसा होता है कि कुछ सदस्य खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं और वे समझते हैं कि दबाव से समय ले लें। यह अनुचित है।

लखनऊ के मुहल्ला बाग मुन्नू, घसियारी मण्डी के नाले की सफाई संबंधी प्रार्थना-पत्र

*२---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को मुहल्ला बाग मुन्नू, घसियारी मण्डी, लखनऊ की सुरक्षा एवं सुधार समिति के महा मंत्री श्री नौशाद अली के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक ९ अप्रैल, १९७०, १७ जुलाई, १९७०, २३ अप्रैल, १९७१ व १९ मई, १९७१, मिले हैं जिनसे उक्त समिति की ओर से यह शिकायत की गई है कि उक्त मुहल्ले के गन्दे नाले की सफाई पिछले २० वर्षों से नहीं हुई और बरसाती पानी रुक जाने से निवासियों की जान व माल का संकट पैदा हो जाता है? क्या सरकार तुरन्त आवश्यक उपाय करने की कृपा करेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

श्री नौशाद अली के पत्र दिनांक ९ अप्रैल, १९७०, १७ जुलाई, १९७०, २३ अप्रैल, १९७१ व १९ मई, १९७१ शासन को प्राप्त हुए नहीं प्रतीत होते हैं केवल उनके दो प्रार्थना-पत्र दिनांक १८ दिसम्बर, १९७० तथा जनवरी, १९७१ के प्राप्त हुए थे। मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ को निर्देश दिये गये कि वे इस मामले में जांच कर यथावश्यक प्रबन्ध करें।

मुख्य नगर अधिकारी ने सूचित किया है कि उक्त नाले की यथासंभव सफाई कराई जाती है जिससे बरसाती पानी के बहाव में विशेष रुकावट नहीं होती और निवासियों के जान-माल का संकट नहीं हो पाता है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपको व्यवस्था देनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न उठाने के संबंध में किताब में लिखा है कि कब प्रश्न उठाना चाहिए और कब नहीं उठाना चाहिए।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५२ से १९७० तक इस नाले की सफाई कब-कब करायी गयी?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, समय-समय पर बराबर इस नाले की सफाई करायी गयी है, एसा मुख्य नगर अधिकारी ने लिखा है और उन्होंने यह भी सूचित किया है कि आवश्यकता पड़ने पर पानी निकाला जाता है और नाले की सफाई की व्यवस्था की जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे भी यह जाहिर नहीं हुआ कि इस नाले की सफाई कभी करायी गयी। मंत्री जी यह स्पष्ट बता दें कि इस नाले की सफाई कब की गयी। क्या सफाई कागज पर की गयी है या मौके पर की गयी है ? अगर कागज पर की गयी है तो क्या उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

यह एक बड़ा नाला है। सन् १९६०-६१ की बाढ़ के बाद उस नाले की पूर्णतः सफाई करा दी गयी थी और उसके उपरान्त जहां-जहां पानी निकालने की आवश्यकता हुयी पानी निकाला गया। इसी प्रकार से नाले की सफाई कराते रहे हैं, ऐसी सूचना मुख्य नगर अधिकारी ने शासन को दी है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)---

चूंकि मैं नगर महापालिका का सदस्य हूं इसलिये मुझे भलीभांति यह मालूम है कि इस नाले की सफाई २० वर्ष से अभी तक नहीं हुई है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य नगर अधिकारी का उत्तर सही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, हमारे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार १९६०-६१ में सफाई सभी नालों की की गई थी जब बाढ़ आई थी। यदि माननीय सदस्य यह सूचित करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ है तो शासन जानकारी प्राप्त करेगा और कार्यवाही करेगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

मंत्री जी ने बतलाया कि पानी की विशेष रुकावट नहीं होती है और सफाई कर दी है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जब बाढ़ का पानी जाता है तो संकट आ जाता है, तो क्या इस बात पर विचार करते हुए मंत्री जी सफाई की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, इस कार्य के लिये ५ लाख रुपये का ऋण दिया गया है, इसमें केवल ३ लाख रुपये की धनराशि आलमबाग के लिये है। मुझे आशा है कि नगर महापालिका इस कार्य को शीघ्र करायेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१-२---श्री राममूर्ति 'अंचल'---

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

मेरे प्रश्न पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किये गये हैं, परन्तु ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कमरे में कहिएगा।

तुलसीपुर केन यूनियन, गोंडा द्वारा काश्तकारों को सीमेन्ट की फर्जी बिक्री तथा ऋण

*३—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार मेरी इस जानकारी को सही मानकर कि जनपद, गोन्डा के तुलसीपुर केन यूनियन में वर्ष १९७०–७१ में लगभग १,००० बोरी सीमेन्ट की बिक्री नगर के एक सीमेन्ट विक्रेता को कर दिया गया है तथा उसकी बिक्री काश्तकारों के नाम फर्जी तौर पर रसीदों एवं रजिस्टरों में प्रदर्शित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जांच के उपरान्त उपलब्ध सूचना के अनुसार वास्तविक स्थिति यह है कि वर्ष १९७०–७१ में कुल ३,६२१ बोरी सीमेन्ट राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क (मिर्जापुर) से सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, तुलसीपुर को प्राप्त हुई थी। इस समिति के पास वर्ष १९५४–५५ से सीमेन्ट की एजेन्सी है। उपरोक्त ३,६२१ बोरी में से २,०९९ बोरी सीमेन्ट कृषकों को नकद तथा १,५११ बोरी उधार में बेची गई। किसी सीमेन्ट विक्रेता को समिति का सीमेन्ट विक्रय किए जाने की जानकारी सही नहीं है। अतः गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*४—श्री डी०पी० बोरा (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीसुर केन यूनियन द्वारा गन्ना के काश्तकारों को वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० में विभिन्न मदों पर कुल कितनी धनराशि कर्ज के रूप में प्रदान की गई है ? और क्या कर्ज में दी गई समस्त धनराशि की वसूली वर्ष १९७०–७१ में की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

संबंधित गन्ना समिति द्वारा कथित वर्षों में विभिन्न मदों में कुल रु० १३,८६,७५९-०० कर्ज के रूप में सदस्य कृषकों को वितरित किया गया है। कर्जे में दी गई उपरोक्त समस्त धनराशि की वसूली वर्ष १९७०–७१ तक संभव न हो सकी। इसका कारण कृषकों के पास उनके वाजिब ऋण की सीमा तक के मूल्य का गन्ना उपलब्ध न होना है।

जूनियर सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन का ज्येष्ठ सहायक अधिकारी से उच्च वेतन क्रम

*५—श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि कुछ जूनियर सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन ज्येष्ठ सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन से उच्च वेतन-क्रम में कार्यरत हैं ? जबकि उनकी शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण काल एवं कार्य समान है ? यदि हां, तो क्यों और कितने जूनियर सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन उच्च वेतन-क्रम में कब से कार्यरत हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

श्री रामकरनसिंह---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न किया गया है कि जूनियर सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन ज्येष्ठ सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन से उच्च वेतन-क्रम में कार्यरत हैं। इस प्रकार की मेरी निश्चित सूचना है, तो क्या मंत्री जी फिर से पता लगा लेंगे और फिर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

पहले का उत्तर है। जी नहीं, इसलिये बाद का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम करनसिंह---

मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले का उत्तर है जी नहीं, इसलिए दूसरे का प्रश्न नहीं उठता है। मैं कह रहा हूं कि पहले के संबंध में क्या मेरी सूचना पर मंत्री जी फिर जांच करायेंगे और सदन को अवगत करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका उत्तर तो हो गया है।

[दिनांक १० अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

*१---श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं का केंद्रीयकरण किये जाने के बाद से अब तक कोई ज्येष्ठता सूची का निर्माण किया गया है। यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

केवल कार्य-संचालनार्थ ज्येष्ठता सूची प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये बनाई गई है। क्योंकि सेवा नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है अतः अंतिम सूचियां तैयार करना संभव नहीं हो सका है। सेवा नियमावली में संशोधन जैसे ही हो जायगा, ज्येष्ठता सूची उसके बाद तैयार की जायेगी।

इलाहाबाद जिले के स्वास्थ्य निरीक्षक

*२---श्री रामगोपाल सण्ड (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के विकास क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य निरीक्षक हैं और इनमें से कितने ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षक गत ५ या १० वर्ष की अवधि से उसी जिले में हैं ? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)---

इलाहाबाद जिले में कुल ४२ स्वास्थ्य निरीक्षक (२६ सेनेटरी इन्स्पेक्टर तथा १६ हेल्थ इन्स्पेक्टर) हैं। इनमें से ११ सेनेटरी इन्स्पेक्टर ५ या १० वर्ष की अवधि से इसी जिले में थे परन्तु इनके स्थानान्तरण के हाल में आदेश दे दिये गये हैं।

हाल ही में इनके अतिरिक्त, १ सेनेटरी इन्स्पेक्टर तथा १६ हेल्थ इन्स्पेक्टर यहां तैनात किये गये हैं लेकिन यह अभी विदित नहीं है कि इनमें से कितनों ने कार्यभार संभाल लिया है।

परिवार नियोजन केन्द्रों के कर्मचारियों के नियंत्रक मेडिकल आफीसर

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल आफिसरों के अधीन परिवार नियोजन के जो कर्मचारी कार्य करते हैं क्या सभी सेंटरों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संबंध में सभी मेडिकल आफिसर नियंत्रक हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका वेतन भत्ता आदि के लिये केंद्र की तरह अधिकारी नहीं है, उनका अधिकारी जिले से ही होता है ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

जहां भी चिकित्सा अधिकारी हैं, वहां पर उन्हीं के द्वारा होता है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सुविधा पहाड़ी जिलों के लिये भी है । यदि है, तो वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जहां पर चिकित्सा अधिकारी होते हैं वहां पर वह इस कार्य को करते हैं लेकिन जब चिकित्सा अधिकारी नहीं होता है तो डी०एम० ओ० एच० करते हैं ।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के डाक्टरों को हेड-क्वार्टर का भत्ता

*४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो एम० बी० बी० एस० डाक्टर नियुक्त हैं उनको जिले के हेड क्वार्टर पर आने-जाने का भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उन मेडिकल आफिसरों को भी यह भत्ता दिया जाता है जो मिश्रित कोर्स से पास आयुर्वेदिक स्नातक हैं । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवार नियोजन केंद्रों में वे आयुर्वेदिक स्नातकों को नियुक्त करने की व्यवस्था कर रहे हैं और यदि नहीं तो उनको इस आधार पर किस तरह से वेतन-क्रम आदि दिया जाता है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता । यह प्रश्न भत्ते के बारे में था । किसको कहां नियुक्त करेंगे, इससे यह प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती नगरपालिका के कर्मचारियों की भविष्य निधि

*५--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करनसिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बस्ती में कर्मचारियों की भविष्य निधि ३१ मार्च, १९७१ तक कितनी है ? क्या यह सही है कि नगरपालिका के कर्मचारियों की भविष्य निधि लगभग दो वर्ष से पोस्ट आफिस में जमा नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

३१ मार्च, १९७१ तक नगरपालिका, बस्ती के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि ४,९४,६६८ रुपये ७२ पैसे थी । उक्त पालिका के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि लगभग दो वर्ष से नहीं बल्कि जून १९७० से मार्च १९७१ तक की अवधि में पोस्ट-आफिस में नहीं जमा की गई । इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय, इस मसले पर शासन द्वारा अब विचार किया जायगा ।

आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का वेतन

*६--श्री सुखपाल पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के समस्त आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का फरवरी और मार्च, १९७१ का वेतन १० अप्रैल, १९७१ तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जिला फैजाबाद के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के समस्त कर्मचारियों एवं अराजपत्रित चिकित्सा अधिकारियों का फरवरी, १९७१ तथा मार्च, १९७१ के वेतन का भुगतान क्रमशः दिनांक ३१ मार्च, १९७१ को कोषाधिकारी, फैजाबाद द्वारा तथा दिनांक ७ अप्रैल, १९७१ को जिला स्वास्थ्य अधिकारी, फैजाबाद द्वारा मनीआर्डर से भेजा जा चुका था ।

*७--श्री इन्द्र लाल--

[७वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद जिले में नसबन्दी

*८--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९७१ तक मुरादाबाद जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में कितने केस नसबन्दी एवं लूप लगाने के किये गये ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

दिनांक १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च १९७१ तक मुरादाबाद जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में हुई नसबन्दी एवं लगाये गये लूप का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

विकास खंड का नाम			नसबन्दी	लूप
१—भूडापांडे	..	..	८३८	४४४
२—भगतपुर	..	..	४६१	१९६
३—मनीठा	..	..	५६९	३८
४—सम्भल	..	..	४८२	२५८
५—अमरोहा	..	..	९७४	९६६
६—बहजोई	..	..	३८२	४१३
७—ठाकुरद्वारा	..	..	७९२	७१७
८—रेहरा	..	..	२१०	६८
९—धनौरा	..	..	५००	४३१
१०—हसनपुर	..	..	५१४	७२१
११—बिलारी	..	..	८१२	३४३
१२—बनिया खेड़ा	..	..	५३४	२४२
१३—कांठ (छजलेठ)	..	..	३३३	१८७
	योग	..	७,४०१	५ ०२४

*९—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनमें कितने व्यक्ति ४५ वर्ष से अधिक आयु के थे और कितने पुरुष अविवाहित थे ? प्रत्येक विकास खंड में कितने-कितने मूल्य की परिवार नियोजन सामग्री जनता में निःशुल्क वितरित की गई ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

४५ और ४५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

पुरुष	..	१,२९० (नसबन्दी)
महिला	..	५२ (लूप निवेशन)

प्राप्त सूचना के अनुसार मुरादाबाद जिले में किसी भी अविवाहित पुरुष की नसबन्दी नहीं हुई है?

प्रत्येक विकास खंड में निशुल्क वितरित की गई परिवार नियोजन सामग्री के मूल्य का ब्योरा निम्नलिखित है ।

विकास खंड का नाम			मूल्य
			रु०
१—भूडापांडे	..	..	६,९८२.६०
२—भगतपुर	..	..	२,६९५.६३
३—मनीठा	..	..	३,६९२.९०
४—सम्भल	..	..	५,४९७.०१

विकास खंड का नाम		
५—अमरोहा	..	.. ९,१५९.१४
६—बहजोई	..	.. ६,०१७.४२
७—ठाकुरद्वारा	..	.. ५,९३५.२७
८—रेहरा	..	.. २,२१७.८९
९—धनौरा	..	.. ३,५६८.२१
१०—हसनपुर	..	.. ८,८८५.९८
११—बिलारी	..	.. ७,५८६.८०
१२—धनिया खेड़ा	..	.. ४,४०७.३१
१३—कांठ (छजलेट)	..	.. ४,५४४.४२
	योग	.. ७१,१९०.५८

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री मैनेजर सिंह—

[१ले मंगलवार के प्रश्न संख्या ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पशुपालन विभाग द्वारा भैंसवाड़ा फार्म, जिला अल्मोड़ा की खरीद

*११—श्री तेजबहादुर गंगवार (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग द्वारा एक फार्म भैंसवाड़ा, जिला अल्मोड़ा में कब और कितने एकड़ का खरीदा गया था और इस फार्म की कितने एकड़ जमीन पर खेती होती है और कितने पर नहीं तथा इस फार्म की अब तक कुल लागत कितनी है और इस फार्म से सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

डाक्टर सीताराम—

फार्म ३१ मार्च, १९७० को खरीदा गया और उसका क्षेत्रफल ९२.३५ एकड़ था ।

१२.३६ एकड़ भूमि पर खेती (चारे की फसल की) होती है और बाकी अर्थात् ७९.९९ एकड़ भूमि पर खेती नहीं होती । मई १९७१ तक इस फार्म पर कुल व्यय रुपये १,६१,७२५.४८ था, जिसमें रुपये १,५५,६०८.३३ भूमि की कीमत भी शामिल है । वर्ष १९७०–७१ में २,००० रुपया (जो लीसा की रायल्टी के रूप में प्राप्त हुयी) की आमदनी हुयी, तथा ११५ क्विंटल हरी घास पैदा हुई जिसकी अनुमानित कीमत (८ रुपये से लेकर १० रुपये प्रति क्विंटल की दर से) ९२० रुपये से लेकर ११५० रुपये होती है ।

विकास खण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के बी०डी० ओ० का स्थानान्तरण तथा उनके विरुद्ध शिकायतें

*१२—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतावेंगे कि जिला नैनीताल में विकास खण्ड, हल्द्वानी के बी० डी० ओ० का ट्रांस्फर आदेश शासन द्वारा किस तारीख में हुआ था और इस आदेश का पालन बी० डी० ओ० ने कब किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः श्री कृष्ण चन्द्रपन्त, क्षेत्र विकास अधिकारी, हल्द्वानी जिला नैनीताल के स्थानान्तरण से है । श्री पंत का स्थानान्तरण आदेश दिनांक ४ मई, १९७१ द्वारा, गढ़वाल मण्डल को किया गया था । वह २० मई, १९७१ को अपराह्न में कार्यभार से मुक्त हो गये थे ।

*१३—श्री इन्द्र लाल—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि तात्कालीन बी० डी० ओ०, हल्द्वानी के खिलाफ कई शिकायतें जिला स्तर से शासन तक पहुंची हैं ? यदि हां, तो इस पर बी० डी० ओ० के खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

केवल २ शिकायतें प्राप्त हुई । एक में शिकायत कर्त्ताओं के पते नहीं दिये गये थे । अतः उस पर जांच नहीं की जा सकी । दूसरी शिकायत स्वयं श्री इन्द्र लाल जी द्वारा की गई थी । जांच के उपरान्त श्री पंत दोषी नहीं पाये गये । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[५वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कृषि अधिकारी शाहजहांपुर का दौरा तथा भत्ता

*१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक १ जनवरी, १९७१ से ३१ मई, १९७१ तक के जिले के किस-किस गांव का दौरा किया गया तथा कितना भत्ता लिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर ने १ जनवरी, ७१ से ३१ मार्च, ७१ तक उल्लिखित २५ गांवों का दौरा किया । इस अवधि में की गयी यात्राओं के संबंध में उन्होंने कुल १,२११ रु० ५ पैसे के यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये । निर्दिष्ट २५ गांवों के दौरे के संबंध में कुल २१० रु० ६० पैसे का बिल बना था । माह जनवरी, १९७१ के महीने के ३१७ रु० ८० पैसे के बिल का भुगतान ३१ मार्च, ७१ को हो चुका है । शेष बिल वर्ष १९७१–७२ के बजट की प्रतीक्षा में रुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२८८ पर)

अध्यक्ष जिला परिषद्, सीतापुर का अनियमित भत्ते का लिया जाना

*१६—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालिक अध्यक्ष जिला परिषद् सीतापुर ने जो ११ जून, १९६९ से १४ सितम्बर, १९६९ तक का नियत भत्ता प्राप्त कर लिया, उसकी वैधानिकता पर शासन कब से विचार कर रहा था और किस निष्कर्ष पर पहुंचा है और जो भत्ता अनियमित तौर से लिया गया है उसे वापस कराने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विधान सभा में दिनांक ९ मार्च, १९७० को प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में कहा गया था कि भत्ता प्राप्त करने की वैधानिकता के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है । कानूनी राय के अनुसार वर्तमान नियमों के अन्तर्गत श्री सुरेश प्रकाश सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष जिला परिषद् से सीतापुर ११ जून, १९६९, १४ सितम्बर, १९६९ की अवधि में नियत भत्ता पाने के हकदार थे । अतः श्री सिंह ने उक्त अवधि का भत्ता प्राप्त करके कोई अनियमितता नहीं की है । उनसे ऐसी धनराशि की वापसी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

*१७—श्री महराम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गोदला मऊ, जिला सीतापुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी डिसपेन्सरी की इमारत

*१८—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम गोदला मऊ, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में सरकारी डिस्पेन्सरी की इमारत बनने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ धन स्वीकार हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक इमारत न बनने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, काशीपुर जिला नैनीताल के इंचार्ज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१९—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, काशीपुर, जिला नैनीताल के इंचार्ज के विरुद्ध किसान संघ के मन्त्री का कोई शिकायती-पत्र, दिनांक ९ नवम्बर, १९७०, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

नहीं प्राप्त हुआ ।

देहरादून के चन्द्र नगर में स्थित चीरफाड़ घर

*२०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून के चन्द्र नगर मोहल्ले में स्थित चीरफाड़ घर को पुलिस लाइन के पास स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी स्वीकृति नहीं दी गयी है, अतः विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला नियोजन अधिकारी फर्रुखाबाद के विरुद्ध, शिकायतों की जांच

*२१—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को तथा जिलाधीश व इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त को जिला नियोजन अधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध १ अगस्त, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक कुछ गम्भीर आरोपों के लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । तत्कालीन जिला नियोजन अधिकारी, फर्रुखाबाद श्री महेन्द्र पाल सिंह के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश वाघम कन्नौज, का एक शिकायती-पत्र दिनांक १९ अक्तूबर, १९७० इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त के कार्यालय में तथा इसी पत्र की एक प्रतिलिपि जिलाधीश, फर्रुखा-

बाद के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त श्री महरम सिंह तथा अन्य विधायकों का दिनांक १५ दिसम्बर, १९७० का पत्र श्री यदुनन्दन लाल गोस्वामी, महामंत्री, भारतीय क्रांति-दल, फर्रुखाबाद का दिनांक १४ दिसम्बर १९७० का पत्र और जिला सम्पादक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक २५ नवम्बर, १९७० की प्रतियां शासन को प्राप्त हुई थीं।

उक्त सभी पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से कराई गई थी। चूंकि इन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया, अतः इस संबंध में किसी और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

गाजीपुर ग्रामीण जनशक्तियोजना में अनियमितताओं की जांच

*२२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत ग्रामीण जनशक्ति योजना में की गई लाखों रुपये की अनियमितता की जांच वर्ष १९७० में श्री जे० पी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई? यदि हां, तो सरकार इस जांच रपट को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष १९७० में श्री जे० पी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश द्वारा गाजीपुर जिले के ग्रामीण जनशक्ति योजना के कार्यों की कोई जांच नहीं की गई। अतः जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रबी की फसल के लिये बीज की व्यवस्था

*२३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि पिछले दो महीने से लगातार असामयिक वर्षा से गेहूं खराब होने के फलस्वरूप आगामी रबी में बोने के लिये स्वस्थ और अच्छे ५० लाख कुन्तल गेहूं के बीज की आवश्यकता होगी? यदि हां, तो मन्त्री जी ने क्या अभी से उपरोक्त बीज का प्रबन्ध किया है जिससे समय से काश्तकार को बीज उपलब्ध हो सके और कहां से यह प्रबन्ध किया गया है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। प्रदेश में गेहूं के बीज की कुल आवश्यकता में से लगभग ७५,००० कुन्तल बीज वितरण का प्रबन्ध कृषि विभाग द्वारा तथा लगभग ६.५ लाख कुन्टल बीज सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसका प्रबन्ध राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीज, सहकारी संस्थाओं द्वारा सवाई की वसूली एवं प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर से बीजों का क्रय करके किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषकों को बीज हेतु तकावी का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

*२४—श्री वासुदेव सिंह वैद्य—

[६ठे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गौरी बाजार ब्लाक, देवरिया में कथित गबन

*२५—श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गौरी बाजार ब्लाक, जिला देवरिया में लगभग ९,१११ लाख रुपयों का कबन है? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गौरी बाजार ब्लाक में ९,१११ लाख रुपयों का गबन प्रकाश में नहीं आया है।

मेरठ के कस्बा किठौर में पानी निकासी के लिये नाले का निर्माण

*२६---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या पंचायतराज मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का ५ जुलाई, १९७० का पत्र जिसमें मो० जलालदीपुरा, कस्बा किठौर, जिला मेरठ स्थित तालाब से पानी की निकासी के लिये नाले के निर्माण की मांग थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां । उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश को भेजते हुये अनुरोध किया गया था कि प्रश्नगत नाले के निर्माण के लिये सम्बन्धित गांव सभा को समुचित परामर्श दे दें जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता को भी दे दी गयी थी ।

गाजीपुर तथा जौनपुर में पेयजल का उपलब्ध करना

*२७---श्री देवराम (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वर्ष १९६९ में गाजीपुर तथा जौनपुर में शासन ने वहां की ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कितने रुपये व्यय किये ।

श्री धर्म दत्त वैद्य---

८८,९४,९३७ रुपये व्यय किये गये ।

नगरपालिका, आजमगढ़ में चुंगी अधीक्षक का रिक्त पद

*२८---श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, आजमगढ़ में चुंगी अधीक्षक का पद कब से रिक्त है उस पर स्थायी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

नगरपालिका, आजमगढ़ में चुंगी अधीक्षक का पद रिक्त नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

गुप्तचर विभाग द्वारा जिला परिषद्, बाराबंकी के कागजात वापस न करना

*२९---श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को पता है कि जिला परिषद् बाराबंकी से सन्, १९६७ में कुछ जांच के संबंध में गुप्तचर विभाग द्वारा सन् १९६२ से सन् १९६७ तक के तमाम कागजात ले लिये गये हैं और लगभग ३ वर्ष हो रहा है आज तक वापस नहीं हुये हैं जिनके फलस्वरूप जो अध्यापक सन् १९६७ से अब तक रिटायर हो रहे हैं उन्हें सन् १९६२ से लेकर अब तक प्राविडेंट फण्ड तथा एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां ।

बांदा जिले के ग्राम गौरीकलां में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

*३०---श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया) श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि कृपया जिला बांदा विकास खण्ड जसपुर के अन्तर्गत ग्राम गौरी कलां में एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने का प्रार्थना-पत्र ग्राम गौरीकलां व उसके

आस पास के कई गांव की जनता द्वारा माह जनवरी, सन् ७१ में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया था और उन्होंने अस्पताल खोलने के संबंध में विभाग को कार्यवाही करने के लिये आदेश भी दे दिये थे ? यदि हां, तो ग्राम गौरीकलां में अस्पताल कब खोल दिया जायेगा ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां ।

इसी तरह की अन्य मांगें प्रदेश की अन्य जगहों से आई हैं । इन सभी पर विचार किया जा रहा है । स्थानों का अंतिम निर्णय होने पर अस्पताल खोलने का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ।

*३१---श्री सतीश चन्द्र वर्मा--

[सातवें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

सिविल अस्पताल मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ का प्रान्तीयकरण

*३२---श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को मालूम है कि सिविल अस्पताल, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के प्रांतीयकरण का कब आदेश हुआ और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जिला परिषद अस्पताल, मऊनाथ भंजन के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*३३---श्री रामकरन सिंह--

[७वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थगित ।]

*३४---श्री जगदीश गांधी--

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

नैनीताल के किच्छा ग्राम सभा को टाउन एरिया में परिणत करना

*३५---श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार जनपद नैनीताल के किच्छा ग्रामसभा को टाउन एरिया में परिणत करने का विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

किच्छा ग्रामसभा को नोटी फाइड एरिया में परिणत करने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है और यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

ग्राम पंचायत, बिधूना जिला इटावा का टाउन एरिया में परिवर्तन

*३६---श्री गजेंद्र सिंह (जिला इटावा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत, बिधूना, जिला इटावा को टाउन एरिया जिले का रूप देने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

विधूना में टाउन एरिया बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कुछ अध्यावधि सूचना तथा सीमा का दिशावार विवरण मांगा जा रहा है । इसके प्राप्त हो जाने पर निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा ।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, कनाली छीना जिला पिथौरागढ़ के भवन का किराया

*३७---श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथमिक चिकित्सा केंद्र, कनाली छीना, जिला पिथौरागढ़ १ जनवरी, १९६९ से किराये के मकान में चल रहा है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त केंद्र का कितना किराया मकान मालिक को दिया गया ? यदि नहीं दिया गया तो क्यों ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां ।

कुछ प्रशासनिक कारणों से भवन के किराये की अदायगी अभी नहीं हो पायी है । यथाशीघ्र बकाया किराया भवन का दे दिया जायेगा ।

पेंशनर्स को मेडिकल सुविधायें

*३८---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स को राज्य कर्मचारियों के समान ही मेडिकल सुविधायें देने पर विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक निर्णय लेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जी नहीं ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पौष्टिक आहार कार्यक्रम

*३९---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में पौष्टिक आहार कार्य-क्रम के अन्तर्गत एक पंचवर्षीय योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है और इस योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कौन-कौन कार्य किये गये और इन कार्यों पर ३१ मई, १९७१ तक कितना-कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां । इसके ४ उद्देश्य हैं ।

(१) पौष्टिक आहार संबंधी जन साधारण को शिक्षित करना और सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को योजना की विधि एवं तरीकों का प्रशिक्षण ।

(२) पौष्टिक खाद्यान्न जैसे फल, सब्जी, तिलहन, अण्डे, मछली आदि का उत्पादन करना तथा उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये नवीनतम विधियों से अवगत कराना ।

(३) संतुलित खाद्य पदार्थ का संरक्षण एवं संभरण और प्रक्रिया का ज्ञान देकर व्यवहार में लाने के लिये उत्साहित करना ।

(४) गांव में अतिरिक्त संतुलित खाद्य पदार्थ के उत्पादन का उपभोग, जरूरतमन्द वर्ग के व्यक्तियों में पूरक आहार को वितरित करना । विशेषरूप से पूर्व पाठशाला के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा धात्री माताओं का समुदाय द्वारा पूरक आहार कार्यक्रम चलाना ।

चौथी योजनाकाल के वर्ष १९६९-७० में ४६ जिलों तथा १९७०-७१ से उत्तराखंड मंडल के तीन जिलों को छोड़कर सभी जिलों में चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत किया गया कार्य और ३१ मई १९७१ तक व्यय इस प्रकार है --

कार्य	व्यय लाख रु०
१--स्कूल बाटिका की स्थापना तथा रख-रखाव ।	
२--सहयोगी संगठनों द्वारा कुक्कुट इकाइयों की स्थापना ।	६९.६९८
३--महिला मंडलों, युवक मंगल दलों को साज-सज्जा दिया जाना ।	
४--पौष्टिकता में प्रशिक्षण	
५--महिला मण्डलों/युवक मंगल दलों का पुरस्कार दिया जाना	१०.९२०
योग	८०.६१८

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिले के ग्रामों में पेयजल योजनाएं

१--श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में विकास क्षेत्र के नवाबगंज विकास क्षेत्र, तरबगंज विकास क्षेत्र हलधर मऊ, विकास क्षेत्र कलैजगंज (तहसील) तरबगंज में ग्रामों की पेय जल योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों को पेयजल दिया गया है और कितने ग्राम बाकी हैं ? उनमें कब तक पेय जल की पूर्ति की जायगी ? जिन ग्रामों में पेय-जल योजना चालू की गई है उन ग्रामों के नाम क्या हैं ?

श्री धर्म दत्त वैद्य--

इन विकास क्षेत्रों के ग्रामों में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और न ही इन क्षेत्रों में कोई पेयजल योजना का कार्यान्वयन इस समय विचाराधीन है ।

कमालगंज जिला फर्रुखाबाद में एलोपैथिक अस्पताल की इमारत का निर्माण

२--श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद टाउन एरिया के एलोपैथिक अस्पताल की इमारत अभी तक नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो वह कब तक बनाई जायगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां ।

कमालगंज का एलोपैथिक अस्पताल अब प्राइमरी स्वास्थ्य केंन्द्र में बदल गया है । प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण के साथ-साथ कमालगंज में भी भवन बनाया जायगा ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों की सेवा समाप्ति

३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० तक कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों (हेल्थ इन्स्पेक्टर) की सेवायें समाप्त की गईं। उनकी सेवायें समाप्त करने का क्या कारण था ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

चार। इन हेल्थ इन्स्पेक्टरों की अस्थायी सेवायें उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई थीं।

देवरिया जिला के गौरी बाजार ब्लाक में स्टाकमैन सेन्टर

४—श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला गौरी बाजार ब्लाक क्षेत्र में कितने स्टाकमन सेन्टर सन् १९६८–६९ व १९६९–७० तथा १९७०–७१ में बने ? वे कहां-कहां बने हैं उनमें किन-किन स्थानों पर पशुओं की सेवायें प्रारम्भ हो गई है। जहां सेवायें प्रारम्भ नहीं है, उनका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ में देवरिया जिले के गौरी बाजार ब्लाक क्षेत्र में किसी पशु सेवा केन्द्र की स्थापना नहीं की गई किन्तु वर्ष १९६९–७० में इस ब्लाक क्षेत्र में एक पशु सेवा केन्द्र के भवन का निर्माण जो वर्ष १९६६–६७ में स्थापित किया गया था ग्राम राम लक्षन में किया गया। अभी इस केन्द्र पर पशुओं की सेवा का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि यह भवन अभी तक खण्ड विकास अधिकारी को ठेकेदार द्वारा हस्तान्तरित नहीं हुआ है। वैसे भवन के अभाव में राम लक्षन पशु सेवा केन्द्र इस समय कटाई ग्राम में किराये के भवन में कार्य कर रहा है जो कि लगभग दो मील की दूरी पर खास सड़क पर स्थित है।

५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[६ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थान्तरित।]

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सजाएं हैं उनकी सूचना दे दूं।

नीचे लिखे सदस्यगण जो दिल्ली में गिरफ्तार किये गये

सर्वश्री माननीय सदस्यगण	कोर्ट के उठने तक की सजा	एक दिन का कारावास
	९ अगस्त, १९७१	पारस नाथ सिंह
		रामवचन यादव (आजमगढ़)
विजय बहादुर		
सूबेदार प्रसाद		
राम निहोर राय		

शंकर प्रसाद जायसवाल
त्रिवेणी सहाय
राम सिंह
सूरज लाल गुप्त
विजय पाल सिंह
राम सागर
उमानाथ सिंह
जगन्नाथ राव
जंग बहादुर
शचीन्द्र नाथ बख्शी

शेख मुजीबुर्रहमान पर पाकिस्तान शासन द्वारा मुकदमा चलाने की कार्यवाही रोकने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस सदन में सर्वसम्मति से बंगला देश के संबंध म एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि केन्द्रीय सरकार से कहा जाय कि जितना शीघ्र हो सके वह बंगला देश को मान्यता दे जिससे कि सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की रक्षा हो सके। लेकिन यह हुआ नहीं। वहां उन्हें खुद शंका हो गयी और सारी सरकारी मशीनरी को मोबीलाइज करके परेड करायी गयी। मुजीबुर्रहमान का कल ट्रायल होने वाला है जिससे संभव है कि उनकी हत्या हो जाय। इससे यह होगा कि जो कुछ बंगला देश का या मुक्ति फौज का मारल बाकी है वह भी समाप्त हो जायगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं, मुजीबुर रहमान के प्राणों की रक्षा चाहते हैं और चाहते हैं कि बंगला देश और मुक्ति फौज का मारल डाउन न हो तो हमारी भावनाओं का आदर करते हुए और उस प्रस्ताव के तहत में या और किसी दूसरी विधि से प्रार्थना करें कि मुजीबुरहमान को प्राण दण्ड न दिया जाय और उनका अभी ट्रायल न हो जब तक कि यह सारी स्थिति ठीक न हो जाय।

हमारी सरकार ऐसी नीति अपना रही है कि जैसे वह प्रो पाकिस्तानी हो गयी हो। अगर ऐसी ही नीति रही तो बंगला देश ने जो डेमोक्रेसी के लिये लड़ाई लड़ी वह समाप्त हो जायेगी। इसलिये हमारी भावनाओं को प्रधान मंत्री तक पहुंचाया जाय और सारी यूनाइटेड नेशन्स पर प्रेशर लाया जाय कि मुजीबुर्रहमान का ट्रायल न हो। इसमें उसका (मुजीबुर्रहमान) दोष क्या है। उसने लड़ाई नहीं छेड़ी। नरसंहार छेड़ा पाकिस्तान ने। जो आदमी डेमोक्रेसी के लिये लड़ रहा है उस पर मुकदमा नहीं चलता, उसका ट्रायल नहीं होता। उसका तो पालिटिकल फैसला होता है। मैं पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं, इत्तिफाक से मुख्य मंत्री नहीं है लेकिन बाकी जो लोग हैं वे हमारी भावनाओं को केन्द्र तक बाई टेलीग्राम या किसी भी जरिये पहुंचा दें। सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर विचार भिन्नता हो या जिस पर सरकार सहमत न हो।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

उपाध्यक्ष जी, यह सही है कि इस सदन ने एक प्रस्ताव भेजा था लेकिन उससे भी अधिक सही यह है कि इस सदन के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। मुजीबुर्रहमान के ऊपर वहां पर कोई मुकदमा चलेगा या नहीं वह भी इस सदन में बैठकर तय नहीं हो सकता। उसके ऊपर इस सदन में विचार नहीं हो सकता। इसमें संदेह नहीं है कि यहां पर सदन ने जो प्रस्ताव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायण शर्मा]--

पारित किया था और जो केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था उसके ऊपर जो भी कदम उठाना है वह केन्द्र की सरकार को उठाना है। यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वही कदम उठा सकती है।

हिन्दुस्तान की सरकार जो कुछ भी संभव हो सकता है वह बंगला देश के शरणार्थियों के लिये दे रही है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक दे रही है। उसके बाद यह प्रश्न कि बंगला देश को मान्यता दी जाय, कब दी जाय, किस प्रकार दी जाय, यह सारा प्रश्न केन्द्र के विचाराधीन है और यह बात उन्हीं के तय करने की है। अन्तर्देशीय परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार जो भी कदम उचित समझेगी वह इस संबंध में उठायेगी। मेरा निवेदन है कि यह विषय इस सम्मानित सदन के कार्यक्षेत्र के बाहर है।

बंगला देश के समर्थन में हुई रैली में मंत्रियों और विधायकों के भाग लेने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, इस सदन ने सर्वसम्मति से बंगला देश के मान्यता देने के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया था और यह तय किया था कि बंगला देश को मान्यता दी जाय। उस प्रस्ताव के विपरीत कल उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने दिल्ली की रैली में जाकर भाग लिया और बताया कि वे लोग इन्द्राजी की नीतियों के समर्थक हैं। तो ऐसी हालत में क्या यह सदन का अवमान नहीं है कि जो प्रस्ताव इस सदन ने सर्वसम्मति से पास किया हो उसके विरोध में दिल्ली में जाकर रैली में भाग लें? आज सबको मालूम है कि इन्द्रा जी मान्यता नहीं दे रही है और उसी के समर्थन में इन लोगों ने दिल्ली जाकर उनकी नीतियों का समर्थन किया। इसलिए यह सदन का अवमान है।

दूसरी बात यह कि आपने मान्यवर, शायद पढ़ा होगा पहली अगस्त के दिनमान में बंगल देश के संबंध में अब से २० वर्ष पूर्व डाक्टर लोहिया ने क्या कहा था वह छपा है। आज जो कुछ भी हो रहा है, ठीक बिल्कुल वही डाक्टर लोहिया ने २० वर्ष पूर्व कहा था। डा० लोहिया, की इस दूरदर्शिता को आप देखें। उन्होंने कहा कि भारत को तटस्थ नहीं रहना चाहिये ऐसे मामलों में। डा० लोहिया की दूरदर्शिता के मुताबिक आज भी यह लोग काम नहीं कर रहे हैं और न इन्द्रा जी चल रही है और उल्टे इस सदन का अवमान कर रहे हैं तथा देश को हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने दिल्ली में उस रैली में भाग लिया है उनके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है, उन्होंने इस सदन का अवमान किया है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सही है कि इस सदन ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि बंगला देश को मान्यता दी जाय और मैं समझता हूं कि सदन का अभी भी यही मत है और इस संबंध में उसका समर्थन भी यहां यदा कदा हुआ करता है। यह भी सही है कि मान्यता देने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और केन्द्रीय सरकार इस दिशा में जो कुछ कार्यवाही कर रही है आप सभी के समक्ष है। जहां तक शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या का संबंध है जो उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, मैं हत्या शब्द जानबूझ कर कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर उनकी हत्या होती है तो वह न केवल शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या होगी, बल्कि लोकतंत्र की हत्या होगी सैनिकवाद को बढ़ावा मिलेगा, गांधीवाद की अच्छी परम्परा से विमुख होकर आतंकवाद की ओर

जाना होगा। यह भावना सारे सदन की है, सारे भारत की है और जो प्रस्ताव इस सदन ने पारित किया है उसके बाद हर माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह बंगला देश की मान्यता के लिये पहल करे। जनसंघ दल वहां प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस दल ने भी कल वृहत् प्रदर्शन किया। यह सब काम हमारे प्रस्ताव के विपरीत नहीं बल्कि सर्वथा उसके अनुकूल हो रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका कल का प्रदर्शन इस सदन के प्रस्ताव के विपरीत था। हमारा प्रस्ताव है कि बंगला देश को मान्यता दी जाय, जब कि उनका कहना है न दी जाय। यह सदन के प्रस्ताव के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि बराबर इस पक्ष की राय को उल्टी दृष्टि से देखने का माननीय सदस्य प्रयास कर रहे हैं। इस सदन का निश्चत मत है कि बंगला देश को मान्यता मिलनी चाहिए, वह हमारा सबका सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर इस पक्ष का भी अभिमत है। बंगला देश को मान्यता मिलनी चाहिये और कल की रैली का भी आयोजन बंगला देश के पक्ष में था विपक्ष में नहीं। वहां पर मुजीबुर्रहमान का जितना समर्थन किया गया उसकी कोई सीमा नहीं, वह सभी को मालूम है। साथ ही साथ इसमें कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न मिले हुए हैं और उन सबके समाधान के लिये सारे आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। जितने भी केन्द्रीय सरकार के कदम उठ रहे हैं, वे इस स्थिति को मजबूत कर रहे हैं कि वे मान्यता के पक्ष में हैं। सदन के सम्मानित सदस्यों ने पढ़ा होगा और उन्हें मालूम होगा कि रूस और भारत की एक मैत्री संधि हुई है, वह इसी मान्यता की ओर का एक मजबूत कदम है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

हम जानना चाहते हैं कि वह उपयुक्त समय कब आएगा? क्या मुजीबुर्रहमान की मृत्यु हो जाने के बाद वह समय आयगा? शीघ्र से शीघ्र उनके जिन्दा रहते ही सरकार को कोई मजबूत कदम उठा लेना चाहिये और बंगला देश को मान्यता दे देनी चाहये। उपयुक्त समय कब आयेगा, यह स्पष्ट आज हो जाना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अभी इसी सदन में यह फरमाया कि कल की उनकी दिल्ली की रैली बंगला देश के मान्यता के लिये थी, उसके पक्ष में थी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि वह रैली जिसकी प्रधान मंत्री अगुवाई कर रहीं थीं और जिसको उन्होंने संबोधित किया, उसकी उनके लिए आवश्यकता क्या थी। वह तो स्वयं सक्षम है कि बिना रैली के ही मान्यता दे दें। सारी शक्ति और अधिकार उनके हाथ में हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिए कांग्रेस (संगठन) और कांग्रेस (सरकार) में अन्तर है। वह रैली का आयोजन तो संगठन की तरफ से किया गया था। जैसा समाचार-पत्रों में छपा है श्री संजीवय्या ने उस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। बात असल यह है कि जो रैली हुई थी वह संगठन कांग्रेस की थी। जिस तरह से जनसंघ दल, संसोपा दल और भारतीय क्रान्ति दल हैं उसी तरह से कांग्रेस का दल है, कांग्रेस (शासन) ने नहीं उसने यह आयोजन किया, उसको पूर्ण रूप से अधिकार है ऐसा करने का। अब प्रश्न यह है कि कल कांग्रेस दल के लोगों ने इतनी बड़ी रैली की, उसके बाद, उसे देखते हुए अब मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य की इस संबंध

[श्री उपाध्यक्ष]

में वहां गिरफ्तारी नहीं होगी और न होनी चाहिये और यदि होगी तो यह सदन अपनी क्षमता के अनुसार सक्षम है, तो ऐसी कार्यवाही करने वाला परिणाम भुगतने को तैयार रहेगा। जनसंघ का जो दल हमारे यहां हैं, जिसके वहां पर प्रदर्शन आदि के आयोजन होते हैं और हो रहे हैं, उसके बारे में ९ तारीख के बाद संविधान असंबद्ध होगा किसी भी दल के लोगों को शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पर रोक लगाने के लिये। मैं आपकी (विरोधी पक्ष—खासकर जनसंघ दल) शंकाओं का ही निर्मूलन कर रहा हूं। अब कोई बात होगी तो सदन अपनी क्षमता के अनुसार उस पर कार्यवाही करेगा।

विविध विषय

(विद्युत् मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैंने आपसे प्रार्थना की थी और आपने कहा था कि आज्ञा देंगे। कांग्रेस दल के असर से आर० टी० ओ० के दबाव से सब बस वाले सब फ्री बसें लेकर गये थे। किन्तु हमने १२ तारीख के लिये जो परमीशन मांगी है.... (व्यवधान) आपके कहने से मैं बैठ जाऊंगा। आप सुन तो लें।

(शोर)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

हिन्दुस्तान की जनता ने बताया, हिन्दुस्तान की जनता इंदिरा जी की कांग्रेस के साथ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मेरा निवेदन यह है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मंत्री।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम लोगों के जितने परमिट थे ११ तारीख के सब कैंसिल कर दिये गये हैं, आर० टी० ओज० पर दबाव डालकर, सैंकड़ों आदमियों को जो भिखमंगे थे जिन को दिल्ली जाने का मौका नहीं मिला था सबको भर-भर करके ले गये। आप विचार करें इस बात पर। (शोर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बिल्कुल निराधार है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मंत्री।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने विद्युत् मंत्री को बुलाया है।

श्री उदितनारायण शर्मा--

एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

हमारा पहले व्यवस्था का प्रश्न है, जब हम पहले खड़े हुए हैं ।. . .पहले मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने यह निवेदन किया.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

पहले मैं खड़ा हुआ हूं । व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भी सुनाना चाहते हैं, असरार अहमद साहब भी.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

४२५ सुनायेंगे आपको छोड़ कर, यह सही है । यह सब अधिकार आपका है । जिसको आप कहिए वही सुनायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब किसी चीज के बारे में मंत्री जी कहना चाहते हैं....

श्री कल्पनाथ सिंह--

किस चीज के बारे में ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आज की कार्य सूची के बारे में ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य सूची पर आपको सुनेंगे । फिर आपको सुनेंगे । यह साधारण औपचारिकता का तकाजा है कि कार्यसूची पर व्यवस्था के प्रश्न पर कोई खड़ा हो तो उसको सुनना चाहिये । उसके बाद आप को सुनेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आज की कार्यसूची की क्रम संख्या ११ और १५ की ओर । दो विधेयक आए हैं । इनकी परिस्थिति यह है कि इनका कार्यकाल २२ तारीख को समाप्त हो रहा है और इसके पहले इन दोनों विधेयकों को परिषद् से भी पास हो जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न उठेगा जब बयान हो जाय । मुजफ्फरनगर के ग्राम शोरम के हरिजन गांव को जला दिये जाने के संबंध में वक्तव्य हो जाने के बाद तब आप उठा सकते हैं ।

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में न होने की आपत्ति पर निर्णय की जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि आप अपना ५ अगस्त का कार्यवृत्त देखें। उसमें श्रीमन्, देखें। मैंने यह प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया था कि दिल्ली के न्यायाधिकारी ने आपकी प्रक्रिया नियमावली के नियम ८०, ८१ की अवहेलना की है और जो विधिवत् प्रपत्र छपा है सदस्यों की गिरफ्तारी के लिये जिस पर सूचना आनी चाहिये उनके द्वारा वह आपके सम्मुख नहीं आयी। आपने उस पर व्यवस्था दी थी इसको देखकर तब इस पर निर्णय किया जायगा। क्योंकि विधिवत सूचना न आये, आपके श्रीमुख से यह बात निकली, तो सदन का अपमान हुआ माना जायगा और इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न भी उपस्थित होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विचाराधीन है। इस पर व्यवस्था दूंगा। आज नहीं।

सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम तथा रामकुमार दीक्षित द्वारा दी गयी तथा कुछ अन्य विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि अगर यह बात विचाराधीन है तो आप विचाराधीन रखें लेकिन मेरा निवेदन यह है कि एक विशेषाधिकार का प्रश्न राम कुमार जी दीक्षित ने और मैंने कानपुर के लेबर कमिश्नर के विरुद्ध उठाया था लेकिन उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर निर्णय हो गया था। वह अस्वीकार कर दिया गया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस प्रकार की कोई सूचना हम लोगों को नहीं है।

श्रीमन्, अगर इसी कार्यवृत्त को देखा जाय तो इसमें एक प्रश्न यह भी उस दिन था कि सुरेन्द्र विक्रम जी ने अपने दल के कुछ साथियों के साथ यहां सदन से वाक आउट किया था। मैं यह देखता हूं कि कार्यवृत्त में उसका भी स्थान नहीं है। दूसरा एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने एक विशेषाधिकार का नोटिस आपको दिया था जिसको आप कहते-कहते रुक गये। तो उस सुरेन्द्र विक्रम जी के विशेषाधिकार के नोटिस का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसको भी अस्वीकार कर दिया गया है। उस दिन ५ सदस्यों ने बहिर्गमन किया था जब माननीय जगवीर सिंह इस आसन पर थे। कई दफा ऐसा होता है कि सब कुछ कार्यवृत्त में नहीं लिखा जाता है। इसमें तो संक्षेप में लिखा जाता है। वह इस कार्यवृत्त में नहीं होता है। वह सब कार्यवाही में होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सुरेन्द्रविक्रम जी ने उठाया है वह उन्होंने मुख्य मंत्री जी के खिलाफ उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

हम लोग सुनना चाहते हैं तो आप उसको यहां पर सुना देते कि उसमें क्या कहा गया है । हमको मालूम हो जाता तो हम भी जान जाते कि उसमें प्राग्दर्शन की बात बनती है या नहीं । हम लोग आपकी मदद कर देते तो आप को सहूलियत हो जाती । आप हमारी बात सुनकर उस नोटिस को पढ़कर सुना दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो कहा है उसको मैं कह चुका हूं । जो बंगला देश के बारे में यहां पर प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद जो यह प्रदर्शन हुआ उसमें मैंने आपसे निवेदन किया कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है । इसलिये इसको अस्वीकार किया ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपने उसको अस्वीकार कर दिया लेकिन उसको आप यहां पर पढ़कर सुना दें ताकि हमको मालूम हो जाय कि आपने क्या लिखा है और उस विशेषाधिकार के प्रश्न में क्या कहा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । इसके बारे में आप सब जानते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप बतला दें । आपके बतलाये बिना हम कैसे जानेंगे । आपने उसको क्यों अस्वीकार किया है ?

उपाध्यक्ष--

उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जो आजादी की लड़ाई के लिये लड़ रहे हैं उनको यहां पर बधाई दी गई है लेकिन उसके विपरीत मुख्य मंत्री जी अपने दल के लोगों को लेकर दिल्ली ले जाकर काम किया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मैं आपकी सारी भावनाओं से सहमत भी हो जाऊं तब भी यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मेरा निवेदन यह है कि अगर माधव प्रसाद जी त्रिपाठी के दल की तरह से ये लोग भी वहां पर गिरफ्तार हो जाते तो हम मान लेते कि उन्होंने उस मान्यता के प्रश्न का समर्थन किया है लेकिन ये लोग वहां पर गिरफ्तार नहीं किये गये इसलिये इन लोगों के प्रदर्शन का प्रश्न मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न के अनुकूल बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल से स्थिति बदल गई है । अगर कोई इसके बाद गिरफ्तार होगा तो देखा जायगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या स्थिति बदल गयी?

श्री कल्पनाथ सिंह---

कल चूंकि इन्दिरा गांधी जी की पार्टी ने प्रदर्शन किया इसलिये १४४ नहीं रही। इसलिये स्थिति बदल गयी।

श्री उपाध्यक्ष---

उससे नहीं बदली। मैंने निवेदन किया कि अब अगर कोई माननीय सदस्य दिल्ली में पकड़े जायेंगे तो उस मामले को देखा जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

स्थिति बदली नहीं है। ज्यादा खतरनाक हो गयी है। मुजीबुर्रहमान को फांसी दे दी जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

हमारे भी दो अवमान के प्रश्न आपके पास पड़े हुए हैं। एक तो २७ जुलाई, १९७१ की घटना को लेकर है जिसमें कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है। हमारी तरफ से निवेदन किया गया था कि घटना इस सदन के सामने हुई है कि मंजूर अहमद साहब ने मान हानि का आरोप हमारे ऊपर लगाये हैं और कहा है कि इसको विशेषाधिकार के सुपुर्द कर दिया जाय। वह मामला पड़ा हुआ है और उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है।

दूसरा अगस्त, ७१ की चार तारीख को कारों व स्कूटरों के आबंटन के प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में है परिवहन मंत्री के उत्तर को लेकर दिया गया था। कुछ गलत सूचना इस सदन में दी गयी थी कार व स्कूटर के आवंटन के सम्बन्ध में। बाद में आपके पास सूचना पहुंची माननीय सदस्यों के द्वारा जिनके नाम में एक से ज्यादा स्कूटर अथवा कारें थीं सूची में उन्होंने यह लिख कर दिया कि एक ही कार अथवा स्कूटर उन्हें दिया गया यह भी प्रश्न आपके सामने पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले का जो जिक्र आपने किया वह अभी विचाराधीन है। इस पर आपने पिछले दिन अध्यक्ष महोदय से भी मौखिक रूप से निवेदन किया था उस पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। यह कब लिया जाय इस पर अभी निणय नहीं हो सका है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

यह तो बहुत अन्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

देखना यह होगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं और विशेषाधिकार समिति को वह दिया जाय या नहीं, इस पर जब निर्णय हो जायगा तो सूचित कर दूंगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है इसके बारे में हम पूछ तांछ कर रहे हैं। परिवहन मंत्री जी को बुलाया है और उनसे स्कूटर अथवा कारों के आवंटन के बारे में जानकारी की जायगी। जो त्रुटियां होंगी उनकी छानबीन की जायगी और फिर सदन को अवगत करा दिया जायगा।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मुझे यह अर्ज करना है कि मेरे सभी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न इन दो दिनों में अस्वीकृत हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसी बात नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हो गयी है। मुझे मालूम है कि बहुत से प्रश्न स्वीकार किये गये हैं। आप मिल लीजियेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मेरे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न अस्वीकार हुये हैं। सरकार के बचानेवाले सब अस्वीकृत और न बचानेवाले सब स्वीकृत हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक मुझे याद पड़ता है आपके सब नहीं, बहुत से स्वीकृत हुये हैं। (व्यवधान) आप मिल लीजियेगा। यहां इस तरह से कुछ न हो सकेगा। आपको गलतफहमी हो रही है। अस्वीकार तो मैंने कर दिया है.... (व्यवधान) प्रश्नों के बारे में आप यहां। कहें....

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

नहीं मान्यवर, आप सुन लें। प्रश्नों के मुताल्लिक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नो के बारे में आप मेरे कक्ष में आये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मेरा प्रश्न यह है कि बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री की ग्रांट के ऊपर मैंने यह कहा था कि ६ तारीख को हर रीजन में ढाई-ढाई सौ बसों का इन्तजाम आदमियों को दिल्ली बसों द्वारा ढोने के लिये फ्री किया जा रहा है उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। किन्तु उस दिन मेरे जिले बदायूं में बिना आवेदन पत्र दिये और परमिट साइन किये ही १७ गाडियां दिल्ली गईं जो बिना टिकट मुसाफिर दिल्ली स्टेशन पर थे रेलवे मिनिस्टर ने छुड़ायें हैं। इसी प्रकार हर जिले से बसें वहां गई हैं। तो इसी पर मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है कि आखिर उस दिन उन्होंने मना कर दिया और बाद में कैसे हो गयीं। मंत्री जी कहते हैं कि बरेली और दिल्ली स्टेशन पर सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी गई। मैं कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसकी जवाबदेह है। यहां के मंत्री वहां गये और वहां जाकर उन पर कौन सी शक्ति आ गई। आज मुजीब चाहे मर जाये, हमें कोई मतलब नहीं, और वह जिन्दा रहे तो भी हमें कोई मतलब नहीं..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो आप कह रहे हैं, सब प्रश्नों के बारे में है। आप मुझे मेरे कक्ष में मिल लें।

(व्यवधान)

आप प्रश्न क्यों नहीं करते हैं.....

जनसंघ दल के दिल्ली के बसों के परमिट रद्द करके कांग्रेस को देने के संबंध में शिकायत

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्व (जिला बदायूं)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहुंगा कि बदायूं नगर से ६ तारीख को सत्याग्रहियों को दिल्ली जाना था और उसके लिये बरेली आर० टी० ओ० ने परमिट भी स्वीकार कर दिया था.....

(व्यवधान)

(शोरगुल के कारण सुनाई नहीं दिया)

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रकार नहीं होगा । .....

आप प्रश्न कर सकते हैं सरकार उसका जवाब देगी ....

(व्यवधान)

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनके आर० टी० ओज० ने उनको जाने से रोका दिया और कहा कि आप २० बसों को ९ तारीख को दिल्ली फ्रीं ले जायें, तब आप अपना परमिट ले जायं ।

इस प्रकार हमारा रर्व कृत हुआ परमिट भी नहीं दिया गया. . . (व्यवधान) इस पर आप सरकार से वक्तव्य दिलायें और सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा भी हो जायेगी . .

(घोर व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमारे इतने आदमी जायेंगे किन्तु सरकार ने कैंसिल कर दिया । सरकार की तरफ से मालूम होता है कि यह सरकार केवल कांग्रेस के लिये ही बनी हुई है । यह तो वह बात है कि रूट आउट दि आपोनेन्स । मालूम होता है कि कोई प्रजातन्त्रिक सरकार इस वक्त नहीं है और सरकार का सारा मंत्रिमंडल भी प्रजातांत्रिक नहीं है । हमारे आदमी जा नहीं पाये और पीछे रह गये. . . .जो हमारा अधिकार है उसे भी हम नहीं कर पाये । इस सरकार को इतनी शर्म नहीं है. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यदि इसी तरह से शिकायतें होती रहेंगी तब तो सरकार का काम आसान हो जायेगा आप प्रश्न पूछें . . . . . (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

वह हमारी परिमिट्स को कैंसिल कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं और हमारी गाड़ी रूक रही है । इतना बड़ा अन्याय बरदाश्त कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्वयं बरदाश्त कर रहे हैं जब आप नियमित ढंग से इस सवाल को नहीं उठात इससे तो सरकार की जिम्मेदारी आप हलकी कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

यह तो कह रहे हैं कि आप बरदाश्त कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जो हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं वह भी बरदाश्त कर रही हैं, वित्त मन्त्री और कैबिनेट के मंत्री भी बरदाश्त कर रहे हैं । क्यों नहीं वह स्थिति स्पष्ट कर देते ? (व्यवधान)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बध में जानकारी

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

एक व्यवस्था का सवाल है । मैं बहुत धीरज से काम ले रहा हूं ताकि कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो । मैं बहुत नरमी के साथ कहना चाहता हूं ताकि दूसरे सदस्यों को शिकायत का मौका न मिले । यहां के सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनकी कोई इज्जत है या नहीं है, उसको ठेस पहुंचाई जा सकती है या नहीं यह सवाल खड़ा हुआ है और आप उसको इस तरह से

मजाक में उड़ा ले जाते हैं कि मालूम पड़ता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मान लीजिये कि किसी की बहू और बेटे के ऊपर लांछन लगाया जाय, वह बरदाश्त कर सकता है, यह सही है, लेकिन अगर मिथ्यारोपण किया जायगा तो यह नाकाबिल बरदाश्त हो जाता है। मैं आप से कह रहा हूं कि उस दिन आप कुर्सी पर बैठे हुये थे। आपने हमारी हतक—इज्जत होने दी, उसमें आपने कोई हस्ताक्षेप नहीं किया। आप चाहते हैं तो असंगत कह कर रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं टोका। जब उसके बाद प्रश्न उठाया गया.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप वही प्रश्न उठा रहे हैं। वह तो विचाराधीन है। विशेषाधिकार समिति को वही चीज निर्दिष्ट की जा सकती है जिसके बारे में वह सक्षम हो। कोई माननीय सदस्य जो चाहता है यहां बोल लेता है। तो जो चीज असत्य है वह असत्य रहेगी। यहां पर आप चाहें कि केवल अनुशासन और नियमों से व्यवस्था कायम रहे, तो वह सम्भव नहीं है जब तक कि.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लोगों को यह कानून कायदा मालूम नहीं है, इसलिये मैं कह रहा हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसकी इजाजत नहीं देता हूं। उसको मैंने कह दिया कि.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या आप बिलकुल खुदमुख्तार हैं या आपके लिये भी कोई कानून कायदा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यही है कि आपने जो कहा वह कम नहीं कहा है और अभूतपूर्व काम आपने किया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यही कह रहा हूं कि आप सजा दिलवा दीजिये। आप कोई कार्यवाही तो कीजिये इस मामले में। आप आज दोबारा फरमा रहे हैं कि जो कुछ उस दिन हुआ वह गम्भीर था और उसका नोटिस लेना चाहिये लेकिन इसके बावजूद हमारी शिकायत है कि आप तो कोई नोटिस ले रहे हैं, न कोई निर्णय ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो कहा वह सत्य के परे है। मैंने आपको बता दिया कि उस दिन विशेषाधिकार के प्रश्न जो उठाये गये हैं मा० मंजूर अहमद ने और आपने जो यही कह दिया है सदन में उसी के आधार पर विचार होना है और दोनों विचाराधीन हैं और क्या किया जाय ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई समय नहीं है। पर मैं समझता हूं जबतक यह बजट की कार्यवाही चल रही है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सदन चले या न चले लेकिन इसकी गरिमा और सम्मान बना रहे, यह आवश्यक है। इस तरह से सदन चल नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं सदस्यों के सम्मान को नष्ट कर यह चलता रहे तो इस तरीके से चल नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय जायसवाल के विरुद्ध मैंने लिखित दिया है, उसपर भी आप निर्णय दें, अपनी व्यवस्था दीजिये कि क्या हुआ ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं भी यही कह रहा हूं कि माननीय अंचल ने, रियासत हुसैन साहब ने, जिन-जिन ने हमारे खिलाफ प्रश्न दिया है उसको स्वीकार कर लीजिये और हमारी जो शिकायत है उसको भी स्वीकार कर लीजिये और उसकी विवेचना के लिये, जांच के लिये, अनुसंधान के लिये समिति में भेज दीजिये। अगर समिति.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि सदन में उसपर बहस हो ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

बिलकुल हम चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

हम अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं कि सदन में इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं जो चाहता हूं वह कई दफा निवेदन कर चुका हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले में मिथ्यारोपण हुआ है। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को देना चाहिये। लेकिन मेरा निवेदन आपको मान्य नहीं हो रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सदन चाहता है तो वह अपने को विशेषाधिकार समिति में कंवर्ट कर ले और जो कार्य विशेषाधिकार समिति करती है उसको वह करे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जो सदन में हुआ है वह सब के सामने है। विवेचना किस बात की जायेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि निश्चित आरोप लगाया जाता है तो वह साबित कैसे किया जाता है। मान लीजिये कि मैं किसी के लिये कहूं कि उसकी लड़की भाग गई। यह आरोप साबित करने के लिये हमें विधि दी हुई है और उसके अनुसार हमको साबित करना पड़ता है। अगर हम साबित नहीं कर पाते तो जुर्म के मुर्तकिब हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ठीक कह रहे हैं। जब मामला आये उस समय विधि का सवाल उठता है। अभी वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। अभी उस पर विचार हो रहा है। अभी निर्णय होना है। आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। कभी गरम वातावरण होता है और उसके बाद ठंडा वातावरण होता है तो उस समय विचार हो जाता है। हमें कोई ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ती।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मुझे दुख इस बात का हो रहा है। अगर सदन की इज्जत नहीं रहती है, सदन की गरिमा नष्ट होती है और उसको अपमानित किया जाता है तो मान्यवर, जो यह जनतंत्रीय प्रथा आप चला रहे हैं वह नहीं चल पायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

जब प्रश्न उठे उस समय आप बहस करें। जो आप कह रहे हैं। उससे कोई संबंध नहीं। अभी निर्णय स्थगि किया गया है। जिस दिन सदन बन्द हुआ उस दिन आपने अध्यक्ष जी से भी अनुरोध किया था।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

आप देखिये कि इस तरह से दुरंगा व्यवहार हो रहा है। जो घटना माननीय शिवदास जी तिवारी से हुई तो उस पर तुरन्त कार्यवाही हुई और उसके लिये उनको महीनों तक सदन की सेवा से वंचित किया गया। जब उस से भी गंभीर घटना एक सम्मानित सदस्य को लेकर हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रीजज कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हम रोज निवेदन कर रहे हैं, हम बाअदब गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही है। यह दुरंगा व्यवहार हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने अध्यक्ष जी से निवेदन किया। अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उस दिन भी आपने फरमाया कि जो कुछ हुआ है वह बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बातें दूसरे पक्ष से भी कही जायेंगीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उनको डर लगता है। शीशे के घर में जो रहता हो उसको किसी पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी जब निर्णय नहीं हुआ है तो आपको क्या आपत्ति है। जब मामला आजाय तो आपको कहने का अधिकार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, जितनी तकलीफ हमको हो रही है उतनी ही आपको तथा दूसरे सदस्यों को होनी चाहिये। जब नहीं होती है तो हमारा कष्ट और बढ़ जाता है। ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसके निर्णय को अनिश्चित काल के लिये स्थगित रखा जाय या देर से इसका निस्तारण किया जाय। ऐसे प्रश्न पर तो तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मेरी प्रार्थना यह है कि जो घटना घटी और जिसके सिलसिले में मैंने माननीय जायसवाल जी के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी और एक सूचना माननीय जायसवालजी ने श्री मंजूर अहमद के खिलाफ दी थी वह घटना सदन के सम्मुख की घटना है। यही कहा है कि सब नेताओं से मशविरा करके कोई निर्णय लेंगे। यह तो तय है कि सदन के उजमें शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए मैं बार-बार आग्रह कर चुका हूं। उसमें आपते

[श्री रियासत हुसन]

सम्मुख की जो घटना है उस पर सदन में ही विचार होगा और जितनी जल्दी हो सके उस पर सदन में विचार हो जाय या यह हो जाय कि उस पर विचार नहीं होगा। समिति के अन्दर विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सवाल सिर्फ यह है कि यह सदन जूरी की तरह से विचार करे या न करे इस बारे में तुरन्त ही आपको निर्णय ले लेना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं वह यह कि एक आरोप एक व्यक्ति ने लगाया और दूसरे व्यक्ति ने दूसरा आरोप लगाया और दोनों व्यक्ति चाहते हैं कि दोनों आरोपों के लिये उनका शीघ्र से शीघ्र ट्रायल हो जाय, चाहे सदन में हो चाहे समिति के सामने हो और ऐसे तथ्य भी नहीं हैं जो कहीं बाहर से लाने हों, किसी के साक्ष्य लेने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इस विषय में इतनी देरी लग रही है, इसका क्या कारण है। इस पर तो आपको उसी क्षण निर्णय ले लेना चाहिये था। अतः इसके बारे में जो शंका प्रकट की जा रही है वह ठीक मालूम होती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय जायसवाल जी ने जैसा कहा कि अगर हमने कोई शब्द किसी के लिये गलत प्रयोग किया था जो अनुचित था, यह बात दूसरी है कि वह आपके कान में न पड़ पाया हो, उस समय आप अटेंटिव न हों, यह दूसरी बात है, लेकिन अगर उस शब्द को आपने सुना तो उसी वक्त आपको रोकना चाहिये था लेकिन यह भी उस वक्त नहीं किया गया। उसका परिणाम यह होता है कि इस सदन में अव्यवस्था, अनुशासन-हीनता और असन्तोष उत्पन्न होता है और जो कन्ट्रोलिंग केपेसिटी होनी चाहिये उसमें कमी होने के कारण ऐसा होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जल्दी से कल या परसों में ही कोई निर्णय ले लिया जाय।

जनसंघ दल के दिल्ली के बसों के परमिट रद्द करके कांग्रेस को देने के संबंध में शिकायत (क्रमागत)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से प्रार्थना है कि उन्हों ने जो हमारे बस के परमिट कैंसिल कर दिये हैं उनको हमें देते भी नहीं हैं और न हमसे जाने के लिये कहते हैं। अगर उनके मन में कोई भय की भावना है तब तो दूसरी बात है और अगर नहीं तो मंत्री जी कह दें कि उस विशेष मार्ग का कोई परमिट कैंसिल नहीं किया जायगा। यह मामला सदन के माननीय सदस्यों से संबंधित है, बाहर से नहीं। अगर मंत्री जी कह दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप लिख कर दे दें तब इस पर कार्यवाही हो सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब उत्तर प्रदेश से ५०–५० और १००–१०० की संख्या में बसें दिल्ली गयीं तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मिलों के मजदूरों और दूसरे लोगों को लेकर एक सरकारी प्रदर्शन सरकार के सामने होना, यह अद्वितीय है। उसका कारण क्या है? इस सरकार में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। यहां के नेताओं के खिलाफ हवा खराब हो रही है, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टरों के खिलाफ सी० बी० आई० की इंक्वायरी हो रही है। मैं नहीं समझता कि हमको बस का परमिट क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि असुविधा होती है।

उनको असुविधा उस समय नहीं हुई थी जब कि इंदिरा गांधी का प्रेसर पड़ा था। उस समय क्या कोई बड़ी गंभीर बात थी। लेकिन हमको परमिट न देकर असुविधा में डाला जा रहा है। इतना आश्वासन माननीय मंत्री जी से आप दिलवा दें।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरठ के आर० टी० ओ० पर दबाव डाला जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिप्टी ट्रांसपोट कमिश्नर और परिवहन मंत्री वहां गये थे। इस प्रकार से दबाव डालने में सरकार की सारी मशीनरी लगी हुई है। परन्त जो अपोजीशन पार्टी है अगर वह अपना मत प्रकट करने के लिये जाना चाहती है तो आप उनको परमिट नहीं देना चाहते। मैं चाहता हूं कि सरकार यह आवश्वासन दे आज कि हमारा जो १२ तारीख को प्रदर्शन होने वाला है उसके लिये बसें मिलेंगी। हम तो पैसा देना चाहते हैं, ये तो बिना पैसे के गये। अगर परमिटें कैन्सिल होंगी तो यह सरकार का अन्याय होगा। इसलिये वह आज आश्वासन दें कि परमिटें जरूर मिलेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने प्रदर्शन किया, दिल्ली में जन रैली किया उसके लिये हमारी संस्था की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं ने कोशिश की और आपने साधन इकट्ठा कर के अपने प्रयत्नों से वह दिल्ली गये। जहां तक सवाल है बस से जाने का, तो कोई भी बिना ट्रांस्पोर्ट के तो जा नहीं सकता था। जैसा कि हमारे माननीय भाई कह रहे हैं उन्हें आवश्यकता है बस क परमिट की, तो जब हम गये तो हम भी अपने निश्चित साधनों के द्वारा वहां गये। तो इसमें तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमने जो साधन इकट्ठे किये उन साधनों के द्वारा गये। तो ये भी अपने साधनों से जा सकते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, कोई भी सरकार इनके प्रदर्शन में रुकावट नहीं डालने वाली है। सरकार का यह कोई रवैया नहीं है कि इनके प्रदर्शन में रुकावट डाली जाय। ये स्वतंत्रता के साथ जिस तरह से चाहें जा सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे और इनके साधनों में क्या अन्तर है यह दुनिया को मालूम है। ये किसी मिल मालिक को कह देंगे तो तमाम बसें आ जायेंगी। हमारी कोई बसें नहीं चलती हैं। हमको आश्वासन न देना अन्यायपूर्ण है। इस तरह से आश्वासन न देने के कारण और यह जो दुरुपयोग किया सरकार ने अपनी मशीनरी का इसके प्रोटेस्ट में हम ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

बिजली कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों की यूनियनों, संघों ने एक नोटिस दिया था कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तो दिनांक ९ अगस्त, १९७१ से अनिश्चिकालीन हड़ताल के लिये कर्मचारी बाध्य होंगे। सदन में इसकी चर्चा हुई थी। इन मांगों पर मंत्रि परिषद् ने ५ अगस्त, १९७१ को विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद कई निर्णय लिये। मेरी इच्छा थी कि इन मांगों पर मंत्रि परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों से सदन को अविलम्ब सूचित किया जाता किन्तु जब यह निर्णय लिये उस समय तक सदन उठ चुका था

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

और आज के पहले बठक नहीं हो रही थी। राज्य विद्युत परिषद् के साठ हजार कर्मचारियों द्वारा ९ अगस्त, १९७१ से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की नोटिस थी। अतएव, जनहित में उसी दिन रात को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी ताकि कर्मचारीगण आश्वस्त होजायं। तत्पश्चात् आज प्रथम अवसर का उपयोग करते हुए मैं मंत्रि परिषद् द्वारा कर्मचारियों की मांगों के बारे में लिये गये निर्णयों से सदन को सूचित कर रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, इसकी प्रतिलिपि तो हम लोगों को दिला दी जाय। इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य जिसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है और वे पढ़ते चले जा रहे हैं। कम से कम प्रतिलिपि दिला दें या आज प्रतिलिपि दिला दें और कल पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष--

आग्रह तो यह था कि वक्तव्य अभी दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

दो प्रकार के वक्तव्य होते हैं। एक तो उन विषयों के बारे में जो हम लोग स्वयं नियम ५१ वगैरह में उठाते हैं। उनकी प्रतिलिपि हम लोगों को दी जाती है। दूसरे एक क्लाज जो इसमें दिया गया है मंत्रियों के विविधि वक्तव्य जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं कि कौन मंत्री किस टाइम खड़ा हो जायगा और क्या वक्तव्य देने लगेगा। यह वित्त मंत्री जी यहां खड़े हो गये और एक लम्बा चौड़ा वक्तव्य पढ़ रहे हैं और उसकी प्रतिलिपि तक हमको नहीं दिलाई गई है और जो कुछ वह पढ़ते जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कर्मचारियों की क्या मांगें थीं, किन किन को सरकार ने माना है और क्या कैबिनेट का फैसला हुआ है। आप कृपया पहले इसकी प्रति हमें दिला दें तब वह इसको पढ़ें वर्ना यह कल इसको पढ़ें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनेता विरोधी दल को यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि यहां की परम्परा यही है कि यदि कोई सरकारी नीति या कोई महत्वपूर्ण घोषणा हो तो सरकार को उससे सदन को अवगत कराना चाहिये। उसी परम्परा का पालन करके प्रथम अवसर पर यह वक्तव्य मैं सदन में दे रहा हूं। इसकी प्रतिलिपियां साइक्लोस्टाइल हो रही है और वे बाद में वितरित करा दी जायंगी। मैं आपकी आज्ञा से परम्परा के अनुसार उचित समझ कर जो कार्यवाही मंत्रि परिषद् ने की है उसको मैं सदन के सम्मुख पढ़ रहा हूं.....

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, यह वक्तव्य जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं वह यकतरफा नहीं होगा, यह सारे प्रदेश के विद्युत् कर्मचारियों का केस है, इस पर आप हमें सफाई करने व प्रश्न करने के लिये अवसर दें। इस तरह से केवल पढ़ देने से कोई लाभ न होगा। इस तरह से तो वह समाचार-पत्रों में छप ही गया है। अगर यह सदन के सामने रखा जा रहा है तो आप इस पर प्रश्नों और विवाद का अवसर भी हमें देने की कृपा करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, इस विषय पर कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है और इसी प्रश्न को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी था कि इस प्रश्न पर ५ अगस्त तक निर्णय लिया जायगा। अब आगे मैं उसे पढ़े दे रहा हूं।

"मंत्रि परिषद ने निर्णय लिया है कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार परिषद के मौजूदा वर्कचार्ज कर्मचारियों को वही वेतन तथा मंहगाई भत्ता और जहां परियोजना भत्ता अब तक

दिया जा रहा है वहां यह भत्ता भी दिया जाय जो कि सम समान श्रेणियों के नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है ।

यह भी निर्णय लिया है कि कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में प्रचलित इस व्यवस्था को, जिसके अन्तर्गत कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करके उन्हें तुरन्त ही पुर्ननियुक्ति कर लिया जाता है, समाप्त कर दिया जाय ।

[कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के इस प्रकार के कर्मचारी जिन्होंने १ अगस्त, १९७१ अथवा उसके बाद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उसी तिथि से मकान किराया भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।

मंत्रि परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विद्युत् परिषद के ऐसे सभी वर्क चार्ज कर्मचारियों को जिन्होंने १ अप्रैल, १९६९ को या उसके बाद तीन वर्ष की निर्विघ्न सेवा पूर्ण कर ली है और जो समान नियमित पदों के लिये निर्धारित योग्यता प्राप्त है, उन्हें नियमित कर्मचारी बनाया जायगा बशर्ते कि वे स्वस्थ हों और उनका चरित्र सन्तोषजनक हो ।

मन्त्रि परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य विद्युत् परिषद् भविष्य में वर्कचार्ज के आधार पर किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की भरती नहीं करेंगे । यदि कुशल श्रेणी के कर्मचारियों की, जैसे निर्माण कार्यों के लिये आवश्यकता पड़ती है तो पर्याप्त संख्या में नियमित अस्थाई पदों का सृजन किया जाना चाहिये और निर्धारित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को समुचित ढंग से चयन करके उन पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये । अकुशल कर्मचारियों की भरती दैनिक मजदूरी के आधार पर की जायगी और उन्हें वेतन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार कम से कम साढ़े तीन रुपये की कुल दैनिक मजदूरी दी जायगी ।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले के हाइडिल विभाग और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन से डेपुटेशन पर आये हैं, उन्हें राज्य विद्युत् परिषद् की सेवाओं में संविलयन के बारे में कर्मचारियों के लिये क्या विकल्प होगा, इसके बारे में उनमें कुछ आशंका है । यह आशंका निर्मूल है क्योंकि अपेक्षाकृत कम अनुकूल शर्तों पर उनके संविलयन का कोई प्रस्ताव नहीं है । शर्तों एवं दशाओं के स्पष्ट निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार विकल्प के तरीकों में संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है ।

कर्मचारियों में यह भावना भी व्याप्त है कि सरकार राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिये इच्छुक नहीं है । यह बात किसी निर्मूल धारणा पर आधारित है । वस्तुतः राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना अथवा ग्रेच्युटी एवं पेंशन योजना जो इस समय लागू है या परिषद् द्वारा बनाई जाने वाली इस तरह की किसी अन्य योजना को विकल्प करने की स्वीकृति दी जायगी ।

उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो १ अप्रैल, १९६९ के बाद रिटायर हो गये या मर गये, मन्त्रि परिषद् ने निर्णय लिया है, कि वे भी सरकारी विज्ञप्ति संख्या के अन्तर्गत वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले लाभ के अधिकारी होंगे । ये लाभ उन छटनी शुदा कर्मचारियों को भी मिलेंगे जिनकी छटनी उस कार्य के पूरा हो जाने पर की गई हो जिसके लिये उन्हें भरती किया गया था ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी वर्क चार्ज कर्मचारी का जनहित में स्थानान्तरण किया जाता है तो वह तथा उसके परिवार के सदस्य समुचित रेल/बस के किराया पाने के हकदार होंगे । साथ ही राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निश्चित की जाने वाली उचित धनराशि भी उन्हें अपने सामान के ढुलाई के व्यय को पूरा करने के लिये दी जायगी ।

राज्य विद्युत् परिषद् की कर्मचारी राज्य बीमा योजना से मुक्त करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है । कोई भी धनराशि जो अब तक कर्मचारियों से ले ली गई हो

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किन्तु कर्मचारी राज्य बीमा योजना निगम को न भेजी गई हो, राज्य विद्युत परिषद् के इस योजना से मुक्त होने पर तुरन्त कर्मचारियों को वापस कर दी जायगी ।

राज्य सरकार ने राज्य विद्युत् परिषद् में कर्मचारी वर्ग के एक प्रतिनिधि को रखने के सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया है ।

वेतन मंडल की सिफारिशों को १ अप्रैल, १९६९ से मार्च, १९७१ तक लागू करने के फलस्वरूप छः करोड़ रुपये व्यय होंगे । भविष्य में प्रति वर्ष चार करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय होंगे । अपने सीमित साधनों और विकास कार्यों की प्रतियोगिक आवश्यकताओं के बावजूद राज्य सरकार विद्युत् कर्मचारियों की सेवा दशाओं में सुधार करने में बहुत उदार रही है ।

जैसा कि निवेदन किया जा चुका है, उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्णयों से राज्य विद्युत् परिषद् के साठ हजार कर्मचारियों को तुरन्त अवगत कराने के लिये उसी दिन रात को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई थी । ७ अगस्त, १९७१ को राजस्व मंत्री जी एवं विद्युत् मंत्री जी ने काफी समय तक विभिन्न कर्मचारियों के यूनियनों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप किया । उन्हें सूचित किया गया कि १५ अगस्त, १९७१ तक पिटमेंट कमेटी अपनी संस्तुतियां उपलब्ध करा देगी, व तत्पश्चात् २० अगस्त, १९७१ तक विचार विमर्श होकर निर्णय लिया जायगा । फलस्वरुप, बिजली कर्मचारियों के अधिकांश प्रमुख यूनियनों और संघों ने हड़ताल पर न जाने का आश्वासन दिया । हर्ष के साथ मैं सदन को सूचित करता हूं कि कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों को छोड़ कर परिषद के अन्य समस्त कर्मचारी हड़ताल पर नहीं गये और सामान्य रूप से काम पर आये । किन्तु यह खेद की बात है कि इन सब प्रयासों के बावजूद ८–९ अगस्त, १९७१ की मध्य रात्रि में कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में हड़ताल शुरू हो गई । फलस्वरूप, रिवर साइड पावर हाउस केसा को काफी समय तक जल बन्द करना पड़ा और कई औद्योगिक इकाइयों में बाधा व क्षति पहुंची । सदन स्वयं जानते हैं कि आज कल देश की परिस्थिति क्या है और किस घोर संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है । इसमें देश के हर एक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह इस समय कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे प्रशासकीय कार्य में रुकावट हो या उत्पादन कार्य में बाधा सामने आये और देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़े । शासन के हर प्रयत्न करने के बावजूद, राजस्व मन्त्री जी व विद्युत् मन्त्री जी के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के बावजूद कानपुर के संगठित श्रमिकों द्वारा इस तरह हड़ताल पर चले जाना अवांछनीय था । जिस व्यावहारिकता का परिचय अन्य सम्बन्धित यूनियनों ने दिया है, मैं आशा करता हूं कि कानपुर बिजली प्रशासन की यूनियनें भी ऐसी ही व्यावहारिकता का परिचय देंगी । मुझे आशा है कि सदन के सम्मानित सदस्य सरकार के निर्णय से सहमत होंगे ।]

श्री कल्पनाथ सिंह––

श्रीमन्, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय, जो वह पढ़ रहे हैं वह समझ में ही नहीं आ रहा है ।

श्री कृष्णानन्द राय––

इसे वह प्रेस में दे दें वहां छप जायगा, सदन में जो वह पढ़ रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है और यह बड़ी विचित्र बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी तो संसदीय प्रणाली के जानने वाले हैं और वह जानते होंगे कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक आटोनामस बाडी है और मंत्रि-परिषद् ने जो कर्मचारियों के विषय में प्रस्ताव पास किया है वह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये एक डायरेक्टिव होता है, इनके पास किये हुये प्रस्ताव को एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड माने या न माने, अभी कुछ पता ही नहीं है । हमने सुना है कि केसा के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है ।

श्रीमन्, इस सारे वक्तव्य में एक भी अक्षर हमारी समझ में नहीं आया। मंत्रिपरिषद् का निर्णय तो उसी प्रकार से हुआ जसे बैठ कर पी० सी० सी० में माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी कोई प्रस्ताव पास कर देती हैं। मेरा कहना यह है कि मंत्रिपरिषद् के प्रस्तावों को इलेक्ट्रसिटी बोर्ड लागू कहां करता है। तो इसको पढ़ा हुआ मान लें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, अगर मैं परम्परा का पालन न करता तो माननीय सदस्यों को शिकायत होती कि परम्पराओं का पालन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि मैं परम्पराओं का पालन करना चाहता हूं। तो माननीय सदस्यों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। यदि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इसकी प्रतिलिपि बाद में साइक्लोस्टाइल करवा कर वितरित करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे आशा है इसकी प्रतिलिपियां साक्लोस्टाइल करा कर अवश्य मिल जायेंगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको दोपहर बाद ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

कई माननीय सदस्यों ने इस पर प्रश्न किये। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी नें उचित समझा कि इस पर एक वक्तव्य दे दें। इसकी साक्लोस्टाइल कापी आप लोगों को आज ही मिल जायेगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

श्रीमन् ऐसे वक्तव्य देने स पहले उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों की सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी का विचार है कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

श्रीमन्, दो प्रकार के वक्तव्य होते हैं। एक तो जब हाउस चाहता है तब मंत्री जी की ओर से दिया जाता है और उसकी कापी दी जाती है और एक दूसरा जो माननीय मंत्री जी की ओर से होता है। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस वक्तव्य की कापी आज ही हमको दे दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

चूंकि केसा में हड़ताल हो गयी थी इसलिये इसमें कछ संशोधन करना पड़ा पर मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज ही उसकी कापी साइक्लोस्टाइल करवा लूंगा और माननीय सदस्यों को वितरित करा दूंगा। संशोधनों के कारण ही इसके साक्लोस्टाइल कराने में दिक्कत हो गयी थी।

श्री कृष्णानन्द राय--

हो सकता है कि शाम तक कुछ और संशोधन करना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष--

लोक सभा का निर्णय ३४८ है। जो मंत्री बयान देते हैं उस पर कोई सवाल नहीं होता है। पर अगर आप बहस करना चाहेंगे तो बहस की इजाजत दे सकता हूं लेकिन...

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन् मैं चाहूंगा कि हमको बहस के लिये समय दे दिया जाय मैं यह भी चाहूंगा कि हमको इस वक्तव्य की प्रतिलिपियां मिल जायें ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री अपने अधिकारों के अन्दर बयान दे सकते हैं और वे बयान उन्होंने दिया जिसको आपने पढ़ा हुआ मान लिया। साइक्लोस्टाइल्ड प्रति भी आपको आज मिल जायेगी । वैसे तो ये प्रश्न कई दिनों तक सदन में उठते रहे और इसीलिये उन्होंने उचित समझा कार्यसूची के आइटम ५ के अन्दर वक्तव्य देना । तो वह वक्तव्य हो गया है उसकी प्रतिलिपियां आप को बाद में मिल जायेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, इसको पढ़ा हुआ तो मान ही लिया गया है पर मेरी प्रार्थना है कि जब इसकी प्रतिलिपि हमको मिल जाय तो आप इस पर चर्चा करने की आज्ञा हमको दे दें ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, इसको पढ़ा हुआ तो मान लिया गया है लेकिन हम जो मांग कर रहे हैं, हमें चर्चा के लिये समय दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो ठीक है लेकिन अगर मान लीजिये बयान ऐसा हो कि उसको पढ़कर आप यह समझें कि किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है तब फिर क्या होगा इसलिये बयान की प्रतिलिपि मिल जाने के बाद यदि आप समझें कि चर्चा की आवश्यकता है तो हम देखेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, इन्होंने पी० ए० सी० की बटालियन्स को पावर हाउसेस पर कर्मचारियों को टैरोराइज करने के लिये लगाया है वरना यह हड़ताल अवश्य सफल हो जाती । इसलिये हम देखेंगे कि इन्होंने कोई अच्छा काम भी किया है या नहीं । उचित होगा यदि आप इस पर चर्चा के लिये कुछ समय दे दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

अभी कैसे दे सकते हैं । आपको प्रतियां दी जायं, आप पढ़ लीजिये । उससे सन्तुष्ट होते हैं तो ठीक है यदि सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो नियमानुसार जो आप कार्यवाही करेंगे उसमें हम कहां रुकावट डालते हैं ?

विविध विषय (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन् मैंने गोरखपुर के दो गांवों के संबंध में नोटिस दिया था । कहा यह गया था कि इसको भी वक्तव्य के लिये शामिल कर लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अलग हो जायेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उसके लिये कोई दूसरी तारीख मुकर्रर कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न करने को कहा था, आपने प्रश्न किया है, उस पर ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत उसकी सूचना दी थी जिस पर आपने कहा था कि कल वक्तव्य के लिये उसके साथ स्वीकार कर लिया जायेगा । श्रीमन्, हरिजनों का मामला है आप जरा उसको देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कत्ल हुआ है वह अलग मामला है । उसको देख लेंगे उस पर तो मैंने अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार किया है ।

मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम शोरम में हरिजन बस्ती जला दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

उपगृह मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

ग्राम शोरम, जिला मुजफ्फरनगर, में भूमि चकबन्दी के समय आबादी के लिये सुरक्षित की गई थी । ग्राम के कुछ हरिजन जो घनी आबादी में रह रहे थे उक्त भूमि को घर बनाने के लिये लेना चाहते थे । दिनांक २५–२–७० को भूमि प्रबन्धक समिति ने विवादग्रस्त भूमि, जो पहले आबादी के लिये निश्चित की गई थी, उसके उद्देश्य को अपने प्रस्ताव द्वारा स्कूल निर्माण हेतु परिवर्तित कर दिया। इस ग्राम में पाठशाला के निर्माण के लिये चकबन्दी के पश्चात् जो स्थान चुना गया था उसे उपयुक्त नहीं समझा गया । इसी बीच भूमि हथियाओं आन्दोलन के कारण कुछ हरिजनों द्वारा उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की चेष्टा की गई जिसके फलस्वरूप दं०प्र०सं० की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई । यह कार्यवाही २३–११–१९७० को आन्दोलन समाप्ति व शांति भंग की संभावना न रहने के कारण समाप्त कर दी गई । जिला परिषद् द्वारा नियुक्त भूमि चुनाव समिति ने गांव में जाकर १७-९-१९७० को विवादग्रस्त भूमि को ही जूनियर हाई स्कूल कन्या पाठशाला के लिये उपयुक्त पाया । जिला परिषद् के आग्रह पर परगनाधिकारी ने सरकारी वकील की राय लेने तथा अन्य आवश्यक जांच करने के उपरान्त प्रस्तावित भूमि को भू-अभिलेखों में पाठशाला के लिए अंकित कर दिया ।

२— १५-६-१९७१ को दो हरिजनों ने परगनाधिकारी के न्यायालय में जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-एन के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति के २५-२-१९७० के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिये एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् २४-७-१९७१ को उक्त प्रार्थना पत्र को परगनाधिकारी ने अस्वीकार कर दिया । नियम ११५-एन की कार्यवाही के बीच में परगनाधिकारी द्वारा एक वकील कमिश्नर की नियुक्ति स्थानीय निरीक्षण के लिये हुयी थी । कमिश्नर ने निरीक्षण के पश्चात् यह रिपोर्ट दी कि उक्त भूमि पर छुटपुट ४–५ अस्थायी झोपड़ियां बनी हुई थी । परन्तु उनमें किसी व्यक्ति के रहने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया ।

२६–७–१९७१ की शाम को गांव प्रधान ने ४५ अन्य व्यक्तियों सहित मौके पर जाकर झोपड़ियों को जबरदस्ती उखाड़ फेंका और उनके फूस में आग लगा दी । कुछ हरिजनों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप २० हरिजनों को चोटें आई । भूमि को प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा ट्रैक्टर से जोत भी लिया गया । इस संबंध में थाना बुढाना पर एक मुकदमा अपराध सं० १००, धारा १४७/१४८/३२३/३२४/४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ ।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]—

पुलिस अधीक्षक तुरन्त मौके पर गये और २३ व्यक्तियों को जिसमें प्रधान भी शामिल हैं गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । उनके अतिरिक्त २० अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । प्रधान का शस्त्र लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया गया है । गांव में पी०ए०सी० का एक सेक्शन तथा एक ए०एस० आई० की देख रेख में सिविल पुलिस तैनात कर दी गई है । स्थिति नियंत्रण में है और ग्राम के हरिजनों में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है । प्रत्यक्ष रूप से इस विवाद का संबंध किसी राजनैतिक दल से प्रतीत नहीं होता बल्कि गांव के दो दलों के बीच में रहा है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवाद को मूलरूप से समाप्त करने का प्रयास चल रहा है ।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सही है कि गांव प्रधान के लड़के धर्मपाल सिंह जी जो नयी जिला कांग्रेस कमेटी, मुजफ्फरनगर के सेक्रेटरी हैं, गिरफ्तार हुए हैं और बी०के०डी० को केवल बदनाम किया गया है ? और जसा कि दो एम० पीज० ने पार्लियामेंट में बी० के० डी० के लीडर का इस कांड में हाथ होने का जिक्र किया है, तो अगर किसी लीडर का हाथ है तो उसका नाम क्या है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैंने श्रीमन्, प्रारम्भ में ही कह दिया कि किसी राजनैतिक दल से इसका संबंध नहीं प्रतीत होता ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सही है कि इस मामले की छानबीन के लिये भारत सरकार की तरफ से हरिजन वैलफेयर कमिश्नर भी भेजे गये थे जिन्होंने मौका मुआयना किया । और उन्होंने इस संबंध में क्या रिपोट दी है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह सही है कि वह आयुक्त केंद्र से यहां भेजे गये थे और उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद यह रिपोर्ट दी कि इस मामले को बढा-चढ़ा कर समाचार-पत्रों में व्यक्त किया गया है ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या यह सही है कि जिला परिषद् ने कन्या पाठशाला के निर्माण के लिये इसी जमीन में १६ हजार रुपय का ठेका छोड़ा था और उसकी नींव भी भरी जा चुकी थी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

लोक सभा में किसी माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय क्रांति दल के वह सदस्य थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच करायी तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्री को यह बात लिखगी कि यह गलत आरोप था और क्या उसका प्रतिवाद समाचार-पत्रों में करेगी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैंने तो कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट यह थी कि बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

यह तो कोई बात नहीं हुई ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो झोपड़ियां जलाने की घटना है, उसके बारे में जो भी कोई इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर जांच कर रहा है क्या उसने कोई पर्चा वगैरह काटा है कि ये झोपड़ियां हरिजनों की थी या नहीं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

यह तो जांच हो रही है । वैसे पांच सौ झोपड़ियों का जिक्र है कि जल गयीं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

क्या मंत्री जी की जानकरी में यह है कि २४-७-७१ को एस०डी० एम० ने दोनों पक्षों को सुनकर जो निर्णय दिया अपने उस निर्णय को पालन कराने के लिये उन्होंने पुलिस को आदेश दिया और २५ तारीख को थाना के हैड कांस्टेबिल और दो कांस्टेबिलों को लेकर वहां पहुचे कि फर्जी जो झोपड़ियां थीं उनको हटा दिया जाय, उनको समझाने-बुझाने के लिए, और लोग वहां झगड़े पर आमादा हुए ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

यह सही है कि २४ तारीख को एस०डी०एम० ने आदेश दिया था, ११५-एन का मुकदमा खारिज कर दिया था, और यह सही है कि यह कहा था कि यह अवैधानिक कब्जा हटा दिया जाय । मान्यवर, २५ तारीख को प्रधान ने एक एप्लीकेशन दी थी कि कुछ लोग अवधानिक रूप से कब्जा कर रहे हैं, इनको हटाया जाय ।

श्री गोविन्द नेगी सिंह (टिहरी-गढ़वाल)--

जब यह बात मालूम हो गयी कि वहां पर झोपड़ियां मौजूद थीं, तो क्या एस०डी०एम० महोदय को आबादी की जगह पर इस तरीके से बेदखली करने का अधिकार था ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

वहां पर कोई नहीं रहता था । जिन लोगों ने चोटें पहुचायीं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है ।

श्री चन्द्र भान शर्मा--

मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने से अवायड किया है । क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह जानकारी है कि २५ तारीख को एस०डी० एम० बुढ़ाना ने एक आर्डर दिया और एक हेड कान्स्टेबिल और २ कांस्टेबुलों को विवादास्पद भूमि पर से नाजायज कब्जा हटाने के लिये भेजा या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

ऐसी कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

श्री चन्द्रभान शर्मा ने प्रारम्भ में एक प्रश्न पूछा था जिसका कोई उत्तर नहीं आया है । क्योंकि प्रश्न निश्चित है इसलिये निश्चित उत्तर चाहते हैं । क्या यह सही है कि ग्राम सभा के प्रधान के सुपुत्र श्री धर्मपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि जिला कांग्रेस (नयी) कमेटी के सेक्रेटरी हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, यह तो केवल वक्तव्य के लिये ही था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जवाब दे चुके हैं कि राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं है । फिर सूचना की क्या जरूरत है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

वे जवाब दे चुके हैं परन्तु मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि लखनऊ के अखबारों में, दिल्ली की पार्लियामेंट में और दिल्ली के अखबारों में अनर्गल प्रचार किया गया है, झूठा प्रचार किया गया है और किसी पार्टी विशेष को बदनाम करने की चेष्टा की गई है और कोशिश की गयी है ? यहां पर सब तथ्य स्पष्ट आने चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिये ताकि पब्लिक यह जान सके कि आग लगी या नहीं लगी, किसने लगायी और किस पार्टी का उससे संबंध था । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रश्न को नियम ५२ के अन्तर्गत उठाने की आज्ञा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें, अब हम आगे चलते हैं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

यह एक गम्भीर प्रश्न है । हरिजनों को मारा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी गम्भीरता की ओर श्री वर्मा ने ध्यान आकर्षित किया है और यह कहा है कि वे नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना चाहते हैं । क्या आप चाहते हैं कि इसको अभी समाप्त कर दिया जाय ।

(श्री गंगा प्रसाद से) आप एक प्रश्न कर लीजिये ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

२० हरिजन मारे गये हैं । कृपया आप यह बतायें कि दूसरी तरफ के कितने लोग घायल हुये हैं ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

मारा कोई नहीं गया है, चोटें आयी हैं और घायल हुये हैं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या यह सही है कि यह झगड़ा दो पार्टियों के बीच में हुआ है और क्या दूसरी पार्टी में हिन्दू मुसलमान, हरिजन तथा दूसरी जातियों के लोग शामिल थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कौन किस जाति का है, इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसी घटना के संबंध में मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसको आपके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । श्री वर्मा जी खड़े हुए और आपने मान लिया । क्या आप शक्ल देखकर अनुमति देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी मैंने उनको लिखकर देने के लिये कहा है, स्वीकार नहीं किया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या वर्मा जी का कोई दूसरा प्रश्न हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

दूरवर्ती प्रश्न होगा, जो अस्वीकृत हो गया है वर्ना ऐसा होने का कोई कारण नहीं था ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि श्री विजय पाल सिंह, एम०पी० ने साफ कहा है । क्या आप खंडन कर रहे हैं ? वे आप ही की पार्टी के हैं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१†

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरतमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, बहुत सी शिकायतें इस बात की आती रही हैं कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त उत्तर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन समय पर नहीं दिये जा रहे हैं ।

ऐसी भी शिकायतें मिलीं कि बहुत सी संस्थाओं में ३ महीने से लेकर ९,९ और १०,१० महीने तक वेतन नहीं बांटे गये । शासन ने कई बार ऐसे आदेश भी भेजे लेकिन उनका कोई प्रभाव होता न देख यह निर्णय लिया गया कि एक विधेयक इस पर लाया जाय जिससे अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जा सके । फलतः यह विधेयक लाया गया है । मान्यवर, अध्यापकों के वेतन के बारे में इसमें प्राविधान है कि जिस महीने का वेतन देय है उसके आगामी महीने की २० तारीख तक संस्था भुगतान कर दे । इसके लिये प्राविधान किया गया है कि एक खाता बैंक में खोला जावेगा और फीस का ८० प्रतिशत उसमें जमा किया जावेगा और सरकारी जो भी अनुदान हों वह उसमें जमा होंगे और यह भी प्राविधान है कि जिला विद्यालय निरीक्षक इस संस्था के मैनेजमेंट से मिलकर चेकों द्वारा उसका भुगतान करेंगे ।

मान्यवर, इसमें यह प्राविधान हैं कि अगर कोई संस्था की शिकायत मिले कि वेतन के भुगतान में गड़बड़ी करता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार दिया गया है कि उनका हिसाब देख सकें और कार्यवाही कर सकें । मान्यवर, यदि किसी संस्था में हिसाब-किताब में गड़बड़ी पाई जावेगी तो जिला विद्यालय निरीक्षक उप निदेशक शिक्षा से सिफारिश करेंगे कि वह कार्यवाही करें । यह भी इसमें प्राविधान है कि अगर मैनेजमेंट यह समझता है कि उनके प्रति बड़ी कार्यवाही करने की बात नहीं होनी चाहिये तो निदेशक से अपील कर सकता है कि और निदेशक राज्य सरकार से पुनरीक्षण करा सकता है ।

मान्यवर, इसमें मान्यताओं के संबंध में भी प्राविधान है । उनकी तादाद बढ़ती जा रही है । उनका वित्तीय भार शासन पर पड़ता है । इसलिये इसको रोकने के

†१३ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर रामजी लाल सहायक]

लिये यह प्राविधान किया गया है कि जो मान्यतायें मान्यता समिति द्वारा की जावेंगी उन्हीं की देखभाल शासन करेगा ।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इसमें दंड का भी विधान है । क्योंकि बावजूद इसके बहुत से मैनेजमेंट ऐसे हो सकते हैं जो नियमानुसार कार्य न करें । इसमें जुर्माना भी है और सजा भी है ।

इसमें मान्यवर १६ धारायें और उप धारायें हैं । छोटा सा विधेयक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है । मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे ।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं :--

"उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ को प्रवर समिति में भेजा जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दे ।"

अध्यक्ष महोदय, अपने बहुत संक्षिप्त भाषण में मंत्री जी ने यह कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अध्यापकों को समय पर वेतन दिलाना है । बहुत सारे विद्यालयों में समय पर वेतन नहीं मिलता है । समय पर वेतन मिले इसलिये यह विधेयक लाया गया है । मान्यवर, यह उद्देश्य में भी है परन्तु ज्ञापन में लिखा है कि विधेयक अधिनियमित हो जाने पर उसके खंड १० के उपखंड (१) के अनुसार कुछ दशाओं में अध्यापकों को उनके वेतन इत्यादि देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हो जाता है । यानी इससे सिद्ध होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां पायी जायेंगी तो राज्य सरकार उत्तरदायित्व लेगी अन्यथा नहीं ।

मेरा कहना यह कि पहले इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं था । परन्तु आज इस विधेयक के लाने से हमारे मंत्री महोदय ने अपने विभाग में विद्यालयों का विभाजन कर दिया है कि कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जो मान्यता प्राप्त होंगे और कुछ ऐसे विद्यालय होंगे जो अनुरक्षण अनुदान पाते होंगे । परन्तु इनमें भी एक कैटेगरी और बना दी और वह यह कि अगर जिला विद्यालय निरीक्षक यह मान लें कि ये स्कूल इस प्राविधान के अन्तर्गत लिये जायेंगे तो वही लिये जायेंगे और बाकी को छोड़ दिया जायगा । जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन्हें छोड़ दिया जायगा । इस तरह से बहुत बड़ी संख्या स्कूलों की ओर अध्यपकों की इस प्राविधान के अन्तर्गत नहीं आयेगी । केवल थोड़े से स्कूल जिन्हें विद्यालय निरीक्षक समझे कि वहां वेतन ठीक नहीं बंट रहा है, वही लिये जायेंगे ।

मेरा कहना यह है कि विधेयक इस उद्देश्य से आना चाहिये कि प्रदेश में जो तमाम माध्यमिक स्कूल हैं चाहे वे मान्यता प्राप्त हों या अनुरक्षण अनुदान पाने वाले हों, उन सबको लेना चाहिये । लेकिन उन सबको यह विधेयक नहीं लेता । यह इस विधेयक की सबसे बड़ी कमी है । यही बात ऐसी है जिसके लिये हमें इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहिये । अनुरक्षण अनुदान की जो दशाएं बतायी हैं उनमें यह होगा कि ऐसे अनेक स्कूल हैं जहां पर अध्यादेश जारी हो जाने के बाद भी कई महीनों से तनख्वाह नहीं बटी । उसका कारण यह है कि आपने प्राविधान यह किया है कि ८० प्रतिशत फीस जमा हो जाय और अनुरक्षण अनदान का अंश जमा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जाय। लेकिन यह सब पैसा जमा भी हो जाय और फिर भी वेतन न बटे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?

आपने जो प्राविधान किया है उसके अनुसार यह जिम्मेदारी प्रबन्धक महोदय को दी गयी है। परन्तु जब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है तो यह जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक की हो गयी। लेकिन इस विधेयक में किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है। ८० प्रतिशत फीस जमा हो गयी तो प्रबन्धक की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। दूसरी तरफ अगर अनुदान पूरा जमा नहीं हुआ तो जिला विद्यालय निरीक्षक कहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर ८० प्रतिशत फीस जमा हो जाने के बाद भी अगर वेतन नहीं बटता है तो उस कमी को राज्य सरकार पूरा करेगी यह इसमें आना चाहिये था। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह है कि ८० प्रतिशत फीस जमा कराते हैं। वह ऐसी फीस है जो कि बच्चों के लिये उपयोग की जाती है। यह पंखा, स्याही, विज्ञान की फीस है। जो शिक्षा शुल्क है उसमें यह फीस भी ले लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विज्ञान का प्रयोग स्कूलों में नहीं होगा, स्याही नहीं बटेगी, पंखे नहीं चलेंगे।

हमारे यहां चार पांच स्कूल हैं जहां पंखे उतार दिये गये। उनका कहना था कि बिजली का कंजम्पशन होगा तो उसका खर्चा कौन देगा। ८० प्रतिशत जो लेते हैं वह शिक्षा शुल्क लें। यह जो फीस है वह नहीं लेनी चाहिए। आपने इस तरह का कोई प्राविधान नहीं किया है। इसका मतलब यह होगा कि अभी तो चार पांच स्कूलों में ही पंखे उतरे हैं लेकिन अगली गर्मियों में किसी भी स्कूल में पंखे नहीं चलेंगे और बच्चे गर्मी में रहेंगे। जब अनुरक्षक अनुदान का समस्त पैसा खाते में जमा हो जायगा तो फिर स्कूलों की इमारत आदि की मरम्मत या फर्नीचर आदि की मरम्मत आदि का काम कैसे होगा और कैसे यह विद्यालय चलेंगे। शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग इस पर विचार करे। इसलिये यह जरूरी है कि हम ८० फीसदी उसका हिस्सा बैंक में जमा करा दें और २० प्रतिशत विद्यालयों को दे दें...।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में कहें, आपका प्रस्ताव तो प्रवर समिति में भेजने का है।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं संक्षेप में ही कहूंगा। इसमें एक कमी और भी है। जो मामले निर्णायक समिति में आते हैं जब कभी प्रबन्ध समिति और अध्यापक में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस समति के निर्णय के अनुसार अध्यापकों को वेतन मिलता है। यह वह समिति तय करती है कि कितना उसको वेतन मिलेगा। इसके भुगतान आदि के लिये आपने जिला विद्यालय निरीक्षक को कोई अधिकार नहीं दिया है और न ही यह प्राविधान किया है कि वह पैसा भी अनुरक्षक अनुदान से दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी इस ओर भी कृपया ध्यान दें। इसके न होने से अनेकों अध्यापकों को कष्ट उठाना पड़ेगा।

एक बात मान्यता समिति के बारे मे कहना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी भी अनेक वर्षों तक मान्यता समिति के सदस्य रहे और वे जानते होंगे कि मान्यता देने के मामले में कितनी कठिनाई होती है और कितना समय लग जाता है। कितनी ही बार प्रिन्सिपल्स और प्रबन्धकों को इलाहाबाद दौड़ना पड़ता है और यह जुलाई तथा अगस्त का महीना बीत जाता है। उसके बाद देर से मान्यता मिल पाती है। उसमें काफी समय लग जाता है। अब आप यह कर रहे हैं कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, मान्यता नहीं दी जायेगी। यानी उस समिति के अधिकार को भी सरकार अपने हाथ में ले रही है। इससे एक तो देर लगेगी, दूसरे फिर सरकार जिसको चाहेगी उसी को मान्यता मिल पायेगी। मैं माननीय मंत्री जी की नियत

[श्री मोहन लाल कपूर—]

पर शंका नहीं कर रहा हूं, मगर आज इस प्रकार का भय होने लगा है कि इसमें भी अब राजनीति आ जायेगी। इससे उस समिति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता भी खत्म हो जायेगी। सरकार का इस प्रकार का अधिकार लेना अनुचित है।

मान्यवर, यह वित्त विभाग रोड़ा विभाग है। यह कोई काम जल्दी करने की अनुमति नहीं देता है। जुलाई से पढ़ाई शुरू होती है और मार्च तक चलती, है, अब अगर ३–४ महीने का समय मान्यता देने में ही निकल जायेगा तो वह सब बेकार हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी गंभीरता से विचार होना आवश्यक है। पुराने वेतन की जिम्मेदारी इसमें ली नहीं गई है। इन सब बातों को आपको मुझे बताना है। इतनी सारी चीजें इसमें इस प्रकार की हैं, जिसके वजह से यह मामला प्रवर समिति में भेजा जाना आवश्यक है। मैं चाहता हूं सदन इस पर विचार करे और सारा मामला प्रवर समिति में गंभीरता से विचार करने के लिए भेज दिया जाय और फिर यह विधेयक यहां लाया जाय। इस पर प्रवर समिति में गंभीरता से विचार होना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के विधेयक बार-बार नहीं बनते हैं।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

स्पीकर महोदय, मैं आपका थैंकफुल हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, मैं बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और सेलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध करने के लिये खड़ा हूं। हमारी क्रिश्चियन सोशिएशन के अन्डर में इस उत्तर प्रदेश में ३ सौ विद्यालय हैं, जो समूथली चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे स्कूल्स में क्या क्या गड़बड़ होता है उसके बारे में हम तो थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन और हमारे लोग थोड़े कम जानते थे।

टीचर्स की सेलरी के भुगतान के बारे में जब सरकार का आर्डीनेन्स पहले-पहल निकला था, तो सारे क्रिश्चियन स्कूल्स वालों की एक मीटिंग हुई थी और हमने उसमें कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे। यह वहां पर तय किया गया था, यह सोचा गया था कि यह स्कूल्स वालों के राईट का एन्क्रोचमेन्ट है लेकिन बाद में मैंने इस पर काफी गौर से विचार किया और यह समझा कि यह एक अच्छा कदम है, तो मैंने उनको समझाया कि यह कान्स्टीट्यूशन का विरोध नहीं है, माइनारिटीज को जो संविधान में अधिकार दिये गये हैं, उनको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मैंने उनको बताया यह राईट है गवर्नमेन्ट का। इसलिये हमने बाद में इसका विरोध नहीं किया।

हम इससे बहुत खुश हैं। काफी स्कूलों में टीचर्स को ६–६ महीने ८–८ महिने वेतन नहीं मिल पाता था, अब इससे वह चीज दूर होगी। इस पर मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। एक बात तो यह है कि ८० परसेन्ट आप स्कूल्स से ले रहे हैं और २० परसेन्ट छोड़ रहे हैं, इसमें मैथमेटिक्स किया जाय, २० परसेंट में कैसे हो सकता है, ईमानदारी से अगर उनका काम चलाया जाय तो २० परसेंट में तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। यों पहले भी बेईमानी होती थी और अब भी होगी। लेकिन आप भी एक बेईमानी का रास्ता खोल रहे हैं, २० परसेन्ट केवल छोड़कर।

हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजेज के ८५ परसेन्ट लड़की और लड़के साइन्स के सब्जेक्ट्स चाहते हैं, साइन्स के इक्वीपमेन्ट्स इतने महंगे हैं कि वह २० परसेन्ट के व्यय में आ ही नहीं सकते। साइन्स की लेबरोटरीज जो कालेजेज में हैं वे इंस्योर्ड नहीं है, उनका इंस्योर्ड किया जाना बहुत जरूरी है और इसके लिये उन्हें काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी। वह सब सामान खरीदना बड़ा महंगा है। आप इस बात को देखें और एस्टीमेटेड कास्ट कितनी है, इसको विचार के उसका ८०–९० परसेन्ट आप उन्हें अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या इसका समर्थन कर रहे हैं, सेलेक्ट कमेटी में आप इसे भेजना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० ग्राइस---

नहीं, मैं इसको कमेटी में भेजने का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

तब तो आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब खण्ड पर विचार हो तो उस समय यह बात कहें तो ठीक होगा।

श्री ए० सी० ग्राइस---

मैं सेलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध करता हूं, इसलिये विरोध करता हूं कि इसे लागू तुरन्त करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे क्रिश्चियन एसोशिएशन के अन्डर में जितने विद्यालय चलते हैं उतने और किसी बाडी के साथ में नहीं चलते हैं। सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो देरी होगी और इस देरी से टीचर्स को और स्कूल्स को नुकसान है। इन शब्दों के साथ में मैं इस प्रस्तावित बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति के प्रस्ताव को मैं केवल इसलिये समर्थन करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री को और उनकी सरकार को उस प्रवर समिति में कुछ प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो जायगा। इस सदन को पता है कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों, यहां जितनी भी सरकारें रहीं, शिक्षा मंत्री की या उनकी जो विरोधी दल में बैठे हुए हैं, का बहुत दिनों से संघर्ष चला आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके शिक्षकों का वेतन नियमित रूप से ठीक उसी प्रकार से जैसे सरकारी सेवाओं में काम करने वालों को मिल जाया करती है मिल जाय। अपनी इस मांग को लेकर जब माननीय शिक्षा मंत्री की भारतीय क्रान्तिदल के साथ पहले सरकार थी संघर्ष भी हुआ था। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने समस्त शिक्षकों को जेल में भेजा इसी मांग को लेकर।

फिर संविद की सरकार बनी। मैं स्वीकार करता हूं कि संविद की सरकार को भी इस सम्बन्ध में जितना काम करना चाहिये था, शिक्षा विभाग की कंजरवेटिव पालिसी के कारण और वित्त विभाग के बाधा डालने की नीति के कारण जिस प्रकार का प्राविजन संविद सरकार को करना चाहिये था, उस प्रकार का प्राविजन नहीं किया। किसी तरह से चूंकि शिक्षकों का संघर्ष चल रहा था परिस्थितियों से मजबूर होकर गोल मटोल शब्दों में प्राविजन किया कि सरकार उत्तरदायित्व लेती है नहीं लेती है, पढ़िये तो साफ समझ में नहीं आयेगा, विद्यालय ८० प्रतिशत रुपया जमा करें तो एक खाता खुलेगा जिसको मैनेजर और इंस्पेक्टर द्वारा चलाया जायगा और २० तारीख तक स्कूलों को रुपया दिया जायगा। इस प्रकार का कुछ किया। उस समय संविद सरकार गिर रही थी, कुछ जहां तक पता है कुछ विचार हो रहा था उसके बारे में कुछ और भी ज्यादा शिक्षकों के लिये ज्यादा न्यायपूर्ण नियत करना चाहिये।

आप जानते हैं, हमारे प्रदेश का वित्त विभाग और ब्युरोक्रेसी इतनी मजबूत है, एक गिरती हुई सरकार को उसने मजबूर किया कि वह साहसिक कदम न उठा सके। संविद सरकार गिर गई। मैं उसमें था। मुझे अफसोस नहीं है कि गिर गयी। मैंने सोचा शिक्षा मंत्री जी की सरकार आयी है। यह केन्द्र से सम्बन्धित है। जिस दल की केन्द्र में सरकार है उसी दल की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

प्रदेश में सरकार है। कुछ नया रोशनी, कुछ नयी विचारधारा, कुछ प्रगतिशील, कुछ नया समाजवाद, कुछ ऐसे शब्दों को हम लोगों को सुनने को मिला, उसको ये लोग चरितार्थ करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ऐसे विधेयक को लायेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार घोषणा करेगी कि अपने प्रदेश में जितने भी शिक्षक हुए, चाहे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हों या एडेड विद्यालयों में हों उनको वेतन देने की सरकार उसी प्रकार जिम्मेदारी लेती है जैसे सरकारी स्कूलों में और जैसे प्रदेश की और सेवाओं को पहली तारीख को वेतन मिल जाया करता है। इन शिक्षकों को भी पहली तारीख को वेतन देंगी। इस प्रकार के विधेयक की आशा करता था। इस प्रकार का विधेयक शिक्षा मंत्री लाये होते तो मैं उनका भी स्वागत किया होता और विधेयक का भी स्वागत किया होता।

ऐसे विधेयक को जो एक विचित्र परिस्थिति में बना हुआ है मैं इसको स्वीकार करता हूं जिसमें अध्यापकों के प्रति पूर्ण न्याय नहीं था उसी टूटे-फूटे कमद को लेकर आकर विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिय है। वह थोडी बहुत सुविधा तो देता ही है शिक्षकों को। लिहाजा मैं विधेयक का विरोध तो नहीं करता। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद भी नहीं देता हूं और इस विधेयक का स्वागत भी नहीं करता हूं। इसमें कुछ कठिनाई है जिसको इनका विभाग स्वीकार करता होगा किन्तु शिक्षा मंत्री जी को शिक्षकों के प्रति सहानभूति है और इन्होंने प्रयास भी किया है लेकिन इनके विभाग ने इसको नहीं होने दिया है प्राविधान तो किया गया लेकिन इनके शिक्षा विभाग ने इसको लागू नहीं किया।

इस सरकार को आये ३, ४ महीने हो गये और यह आर्डिनेन्स इस प्रदेश में पिछले ३ महीने से लागू है। लेकिन मैं इस बात को निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि आज भी प्रदेश में कम से कम ५० ऐसे विद्यालय हैं जिनको ३, ३ और ४, ४ महीने हो गये और अतिशयोक्ति न समझी जायगी ६, ६ महीने हो गये कि उनको वेतन नहीं मिला। आज भी अनेक ऐसे जिले हैं जहां पर खाता नहीं खोला गया है। मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट इन्सपैक्टर दोनों को खाता मिलकर खोलने की बात कही गयी है कि वह इस बैंक में खाता खोलकर ८० प्रतिशत जमा करेंगे और उससे वेतन के रूप में रुपया दिया जायगा लेकिन आज तक भी अनेक जिलों में वह खाता नहीं खोला गया है। कुछ जिलों में इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स सोचते हैं कि ऐसा खाता खोलकर हम क्यों जिम्मेदारी लें और कुछ जिलों में मैनेजर हीला हवाला कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आज भी यह प्राविजन लागू नहीं हो रहा है।

अभी हमारे कपूर साहब ने बताया कि इस विधेयक के जरिये से जो मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं और जो एडेड स्कूल हैं उनमें थोड़ा सा फर्क हो गया है। इस फर्क से अव्यवस्था भी कुछ बढ़ेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ही बताया था कि १०७५ प्रार्थना-पत्र आपके यहां पड़े हुये हैं जिनको विविध विषयों में मान्यता नहीं दी जा रही है ६००, ७०० प्रार्थना-पत्र ऐसे पड़े हुये हैं जो हाई स्कूल इन्टरमीडिएट के विषयों की मान्यता मांगते हैं लेकिन आप उनको नहीं दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का प्रश्न तो इसमें नहीं आता है लेकिन आपका शिक्षा विभाग स्वयं चाहता है कि विषयों को मान्यता देने के सवाल में जितना भी अड़ंगा डाला जाय उतना अड़ंगा डालने का प्रयास करते हैं। वह यह समझते हैं कि अगर उनको मान्यता दी जायगी तो उन पर उन विद्यालयों को अनुदान देने की जिम्मेदारी आ जायगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि आज हजारों विद्यालयों को विषयों में मान्यता नहीं मिल रही है। यही कारण है कि सारे प्रदेश में एडमीशन की एक घोर समस्या उपस्थित हो गई है। इस प्रकार की जिम्मेदारी आपका विभाग नहीं लेना चाहता है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने को स्वीकार करें या न करें लेकिन यहां अब वह समय आ गया है कि आप शिक्षकों की मांग से भाग नहीं सकते हैं कि जैसे आप सरकारी सेवाओं को नियमित रूप से अपने खजाने से पहली तारीख को वेतन देते हैं उसी तरीके से इस प्रदेश के शिक्षकों को सरकारी सेवा मानकर अपने खजाने से दिलाने का प्राविजन करें और पहली तारीख को नियमित रूप से उनके वेतन देने की जिम्मेदारी ग्रहण करें। अगर इसको ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर आप अध्यापकों से अशान्ति को खरीदते हैं और अशान्ति को आपको पुनः फेस करना पड़ेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं २, ३ बातों की चर्चा करना चाहता हूं। जो प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव आया है उसमें केवल एक सप्ताह का समय मांगा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और एक सप्ताह में वहां से रिपोर्ट आ जाय वह जल्दी ही चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो जाय, लेकिन मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि १८५३ में एक मि० वुड थे जो शिक्षा के चार्ज में थे उस समय थे। १८५३ में ही उनका डिस्पैच भेजा गया। उन्होंने इस विषय में एक रिपोर्ट दी थी जिसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया था। १८५७ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के के कारण इस डिस्पैच पर तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने विचार नहीं किया।

१८९३ में मिस्टर वुड की सिफारिश स्वीकार की गई और उसके अनुसार शिक्षा का एक विशेष अधिकारी डायरेक्टर आफ एजूकेशन नियुक्त किया गया। १९१८ में मांटेग्यू चेम्स बोर्ड रिफार्म्स के बाद शिक्षा को प्राविन्शियल आटोनामी में दे दिया गया। १९२१ में पहली बार इन्टरमीडिग्रट ऐक्ट बना जिसमें कुल १५ क्लाजेज थे और १९२३ में सी० वाई० चिन्तामणि जी शिक्षा मंत्री बने। माध्यमिक शिक्षा में अधिकतर प्राइवेट मैनेजमेन्ट को अधिकार दिया गया। शासन को भी संस्थाएं चलाने का अधिकार दिया गया लेकिन प्राइवेट मनेजमेन्ट को प्राथमिकता दी गयी यह सोचकर कि शिक्षा सरकार द्वारा नहीं प्राइवेट बाडीज चलाये। इस विशेष आधार पर माध्यमिक शिक्षा का प्रारूप बना और फिर माध्यमिक शिक्षा का एक बोर्ड बना जिसमें हेड मास्टर, प्रिन्सिपल रखे गये तथा डायरेक्टर आफ एजूकेशन उसके अध्यक्ष बनाये गये।

१९२१ में जो प्रारूप था उसमें १९५८ में आकर संशोधन हुआ। अब आप एक छोटा सा संशोधन वेतन के बारे में लाना चाहते हैं। मैं शासन और शिक्षा मंत्री जी से सहमत हूं कि शिक्षा सरकार की नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट बाडीज के द्वारा संचालित होनी चाहिए ताकि जनता अपने ढंग से चले। यह सिद्धान्त सर्वमान्य है और ठीक है लेकिन उसके लिये कोई फोरम होना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा सरकारी और गैर सरकारी दोनों रूप में है। इसमें भी खामियां थीं तो १९५७-५८ में फिर एक संशोधन बिल आया और उसमें सदन को यह विश्वास दिलाया गया कि एक वृहत् संशोधन बिल बाद में आयेगा जिसके जरिये जहां-जहां खामियां होंगी उनमें सुधार किया जायगा।

१७, १८ वर्ष हो गये उस बिल को आए हुए और माध्यमिक शिक्षा को ९५ प्रतिशत प्राइवेट बाडीज ही चला रही है। केवल ५ फीसदी सरकारी संस्थाए होंगी हाई स्कूल तथा इन्टर-मीडिएट शिक्षा की जिनमें ९, १० लाख लड़कों में से ३, ४ हजार लड़के शिक्षा पाते होंगे। जब यह स्थिति है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि जनहित तथा इतने उपयोगी कार्य को देखते हुए कि आप एक व्यापक बिल लाते। वेतन देने केलिये जो यह बिल लाया गया है सरकार ने इसमें कहा है कि वह १ अप्रैल, ७१ से देने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके पहले के लिए विद्यालय स्वयं जिस्मेदार होंगे।

यह कहां तक उचित है जब कि सरकार उनको मान्यता दिये हुए है। जब अगर सरकार बदल जाय और विधान सभा कह दे कि पहले के वेतन के लिए तो पहली सरकार जाने, यह सरकार जब से आई है वह उसी समय के लिये जिम्मेदार है तो शासन का काम कैसे चलेगा ?

मेरा निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् सारी संस्थाओं को मान्यता देती है तो फिर सारी जिस्मेदारी १ अप्रैल, ७१ से पहले के वेतन के लिये भी इसी सरकार की होनी चाहिए। उस दिन से आपकी जिम्मेदारी है। आप उनकी सारी व्यवस्था को देखें, उनके सारे खर्चे को देखें तो ऐसे प्राइवेट इन्स्टीटयूशन्स हैं जहां से कि ९ और १० लाख लड़के निकलते हैं और आपके केवल १-२ हजार लड़के ही निकलते हैं। इस डेमोक्रेसी में आज १० लाख और २ हजार का

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--]

अन्तर हो रहा है। तो इस विधेयक से ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रजातंत्र का जो सिद्धान्त है वह उसके अनुकूल नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष--

दो रोज के अन्दर ६ विधेयक पास होने हैं। आप लोग अपने भाषण संक्षेप में कीजिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि सारे पहलुओं पर विचार करने के लिये इस विधेयक की प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत हैं उसके सम्बन्ध में मैं इस पक्ष में हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। यह विधेयक जो पेश हुआ है वह वर्तमान सरकार का बनाया हुआ विधेयक नहीं है। पिछली संविद की सरकार ने इस विधेयक को पेश किया था और एक आर्डिनेन्स भी इस सम्बन्ध में लाई थी। सन् १९६७ में हमारी पार्टी के नेता, श्री अनन्त राम जायसवाल जी शिक्षा उप मंत्री थे। उन्होंने एक लेख लिख कर यह साबित किया था कि पूरे प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों के अन्दर फीस और अनुदान से जितना रुपया आता है और जो वेतन में खर्च होता है उसके बाद भी आमदनी होती है इसलिये वेतन खजाने से देने का आदेश होना चाहिये। लेकिन उस समय संविद सरकार भंग हो गई जिसके कारण यह काम न हो सके। पिछली संविद की सरकार ने भी खजाने से वेतन देने के लिये एक आर्डिनेन्स लाई थीं उस समय वर्तमान सरकार के नेताओं और उसके प्रमुख लोगों ने कहा था कि विधेयक में जो एडेड और गैर एडेड विद्यालय हैं उनका भेद-भाव समाप्त किया जाय किन्तु उन विषयों पर वर्तमान सरकार ने यह विचार न करके यह विधेयक पेश किया है। एडेड और गैर एडेड विद्यालयों के अध्यापकों के बीच में जो असन्तोष शिक्षा जगत में व्याप्त है उस सम्बन्धमें मैं चाहूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो कि इस पर विचार करे और उसके बाद एडेड और गैर एडेड विद्यालयों में जो भेदभाव है वह समाप्त हो सके और दोनों प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों को खजाने से वेतन दिया जा सके।

दूसरी बात यह है कि जिन विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है यदि वह कायम रहेगा तो इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। अनुदान के लिये बार-बार अधिकारियों के पीछे दौड़ना पड़ेगा और मुझे मालूम है कि उस विद्यालय को अधिक अनुदान मिलती है जिसका हैडक्लर्क या प्रिंसिपल बड़े अधिकारियों को घूस देता है। इस प्रकार अनुदान की संख्या में १ हजार रु० घूस देने पर १० हजार रुपये की वृद्धि हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप ग्रान्ट देना समाप्त कर दें। फीस सरकारी कोष में जमा करा दें और पहली तारीख को अध्यापकों का वेतन सरकारी कोष से दिया जाय।

रेगुलर वेतन देने से अध्यापकों का अध्यापन में मन लगेगा, उनमें रुचि रहेगी, विद्यार्थियों का स्तर भी ऊंचा रहेगा और यदि उनको रेगुलर वेतन नहीं दिया जायगा, तो उनको पढ़ाने में मन भी नहीं लगेगा, और विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो सकेगी। जो शिक्षा की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी, नये स्कूल खुल रहे थे, स्कूल खुलने से विद्यार्थियों के पढ़ने में सुविधा मिल रही थी वह धीरे-धीरे बन्द होने लगी है, क्योंकि मान्यता नहीं मिल रही है इस वास्ते स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। अब तक मान्यता समिति की कोई बैठक ही नहीं हुई जिसके कारण कोई स्कूल नहीं खुल सके।

मेरे देवरिया जिले में, मैं जानता हूं, कि गरीब जिला है, शिक्षा में नम्बर १ का जिला है। वहां की गरीबी, शिक्षा के माध्यम से ही दूर की जा सकती है। आज वहां बहुत से विद्यालयों

में अध्यापकों का वेतन खजाने से मिल रहा है, लेकिन ४० फीसदी विद्यालयों के अध्यापकों को खजाने से पैसा नहीं मिल रहा है और जहां मिल भी रहा है वहां अध्यापकों को जो चेक दिया जाता उसमें से जबरदस्ती कटौती कर ली जा रही है। बहुत से विद्यालयों में ऐसा भी है कि वहां के मनेजर बहुत सालों से अब तक खाये-पीये हैं, वह फरजी अध्यापक और चपरासी रखे हुए हैं और उनका वेतन खुद ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने ३–४ अप्लीकेशन शिक्षा मंत्री को भिजवायीं थीं कि फरजी नाम रख करके मैनेजर सरकारी पैसे ले रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही उन पर नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा कि यह जो विधेयक है इस पर आपने विचार नहीं किया है। यह संविद की सरकार का विधेयक है। हम लोगों का कर्तव्य है कि इसको पास करना चाहिये। हम लोगों की सरकार होती और विधान सभा में यह आता तो हम संशोधन पेश करते और कहते कि गैर-एडेड और एडेड विद्यालयों का जो भेद-भाव है वह समाप्त किया जाय और अनुदान की व्यवस्था भी समाप्त की जाय और मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल को केवल पढ़वाने से मतलब है, अध्यापकों को वेतन अपने आप मिल जायगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जो मंत्री साहब हैं वे अध्यापक रहे हैं और मान्यता समिति में भी रहे हैं। मान्यता समिति में कितनी गड़बड़ी होती है, कितनी धांधली होती है इसको आप भली-भांति जानते हैं। अगर लड़के और अध्यापक हों तो उस विद्यालय को तुरन्त मान्यता दी जाय। एक इसमें बड़ी गड़बड़ी है कि पक्के ११ कमरे हों और उन्हें बनवाने में एक लाख का खर्च हो तब उनको मान्यता मिलेगी जब तक कमरे नहीं होंगे, रिजर्व फंड नहीं होगा, एंडाउमेंट फंड नहीं होगा, तब तक विद्यालय को मान्यता नहीं दी जायगी। और दे दी गयी तो एडेड और गैर-एडेड का भेद भाव कैसा? यह आपकी जिम्मेदारी है कि अध्यापक को वेतन पहली को दिलवायें। सरकारी कोष से ६० प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिनके अध्यापकों को वेतन २० तारीख को मिल रहा है, जिनको पहली को मिल जाता था अब २० को मिलता है। जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिल रहा है। ऐसे भी विद्यालयों के अध्यापक हैं जिनका ५–५, ६–६ महीनों का पुराना वेतन बाकी है, वह नहीं मिल पा रहा है और आप इस वेतन को दिलाने से इन्कार रहे हैं। आप १५ दिन की अवधि निश्चित कर दें और इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें जिससे एक अच्छा रूप बन कर आ जाय। आपने वादा भी किया है कि गैर-एडेड और एडेड विद्यालयों के भेद-भाव को समाप्त करेंगे और समय से अध्यापकों का वेतन दिलायेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पीछे भावना है उसका स्वागत करते हुए भी मैं जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिये कि सब लोग महसूस करते थे कि हमारी जो शिक्षा संस्था चल रही हैं, विशेषकर प्राइवेट सैक्टर में, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार तरीके अपनाये जाते हैं, शिक्षकों का शोषण किया जाता है, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। ये समस्यायें थीं। इनको लेकर लगातार शिक्षक आन्दोलन करते चले आये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक से क्या मैनेजिंग कमेटियों में से भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हैं, जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है क्या उसको खत्म कर रहे हैं आज भी सरकारी स्कूलों में जो वेतनमान दिया जाता है उससे कम दूसरा वेतनमान दूसरे स्कूलों में दिया जाता है। यह विधेयक शिक्षकों की उस मांग को पूरा नहीं करता है कि समान काम के लिये समान वेतन मिलना चाहिये।

यह सर्वविदित है कि आज हमारी शिक्षा संस्थायें एक व्यवसाय का रूप बन गई हैं। मैनेजिंग कमेटियां जो इनको चला रही हैं वे व्यवसाय के रूप में चला रही हैं। कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था नहीं है जो बिना सरकारी सहायता के चल सके। सरकारी सहायता के अलावा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी—]

एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं और तमाम तिकड़मबाजियां लगा कर सरकारी खजाने से जो रुपया आता है उसका भी गबन कर दिया जाता है और तब भी ये चलती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बनाकर ऐसे पीसमील सुधार करने के बुनियादी सुधार करना चाहिये। जब सरकारी रुपये से ही शिक्षा संस्थायें चल रही हैं तो विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये इससे आपके बजट में भी कोई अन्तर नहीं आयेगा। अब भी तमाम खर्चा सरकारी खजाने से हो रहा है। लेकिन उन पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। चीनी मिलों का आपने राष्ट्रीकरण नहीं किया वह तो ठीक है क्योंकि उसमें मुआवजे का सवाल है लेकिन ये शिक्षा संस्थायें तो सरकारी पैसे से चल रही हैं तो इनका राष्ट्रीयकरण किया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक की मूल भावना सही है और आप अध्यापकों को राहत भी देना चाहते हैं। लेकिन दे नहीं पायेंगे क्योंकि इसमें कुछ लूपहोल्स छोड़ रखे गये हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जायगा। आपने विद्यालय निरीक्षक को यह अधिकार दिया है कि वह जिस मैनेजिंग कमेटी को चाहें उसे मुक्त कर दें। यह ठीक नहीं है क्योंकि पहले भी मैनेजिंग कमेटी रही हैं और ये ही विद्यालय निरीक्षक रहे हैं और सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया गया और विद्यालय निरीक्षक देखते रह गये। आप इनको अधिकार क्यों देना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनको अधिकार देकर भ्रष्टाचार को उभरने का मौका दें।

दूसरा लूप होल यह है कि यह सही है कि जब यह विधेयक पारित हो जायगा तो उसके बाद वेतन की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। लेकिन अब तक का वेतन जो इनका बकाया है जिसके बारे में सदन में प्रश्न आये हैं और हम देखते हैं लगातार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि अध्यापकों को ४-६-८ महीने से वेतन नहीं मिला। जब आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो वेतन भुगतान की कौन जिम्मेदारी लेगा जो अब तक नहीं किया गया है क्या दिक्कत पड़ती है आपको। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप एक कदम उठाना चाहते हैं तो फिर उस कदम के उठाने में हिचकिचाहट क्यों है। आप क्यों नहीं कहते कि जो भी अध्यापकों का वेतन होगा उसके भुगतान की हम जिम्मेदारी लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठे कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें ऐसे लूपहोल्स रखे गये हैं कि जिनके कारण से इसका मिसयूज हो सकता है, जिसके द्वारा अधिकारों का मिसयूज हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि आप मान्यता संबंधी तमाम अधिकारों को अपने हाथ में ले रहे हैं वह इस प्रकार से कि जो सिफारिश वह करे उस सिफारिश का अनुमोदन सरकार के द्वारा कराना होगा। इस प्रकार से मान्यता संबंधी तमाम अधिकार सरकार के हाथ में आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप डिटेल में न जांय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यदि ऐसी बात है तो आप मान्यता समिति को ही समाप्त कर दीजिये। उसको रखते ही क्यों है? यद्यपि इस विधेयक की भावना सही है लेकिन जिन भावनाओं से प्रेरित होकर इस विधेयक को लाया जा रहा है वह भावना इस विधेयक से पूर्ण नहीं होती। अध्यापकों पर

जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भेद-भाव उनके साथ बरता जा रहा है, वह दूर नहीं होता। जो भ्रष्टाचार मैनेजिंग कमेटियों के द्वारा होता है वह खत्म नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय ताकि प्रवर समिति इस समस्या पर विस्तार से विचार करके एक ऐसा बिल ला सके जिससे शिक्षा समस्याओं का ठीक रूप से समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि यह ६ विधेयक जो आर्डिनेन्सों के आधार पर लाये गये हैं उनके बारे में यह फैसला हो चुका है कि आज और कल दो दिनों में उनको पास करना है। इसलिये यदि कोई महत्वपूर्ण विधेयक आपकी नजर में हो, उसके लिये अपने भाषण को सुरक्षित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हर विधेयक पर सब लोग बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, जैसा कि आपने स्वयं ही कहा.....

(श्री उदित नारायण शर्मा) राजस्व मंत्री--

श्रीमन्, मैंने आरम्भ में भी निवेदन किया था लेकिन उस वक्त माननीय उपाध्यक्ष जी ने कह दिया कि जब विचार होने लगे तब कहिये। मेरा कहना यह है कि इन विधेयकों में दो विधेयक संख्या ११ पर और संख्या १५ पर ऐसे हैं जिनकी अनुमति सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होना है और यह २२ अगस्त तक हो जानी चाहिये। क्योंकि उनकी म्याद २२ अगस्त को समाप्त हो रही है। यदि उनको प्राथमिकता मिल सके तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--

अब तो यह शुरू हो गया है। इसके बाद ले लिया जायगा।

*श्री रियासत हुसैन--

जैसा आप ने स्वयं फरमाया कि इस अध्यादेश को आज और कल में कानून की शक्ल देने के लिये माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है तो इसे प्रवर समिति को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा की प्रणाली प्रदेश के अन्दर दिन पर दिन कमर्शल बेसिस पर होती चली जा रही है इसको रोकने के लिये बहुत जल्दी ही आपको एक कम्प्रिहेन्सिव बिल की शक्ल में सदन के सामने रखना पड़ेगा।

दो बातें बड़े सोचने की हैं। एक तो जो आपने कहा कि इस वक्त अध्यापकों को तनख्वाह वगैरह वक्त पर नहीं मिलती है, तो मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के बाद भी उनको वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल पायेगी जब तक आप यह गारंटी नहीं देंगे कि आप जो भी अनुदान किसी संस्था को देंगे वह गवर्नमेंट ट्रेजरी में जायगी और अध्यापकों की तनख्वाह गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलेगी क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अभी जो वह चेक काटते हैं वह डिसआनर हो जाती है, बैंक में पैसा नहीं होता। यही कारण है, जैसा कि अभी नेगी जी ने कहा, कि पिछले महीने के बहुत से बकाये पड़े हुये हैं। फीस ली जाती है, रसीद नहीं दी जाती है बच्चों को। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिये आपको एक काम्प्रीहैन्सिव बिल की शक्ल में लाना पड़ेगा।

दूसरी चीज जो परेशान कुनिन्दा है वह यह कि मान्यता देने के बारे में इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से ले कर इलाहाबाद के बोर्ड तक फीस बंधी हुई है कि अगर इतना इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के दफ्तर में दे दें तो वहां के माफिक रिपोर्ट मिल जायंगी और इतना बोर्ड के दफ्तर में दे देंगे तो वहां से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

मान्यता मिल जायगी। और अगर नहीं देंगे तो न रिपोर्ट माफिक मिलेगी और न मान्यता दी जायगी। मिसाल के तौर पर मेरे जिला मुरादाबाद में बंगेश्वरी ब्लाक में पथरा गांव है। वहां एक जूनियर हाई स्कूल को मान्यता मिल गयी। ५६ हजार रुपये जो रिइम्बर्समेंट फंड वगैरह में होता है वह भी मिल गया, फर्जी इम्तहान भी दिला दिया। और जब यह पता चला कि यह सारा काम फर्जी है तो तहसीलदार जब जांच के लिये आये तो उन्होंने थाना आदमपुर के अन्दर यह रिपोर्ट लिखा दी कि रात को चोरी हो गयी जिसमें हमारे सारे कागजात चुरा कर ले गये, सिर्फ मान्यता वाला कागज बचा क्योंकि वह खाने पीने का जरिया था।

दूसरी तरफ भोजपुर गांव में जो मेरे क्षेत्र में है २५ हजार रुपया लोगों ने इकट्ठा किया, जिला परिषद् ने जूनियर हाई स्कूल को बढ़ा कर अपग्रेड किया, १०० बीघा जमीन भी दी और कहा कि अब इसका मैनेजमेंट जिला परिषद् ले ले, लेकिन जिला परिषद् से बराबर कहते रहे कि इसका रिकगनीशन हो जाय क्योंकि बच्चे दसवें का इम्तहान देंगे लेकिन चूंकि सेक्रेटरी वगैरह को पैसा देने का कोई सवाल नहीं उठता था लिहाजा उस स्कूल को मान्यता नहीं मिल पायी। बच्चों का क्या हाल होगा, इसका पता नहीं। ५०–५०, १००–१०० रुपये के फार्म ब्लैक बिकते हैं।

हमारे मुरादाबाद के इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ६–७ साल से वहां हैं। पता नहीं उन्होंने कोई ठेका ले लिया है मुरादाबाद का। उनके दफ्तर में क्लर्कस से हर बात की फीस बंधी हुई है कि इतना रुपया दोगे तो रिपोर्ट हक में लिखी जायगी, नहीं दोगे तो रिपोर्ट खिलाफ लिखी जायगी। अगर इंसपेक्टर आफ स्कूल्स की रिपोर्ट खिलाफ लिखी हुई है तो मैं समझता हूं कि अगर मंत्री जी भी कोशिश करेंगे तो भी वह उस रिपोर्ट को टाल नहीं सकते। क्योंकि बोर्ड है इलाहाबाद में और मंत्रीजी रहते हैं लखनऊ में और यह इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि एजूकेशन कोड की जो सारी ताकत है वह इलाहाबाद में है और प्रदेश की सरकार यहां है और इसी वजह से एजूकेशन बोर्ड में तमाम गड़ बड़ी चलती हैं। जब तक आप इलाहाबाद से इस अपने एजूकेशन बोर्ड को लखनऊ नहीं लायेंगे उस को कंट्रोल में रखना सरकार के बस की बात नहीं है। आप को इस पहलू पर सोचना होगा। मैं आपके द्वारा मांग करूंगा कि इसके लिये आप एक काम्प्रहैन्सिव बिल लायें और प्रदेश की एजूकशन प्रणाली को ठीक करें और जिस कामर्शियल बेसिस पर आज शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उसको रोकें। इस प्रवर समिति में जाने की तो जरुरत नहीं है क्योंकि कल तक इसको पास होना है और समय अधिक नहीं है और आर्डिनेन्स का समय जा रहा है और इस पर सदन की स्वीकृति जरुरी है।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस विधेयक के मूल उद्देश्य का सम्बन्ध है उससे मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य को विरोध न होगा लेकिन इस विधेयक को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार की कुल मनशा और ही है और जो नियमित वेतन की मांग प्रदेश में उठाई जा रही है, उस मांग को ठंडा करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इतना तो शासन ने इस विधेयक में स्वीकार किया है कि यह शासन की जिम्मेदारी होगी कि अध्यापकों और कर्मचारियों को समय से वेतन मिला करे लेकिन जो प्राविधान इस विधेयक में कियाजा रहा है उसमें यह है कि विद्यालय की जो शुल्क की आय है वह ८० प्रतिशत या आवश्यकतानुसार उस से अधिक ले ली जायगी और जो अनुदान यहां से स्वीकृत होगा वह विद्यालय के खाते में जमा होगा और उस रकम से वेतन भुगतान किया जायगा लेकिन अगर अनुदान और ८० प्रतिशत शुल्क से किसी संस्था का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वेतन भुगतान पूरा न हुआ तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इसका इसमें कोई प्राविधान नहीं है ।

एक चीज मैंने जरूर देखी कि एक जगह इसमें प्राविधान है कि धारा ३–४ के विधान के सम्बन्ध में जो जिम्मेदारी है उस को पूरा करने के लिये कोई कठिनाई होगी तो भुगतान संस्था की सम्पत्ति से कराया जायगा । संस्था के पास जो सम्पत्ति होती है वह एनडाउमेंट, सुरक्षित कोष, साज-सज्जा और भवन आदि की ही होती है तो क्या सकार की मंशा यह है कि यह एनडाउमेंट की सम्पत्ति, भवन और साज सज्जा को कुर्क कराया जायगा और उससे मालगुजारी की बकाया की तरह वसूल किया जायगा ? क्या आप अध्यापकों को देय धनराशि इस तरह से संस्था के एनडाउमेंट से और उनकी साज सज्जा को नीलाम करा के देना चाहते हैं ? यदि आप की यही मंशा है तो मैं कहूंगा कि जो अव्यवस्था आज स्कूलों में व्याप्त है उसे आप और बढ़ाना चाहते हैं । यदि आप इस तरह से विद्यालयों में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं तो आप इन संस्थाओं में पढ़ने वाले ८० प्रतिशत विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें क्योंकि ८० प्रतिशत से अधिक छात्र इन निजी संस्थाओं में पढ़ रहें हैं । यदि आपने यह बीड़ा उठाया है कि हम अध्यापकों का वेतन भुगतान नियमित करेंगे तो स्पष्ट रूप से कोई ऐसा प्राविधान इस ऐक्ट में कर दें कि ८० या १०० फीसदी जो संस्थाओं की आय हो, फीस द्वारा, वह सारी की सारी खजाने में जमा हो जायेगी ।

इसमें ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि आप अध्यापकों का वेतन सीधे खजानों से भगतान करावें । यदि आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो आपको सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिये । इधर उधर करके आप जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं उससे आप को सफलता नहीं मिलगी आज इन्टरमीडिएट के अध्यापकगण और मैनेजमेंट के लोग लड़ते रहते हैं । अभी हमारे भाई नेगी जी ने राष्ट्रीयकरण की बात कही लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है या किसी माननीय सदस्य की निजी सम्पत्ति नहीं है जिसका राष्ट्रीयकरण हो सके । यह तो समाज की सम्पत्ति है । और इस प्रदेश की सम्पत्ति है उसका सरकारी करण तो हो सकता है । आज इन संस्थाओं में करोड़ों-करोड़ों रुपये लगे हुये हैं जो जनता के दान और चन्दे के लगे हुये हैं । और आप यह कहते हैं कि प्राइवेट लोगों ने कुछ नहीं किया । एक-एक संस्था में उसके प्रबन्धकों और संस्थापकों ने करोड़ों-करोड़ों रुपये लगाये हैं । मैं माननीय मुं त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे चाहते हैं कि इन संस्थाओं में अव्यवस्था न फैले, एसा प्रोग्राम बनायें जिससे ग्रान्ट का कार्य खत्म किया जाय, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है । यदि आप ग्रान्ट के सिलसिले को तोड़ देंगे तो मैं समझता हूं कि आप के विभाग में काफी बचत हो सकती है और जो लोग इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स से लेकर डायरेक्टर तक लगे हुये हैं उनको दूसरे काम में लगावें । इस सिस्टम को खत्म करने से प्रशासनिक खर्चे में भी कटौती होगी और अध्यापकों के और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों के बीच झगड़े भी समाप्त होंगे । इसका पहला तरीका यह हो कि इन संस्थाओं का सरकारीकरण किया जाय ।

जहां तक सरकारीकरण का प्रश्न है एक बार नहीं अनेकों बार यहां पर प्रश्न उठे हैं कि इन्टरमीडिएट कालेज और हाई स्कूल को राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले । यदि आप में हिम्मत है तो इन सारी संस्थाओं का भार आप को लेना चाहिये, कमरों, साज सज्जा इत्यादि चीजों का इन्तजाम आपको करना चाहिये । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अध्यापकों और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को लड़ाकर आप इन संस्थाओं में अव्यवस्था ही पैदा करेंगे और जो छात्र उनमें विद्याध्ययन करते हैं उनके जीवन से खिलवाड़ करेंगे । बड़े अफसरों और बड़े नेताओं के बच्चे तो कान्वेन्ट में पढ़ते हैं । मेरे बहुत से साथियों के बच्चे भी इन्हीं कान्वेन्ट स्कूलों में पढ़ते तो जहां तक आप के लड़कों का प्रश्न है वे तो इस आप के विधेयक के अन्तर्गत नहीं आयेंगे लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में इस एक्ट को लागू करेंगे और दुव्यर्वस्था फैलायेंगे, उनके

[श्री मैनेजर सिंह---]

अध्यापकों के वेतन की कोई जिम्मेदारी न लेंगे । उसकी सुव्यवस्था की कोई कार्यवाही न करें, यह प्रदेश के साथ गद्दारी का काम होगा ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं इसी सिलसिले में कि जो माध्यमिक परिषद् को मान्यता देने का अधिकार था उसका भी अपने अपहरण किया है । बिना राज्य सरकार के आदेश के किसी विद्यालय को, किसी नये विद्यालय को या किसी विशेष विद्यालय को अतिरिक्त मान्यता नहीं दी जायगी । यह तो बिल्कुल एक तानाशाही का नौकरशाही का यह नमूना है जो आपने प्राविधान किया है । इसलिये मैं समझता हूं कि जनतान्त्रिक शासन प्रणाली में विश्वास रखने-वाले कोई व्यक्ति, और माननीय शिक्षा मंत्री जैसे व्यक्ति, के लिये इस प्रकार के काला कानून बनाने में शोभा की बात नहीं होगी । हमारे आदरणीय सदन के लिये शोभा की बात नहीं होगी ।

आप बहुत से अधिकार रखे हुये हैं । आपको गैर सरकारी लोगों पर विश्वास है---सरकार के जो लोग हैं उन पर आपका विश्वास है--आपको अपने ऊपर विश्वास है, हमारे माननीय शिक्षा-मंत्री जी तो बोर्ड के जागरूक सदस्य रहे हैं । क्या इनको अपने आप पर भी विश्वास नहीं है । आप मम्बर थे तो क्या उसमें जिम्मेदारी के साथ काम नहीं होत था । मैं मानता हूं ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शिक्षा शास्त्री हैं । इन्हीं जैसे वहां बहुत से लोग हैं जो जिम्मेदारी से काम करते हैं और सरकार से परे रह कर काम करते हैं । उसमें और भी बुद्धि-विवेक लगाते हैं । उस पर अंकुश लगानें की जरूरत नहीं समझते हैं । मैं आपका अधिक वक्त नहीं लेना चाहता और मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यापकों के वेतन के बारे में कि फीस की रकम जो मुनासिब समझते हैं वे जमा करें और उसको सीधे से बैंक से दें और वेतन भुगतान की जिम्मेदारी लें । बहुत से विद्यालयों में अट्ठारह २ महीनों का वेतन भुगतान बाकी है । जब और भी अट्ठारह महीनों का वेतन रह जायेगा तो उसके लिये क्या करेंगे । इस वेतन भुगतान की जिम्मेदारी इस अधिनियम के बनने के दिन से नहीं बल्कि जितना भुगतान आज के दिन बाकी है उस सब की जिम्मेदारी लें मैं समझता हूं कि आप इस प्रदेश के साथ और शिक्षा विभाग के साथ न्याय करेंगे और हर पहलू पर उसके गुण के अनुसार कार्य करेंगे ।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष जी, जहां तक इस विधेयक का सिद्धांत है उससे तो हमारी या हमारे दल को कोई आपत्ति नहीं है । मान्यवर, इसमें एक भेद-भाव किया गया । जहां तक हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज के अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है इन्होंने एक व्यवस्था दी, विधेयक के जरिये से । लेकिन जूनियर हाई स्कूल के जो अध्यापक या कर्मचारी हैं उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया ।

जूनियर हाई स्कूल की संख्या इस प्रदेश में अधिक है जहां कक्षा ६ से लेकर आठवें कक्षा तक शिक्षा दी जाती है और इन विद्यालयों की हालत इतनी खराब है कि वहां कम वेतन मिलता है और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है । उस भ्रष्टाचर को समाप्त करने के लिये यह जरूरी है कि इस विधेयक की सीमा बढ़ाकर जूनियर हाई स्कूल तक के लिये यह लागू कर दिया जाय । मैंने संशोधन दिया है । खंड में आयेगा तो कहूंगा और धाराओं के मुताबिक । लेकिन मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि यह विधेयक जूनियर हाई स्कूल के लिये भी लागू कर दें । क्योंकि यह समस्या जटिल हो गई है ।

जहां कानून बना हुआ है पहली अप्रैल से आज तक लागू है लेकिन कहीं यह शिकायत शासन को आई है । माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया है कि बहुत सी संस्थाओं ने तनख्वाह नहीं दी है जब कि कानून बना हुआ है कि यदि पहली तारीख को तनख्वाह नहीं दी जायेगी तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही की जायेगी लेकिन आज तक कोई भी ऐसा मुकदमा उन इन्स्टीट्यूशन्स के विनरुद्ध जो लापरवाही किये हैं या डिफाल्ट किये हैं, नहीं चलाया गया है। कानून बनता है लेकिक उसका इम्प्लीमेंन्टेशन नहीं होता। मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुनः प्रार्थना रूंगा कि इस विधेयक से जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी जिम्मेदारी शासन ले। नहीं तो इसका हाल केवल राष्ट्रीयकरण से ही होगा क्योंकि यह तो व्यवसाय सा हो गया है। जो अनुदान मिलता है, चन्दा मिलता है उसका दुरुपयोग होता है और कर्मचारियों की तनख्वाह महीनों बाकी पड़ी रहती है। तो इसकी परिधि बढ़ाने का हमारा संशोधन माननीय शिक्षा मंत्री जी मान लें।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर विवाद बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री मोहन लाल कपूर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विचार--विनिमय में भाग लिया। एक-दो चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें एक विरोधाभास है। खंड २ (ङ) में अध्यापक की परिभाषा दी गयी है और उसमें यह लिखा है--"वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवा-योजित हो"। अर्थात् जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन से किसी भी विषय के लिये अध्यापक रखा जा सकता है। अब इसके साथ ही चौथे में यह कर दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष--

जब खंडों का प्रश्न आये, तब कहें।

श्री मोहनलाल कपूर--

श्रीमन्, इनमें विरोधाभास है। डी० आई० ओ० एस० के कार्यालय में एक अजीब मामला हो गया है। जो ग्रान्ट-इन-एड है वह तो असैस होती है उसके जो कुछ नार्म्स हैं उसके आधार पर और मान्यता विषयों के आधार पर दी जाती है। इस झगड़े में अनेक स्कूलों से अध्यापकों को निकाला जा रहा है। तो एक ऐसी अजब स्थिति हो गयी है कि कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि किस आधार पर स्कूल चलेंगे। शिक्षा मंत्री जी इस पर जरूर प्रकाश डालें।

दूसरी चीज यह है कि अभी तक जो पैसा जमा किया जा रहा है वह बैंकों में जमा किया जा रहा है। जब यह योजना एस० वी० डी० में आयी, उस समय राम प्रकाश जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय सरकार का उद्देश्य यह था कि सारी फीस ट्रेजरी मेंजमा होगी और ट्रेजरी से ही वेतन वितरण होगा। लेकिन इस विधेयक में यह नहीं है। उसमें यह था कि जो अनुदान मिलने में परेशानी होती है और जो भ्रष्टचार होता है वह समाप्त हो जाता। उसमें यह था कि केवल फीस का पैसा जमा हो जाय और शेष रुपया सरकार दे दें। उससे यह उद्देश्य पूर्ण होता कि हर अध्यापक को समय से वेतन मिलता रहता। इस उद्देश्य की पूर्ति न आपके अध्यादेश से हुई और न इस विधेयक से होगी। तो मंत्री जी इस पर ध्यान दें जिससे वेतन बंटने का मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल कपूर—]

श्रीमन्, विशेष तौर से एक बात मैं बालिका विद्यालयों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कक्षा ६ से १० तक उनमें फीस नहीं ली जाती। ११–१२ में केवल ली जाती है और कक्षा ११–१२ का शुल्क, चूंकि साहित्य-कला के स्कूल हैं इसलिये बहुत कम आती है, और अनुदान उसी प्रकार के नार्म्स के आधार पर रखा गया है। ऐसी बुरी हालत है कि बालिका विद्यालयों में महीनों-महीनों वेतन नहीं मिलता है। मन्त्री जी बालिका विद्यालयों की ओर विशेष ध्यान दें और अगर कोई प्राविजन किया गया, जैसा कि हमने बताया, तब मैं समझूंगा कि इसका उद्देश्य पूरा होता है। दूसरी बात वेतन के २० तारीख को दिये जाने के बारे में है। वह बहुत ज्यादा समय है। आप जानते हैं कि अध्यापक एक अल्प-वेतन भोगी कर्मचारी है। वेतन पहली तारीख को मिलना चाहिये। वह वही समय होता है जब कि हर एक व्यक्ति लेनदेन करता है। अगर पहली तारीख को नहीं हो पाता है तो ज्यादा से ज्यादा सात या दस तारीख तक अवश्य मिलना चाहिये। आप इस प्रकार की स्थिति बना दें।

श्री अध्यक्ष—

बाकी को खंडों पर विचार के लिए छोड़ दीजिए।

श्री मोहन लाल कपूर—

एक बात मुझे पुराने वेतन के बारे में कहनी है जो कि अध्यादेश के पूर्व का है। सरकार ने उसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बालिका विद्यालयों के प्रति बड़ा अन्याय होगा। मेरा मन्त्री जी से नम्र निवेदन है कि वे पूर्व के वेतन के बारे में ध्यान दें। इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है ताकि इस समस्या की गम्भीरता पर चतुर्मुखी विचार हो सके। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यापकों का वेतन समय पर और निरन्तर मिलता रहे और विधेयक में जो कमियां रह गयी हैं वे दूर हो जायें। इस विधेयक की भावना से मेरा कोई विरोध नहीं है। इस विधेयक की भावना का हम स्वागत करते हैं और उसका समर्थन करते हैं, परन्तु उन भ्रान्तियों को दूर करने के लिये, जो कि इसमें रह गयी हैं, प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं। मुझे आशा है कि इस बात को मन्त्री जी स्वीकार करेंगे।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है और सभी की बात एक ही सी प्रतीत हुयी है। कुछ ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं जिनका उत्तर खंडवार विचार करते समय दिया जा सकेगा और उसी समय उनका उत्तर देना उपयुक्त होगा। कुछ नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाये गये हैं। मुझे एक बात से आश्चर्य है। इस विधेयक में साफ लिखा हुआ है सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और यह एक मोटा सिद्धान्त है कि एक संस्था खुलती है, उसका संचालन होता है और वह मान्यता प्राप्त करती है। बिला मान्यता प्राप्त किये कोई संस्था नहीं होती है चाहे वह बड़ी हो या छोटी। यदि कोई संस्था मान्यता प्राप्त नहीं करती है तो उसके द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट्स को दूसरी संस्थाओं में नहीं माना जायेगा और उसके विद्यार्थियों को दूसरी संस्थाओं में भर्ती नहीं किया जायगा। इसलिये प्रत्येक संस्था के लिये मान्यता प्राप्त करना लाजमी हो जाता है। जैसे ही वह मान्यता प्राप्त कर लेती है अनुदान सूची के आ जाती है। यह कहना उचित नहीं है कि भेद-भाव किया गया है। भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री रुपनाथ यादव ने भी एक बात बतायी जूनियर हाई स्कूल के बारे में।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

क्या उसी दिन से किसी संस्था को ग्रान्ट मिल जाती है जिस दिन कि वह माप्यता प्राप्त करती है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

वह दूसरा सवाल है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूं तो प्राइमरी स्कूलों का भी सवाल आयेगा और डिग्री कालेजों का भी सवाल आ जायेगा । शिक्षा क्षेत्र तो बड़ा वृहद है और विस्तृत है और तब तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी । साफ-साफ लिखा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय । दूसरा सवाल लाना, मैं समझता हूं, अनुपयुक्त होगा । बालिका विद्यालयों का प्रश्न माननीय मोहनलाल कपूर ने उठाया । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अगर इसको गौर से पढ़ेंगे अनुरक्षण "अनुदान और निःशुल्कता तथा अन्य रियायतों की प्रति पूर्ति के लिये अनुदान की समस्त धनराशि ।" तो देखेंगे कि इसमें सब कुछ आ जाता है जो कि अनुदान की शक्ल में गवर्नमेंट जमा करेगी । एक सवाल यह उठाया गया कि ८० फीसदी हम जमा कर लेगे और २० फीसदी से काम नहीं चलेगा । हम नियम बना रहे हैं। नियम बनेंगे । उसमें शुल्क की परिभाषा देंगे और उस परिभाषा में आप विश्वास रक्खें ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे विज्ञान जिसके बारे में आपको आशंका है वह नहीं रह पायेगी । संस्थायें चन्दा भी करती हैं उससे भी कार्य चल सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

यह जोर से नहीं बोलते है इसलिये सुनने में दिक्कत पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष---

जोर से बोलिये ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मेरा गला खराब है, इसलिये जोर से नहीं बोल पा रहा हूं ।

अब मान्यवर एक सवाल श्री नेगी जी ने उठाया था कि राजकीय विद्यालय और प्राईवेट विद्यालय के वेतन-मान में अन्तर है, में बतलाना चाहता हूं कि अधिकतम दोनों के एक हैं, केवल वेतन-मान में कुछ फर्क रक्खा गया है । राजकीय विद्यालय में जो लोग कार्य करते हैं, और जो प्राइवेट विद्यालय में कार्य करते है उनमें बहुत फर्क है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबकी)---

मान्यवर, मंत्री जी जो बोल रहे हैं, तो मैं उनका ध्यान खण्ड ९ के उप खण्ड (१), (२), (३) की ओर खींचना चाहता हूं । मान्यवर, इसमें यह नियम ९ के प्रविष्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री अध्यक्ष---

आपने विधेयक का खण्ड ९ या आपने विधेयक का खंण्ड ९ उपखंड (१), (२), (३) कहा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, में यह जानना चाहूंगा कि इसको समावेश करने का क्या औचित्य था ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मान्यता समिति.....

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, आप देखेंगे कि इसमें असाधारण अधिकार लिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

देख लेंगे ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यता समिति की बात पर कई सदस्यों ने कहा । मैंने प्रश्नोत्तर के समय भी कहा था कि विशेष परिस्थिति के कारण ऐसा करना पड़ा। इस बार बोर्ड आफ हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट का नया चुनाव हुआ, उसकी नई समिति नहीं बन सकी। पुरानी समिति के पास समय कम था इसलिये अध्यादेश में एक वाक्य जोड़ा गया कि जब मान्यता समिति मान्यता देगी उसी को शासन अनुमति देगा। इसका कारण यह है कि मान्यता समिति ने कहा कि हमारे पास समय कम है इसलिये हम काम नहीं करेंगे। कोशिश हमने की लेकिन समय कम था इसलिये शासन के पास कोई चारा नहीं था कि बोर्ड आफ हाई स्कूल का जो चेयरमैन को जो अधिकार है, उसको प्रयोग करके एक नई समिति बनायेंगे और मान्यतायें पूरी करायेंगे । अब यह शक करना. . . . .

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इसको मंत्री जी ध्यान से पढ़ लें ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय बहस तो नहीं होगी, जब खंड पर बहस प्रारम्भ होगी तो बहस कर लें ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मंत्री जी को शायद यह कहना है कि जो पुरानी मान्यता समिति थी वह समाप्त हो गई, इस कारण यह नया उपबंध जोड़ना पड़ा है, लेकिन इसको पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है । इसमें यह लिखा है कि चाहे मान्यता समिति बनी भी हो तब भी आपको अनुमोदन से नये स्कूल या नये विषय खोलने की मान्यता प्रदान की जावेगी ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

यह बड़ा अस्पष्ट है । मैं साफ करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने साफ कहा है ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि एक विशेष परिस्थिति में ऐसा करना पड़ा । आगे बोर्ड का संगठन होगा और मान्यता समिति बनेगी तो यह चीज जब हम अपने नियम बनायेंगे तो उसमें इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस बात की आवश्यकता न रहे । यह जो करना पड़ा यह विशेष परिस्थिति में करना पड़ा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर एक निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष—

जब हम बैठें तब आप बोलें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें कवि ने भगवान से प्रार्थना की है कि चाहे जो कुछ मुसीबत दें लेकिन कविता ऐसे लोगों के बीच में पढ़ने का भाग्य न हो कि जो समझें ही नहीं ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

यह उनकी बुद्धि की बात है । इसको वह खुद समझ लें । मान्यवर, यहां एक प्रश्न यह उठाया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार दिया है कि वह कुछ संस्थाओं को छूट दे दे । माननीय मैनेजर सिंह कह रहे थे कि कई संस्थायें ऐसी हैं जिनको वह स्वयं जानते हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपया लगा है । उनकी ही बात मैं कह रहा हूं कि इसी वजह से हमने यह अधिकार दिया है कि ऐसी संस्थाए जिनमें वेतन बराबर तीन चार तारीख तक दिया जाता रहा है उनको छूट दे दी जाय । क्या आप अच्छा समझते हैं कि ऐसी संस्थाओं पर भी कब्जा किया जाय ? मैं समझता हूं यह मुनासिब बात नहीं होगी और इसीलिये यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी संस्थाओं को मुक्त कर दिया जाय । हमने कोई बेजा बात नहीं की है । एक प्रश्न राष्ट्रीयकरण का भी आया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ समाज की मांग है और हम भी यह समझते हैं कि पब्लिक इनीशिएटिव को नहीं मारना चाहिये । जनता द्वारा बड़ी-बड़ी संस्थाओं का संचालन होता रहा है और आगे भी होता रहे, हम जनता की इस अभिरुचि को समाप्त नहीं करना चाहते । इसलिये हम राष्ट्रीयकरण के विचार से सहमत नहीं हैं । हमने जो यह किया है यही हमारा पहला कदम राष्ट्रीयकरण की ओर है और जैसे-जैसे आवश्यकता होगी आगे देखा जायगा । मान्यवर, इसम जल्दी इसलिये है कि अध्यादेशों को कानून का रूप देना है और समय थोड़ा है । विधान परिषद् से भी इसको पास होना है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदन इस पर विचार करके शीघ्र इसको पारित कर दे ।

श्री मैनेजर सिंह---

मंत्री जी ने कहा कि जब नियम बनेंगे तो उनमें ऐसा प्राविधान कर देंगे कि इसकी आवश्यकता न रह जाय । मान्यवर, जब अधिनियम में यह अधिकार सरकार में निहित हो जायगा तो नियम के अन्तर्गत कैसे हटा पायेंगे ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, कोई कानून बनाते हैं तो उसम सुधार और संशोधन भी होते रहते हैं । हम नियमों में व्यवस्था करेंगे और अगर उससे भी पूर्ति नहीं होगी तो हम संशोधन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ को प्रवर समिति में भेजा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—२

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

परिभाषायें

(क) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के संबंध में यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है और प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है किन्तु धारा १० के प्रयोजनों के लिये इसके अन्तर्गत धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिविष्ट संस्था नहीं है,

(ग) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिये निदेश दे;

(घ) किसी संस्था के संबंध में "प्रबन्धाधिकरण" का तात्पर्य प्रशासन योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है, और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसमें संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो;

(ङ) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापक से है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता की या उसकी किसी नये विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो;

(च) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता हो;

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिनके अन्तर्गत मंहगाई या अन्य भत्ता भी है;

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या २, १९२१ ।

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के, जो इंटरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में परिभाषित हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी ऐसी" के स्थान पर "बोर्ड एवं शासन से" रख दिया जाय। मान्यवर, इस विधेयक के द्वारा कुछ संस्थाओं को तो सरकार लेने जा रही है, किन्तु कुछ को नहीं लेगी। यह गलत होगा। सरकार संस्थाओं में भी विभेद करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड एवं शासन से जिन संस्थाओं को मान्यता मिली हो वे सभी संस्थायें आ जानी चाहिये। मैं समझता हूं इस विधेयक को लाने की जो मंशा है वह भी तभी पूरी होगी जब मेरा यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे। सरकार केवल उन्हीं स्कूलों को लेगी जो अनुरक्षक अनुदान पाते हैं। यह दूसरों के साथ अन्याय होगा। इसलिये सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता, इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसको स्वीकार कर लेने से सरकार के ऊपर वित्तीय भार बहुत अधिक बढ़ जायेगा। विधेयक में जो प्राविधान है, वह उचित ही है।

श्री मोहनलाल कपूर--

मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मेरा संशोधन उचित ही है। मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "किसी ऐसी" के स्थान पर "बोर्ड एवं शासन से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) में शब्द "मान्यता प्राप्त" काट दिया जाय। मान्यवर, अभी सदन के सामने यह चीज आयी कि मान्यता प्राप्त समिति के समक्ष एक हजार से अधिक दरख्वास्तें मान्यता के लिये पड़ी हुई है और ऐसी है जो सभी शर्तों को पूरा करती हैं। मान्यवर, मान्यता उन्हीं को मिलती है जिनकी पहुंच होती है, सिफारिश होती है। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को मान लेने से जो पहले वाला संशोधन है उसकी पूर्ति भी हो जायेगी। अगर मान्यता देने में देरी की जाती है तो मैं समझता हूं कि उसमें शिक्षकों की और कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है।

उसी प्रकार से यहां भी राज्य सरकार बहुत से ऐसे विद्यालयों को मान्यता शर्तें पूरी होने के बाद भी नहीं देती है। इस तरह से इसके वजह से शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाहें काफी-काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह शब्द के इस शाब्दिक संशोधन को मान लें, इससे कपूर जी की जो समस्या है वह भी हल हो जायेगी और अस्थायी मान्यता वाले जो विद्यालय हैं, उनके अध्यापकों के वेतन की जिम्मेदारी भी सरकार की हो जायेगी। माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं भी शिक्षक रह चुके हैं वे उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं इसलिये उन्हें इसे मान लेने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। यह ऐसा संशोधन है, जिससे विधेयक के उद्देश्य और मंशा में कोई बाधा नहीं पड़ती है। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति भी नहीं है। यदि आप इस वक्त इसे नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह]—

मानते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कानूनी राय ले लें, उसके बाद करें, लेकिन करें अवश्य । इससे धारा की स्प्रिट भी नहीं बदलेगी और कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी, अध्यापकों की समस्या हल हो जायेगी । इस तरह से आप व्यवस्था करेंगे तो विद्यार्थियों की शिक्षा पर अच्छा असर पड़ेगा और अध्यापकों को हड़ताल वगैरह भी नहीं करनी पड़ा करेंगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि "मान्यता प्राप्त" शब्द काट दिये जायें ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यता प्राप्त, शब्द काटने पर जो हमारा प्रयोजन है वही समाप्त हो जायेगा । ... किसी भी संस्था का संचालन होता, है, जब तक वह मान्यता प्राप्त नहीं करती है, उसको कोई संस्था मानने को तयार नहीं होता है । गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सार्टीफिकेट लेकर दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लड़के दाखिला नहीं करा पाते हैं । इस तरह से तो वह संस्था ही नहीं रह जायेगी । फिर इसमें तो सभी प्रकार की संस्थायें आ जायेंगी, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । क्योंकि इससे बहुत बड़ा वित्तीय भार भी शासन पर पड़ जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) में शब्द "मान्यता प्राप्त" काट दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत करता हूं मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) में "जिसे तत्समय-अभिदिष्ट संस्था नहीं है" निकाल कर निम्नांकित रख दिया जाय—"माध्यमिक शिक्षा-परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।" अभी तक परम्परा यह रही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की एक उप समिति-मान्यता समिति थी, वह संस्तुति करती थी और बोर्ड के डाइरेक्टर की स्वीकृति मिल जाने के बाद संस्था मान्य मानी जाती थी । अब आपने धारा ९(१) ले लिया है, उसमें मान्यता समिति की संस्तुति के बाद, डाइरेक्टर के दस्तखत के बाद वह शासन में जरूर आयेगा और अब शासन को अधिकार है उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का । अभी तक कहा जाता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् एक आटोनामस बाडी (स्वायत्त शासी) है, लेकिन जब शासन अधिकार ले रही है तो फिर इसे आपको ग्रांट देना चाहिये और अध्यापकों के सारे वेतन का उत्तरदायित्व आप पर आ जाता है ।

अब तक आप उसे स्वायत्त शासी बोर्ड कहते थे और आप कहते थे कि उसके मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तीन वर्ष में हम लेंगे । लेकिन जब आपकी स्वीकृति होगी तो आपका नैतिक और कानूनी दायित्व होगा कि जिस दिन से माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्वीकृति दे, आप स्वीकार कर लें, उसी दिन से आप को अनुदान देना चाहिये । जैसा कहा गया है माननीय शिक्षा मंत्री भी शिक्षक रहे हैं, अच्छा हो वह इसे अवश्य स्वीकार कर लें । नहीं तो मैं समझूंगा कि विरोध करना ही उनका उद्देश्य है। वह इस पर पुनर्विचार कर ले तो ठीक है । नहीं तो वह बात उलटी नाक पकड़ना होगा ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय सदस्य ने कहा कि जब कोई संस्था जिस दिन से मान्यता प्राप्त कर ले उस दिन से अनुदान देना शुरू करें । अनुदान देने के लिये केवल मान्यता ही शर्त नहीं हैं और भी शर्तें होती हैं जिन पर अनुदान देते समय विचार किया जाता है । इसलिये "तत्समय अभिदिष्ट संस्था नहीं है" रखा गया है । अगर निकाल देंगे तो वित्तीय भार और बढ़ जायगा । मैं मानने में समर्थ नहीं हूं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

बतला दें कि और क्या शर्तें होती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब तो राय लेने का समय है।

प्रश्न यह है कि २ के खंड (ख) में "जिसे तत्समय अभिदिष्ट संस्था नहीं है ।" निकाल कर निम्नांकित रख दिया जाय--

"माध्यमिक शिक्षा-परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहनलाल कपूर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) में "जिसे तत्समय" से "संस्था नहीं है" निकाल दिया जाय ।

इसमें प्रयोजन यह है कि मैंने जैसा अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा, हमारे मंत्री जी ने उसको नहीं माना, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आप केवल उन्हीं मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों को ले रहे हैं जिनको अनुरक्षण अनुदान देंगे । और अनुरक्षण अनुदान पाने वाले स्कूलों में भी धारा ५ (१) के अन्तर्गत निरीक्षक महोदय को यह अधिकार दे दिया है कि वह अनुरक्षण अनुदान वाली संस्थाओं में भी संस्थाओं को निकाल सकते हैं जिनको अपने निर्णय से यह समझते हैं कि इस प्राविधान से निकाल दें । इस प्रकार से तीन प्रकार के विद्यालय हो गये--मान्यता प्राप्त, अनुरक्षण अनुदान प्राप्त और अनुरक्षण अनुदान प्राप्त विद्यालयों में वे विद्यालय जिन्हें निरीक्षक अपने अधिकार में लेना चाहें । यह मूल भावना के बिलकुल विपरीत है । हमारे सामने समस्त स्कूल समान हैं । हम मानते हैं कि हर स्कूल में, मान्यता प्राप्त हो या अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो, जिस प्रकार प्रशिक्षित स्नातक पढ़ाते हैं जिनको १३८ रुपये मिलते हैं, हर एक स्कूल को मिलना चाहिये । मूलभूत बात यह है कि हर स्कूल में कार्य करने वाला अध्यापक और अध्यापिका बराबर है । इसलिये यह विभेद जो उत्पन्न हो गया है इससे बड़ा क्षोभ है । मेरे संशोधन से हर एक स्कूल को समानता प्राप्त हो जाती है । आप समाजवाद के बहुत बड़े हामी हैं इस लिये मैं आशा करता हूं कि इसको स्वीकार कर लेंगे । इससे अध्यापकों का बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, मैं इसे अस्वीकार करता हूं । यह भी उसी तरह का मिलता जुलता है । "तत्समय अभिदिष्ट संस्था नहीं है ।" निकाल देते हैं तो हमारे सामने वही कठिनाई होगी । हमें अपना वित्तीय भार देखना है । हमें यह रखना ही पड़ेगा । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) में "जिसे सत्समय" से "संस्था नहीं है" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नांकित शब्दों को रख दिया जाय—

(ख) "संस्था" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त संस्था से है ।

इस विषय में माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है । एक लम्बे अरसे के बाद तो शिक्षकों को राहत देने का प्राविधान किया जा रहा है । किन्तु उसमें भी विद्यालयों की तीन श्रेणियां की गयी हैं अनुरक्षण अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त और जिला विद्यालय निरीक्षक अपने विवेक से अनुरक्षण प्राप्त जिन संस्थाओं को निकाल दे वह संस्थायें ।

अध्यापकों के साथ जो असमानता का व्यवहार हो रहा है यह उचित नहीं है । सरकार अध्यापकों को जो राहत देने जा रही है उसके अनुसार हर एक अध्यापक यह अपेक्षा करता है कि सभी विद्यालय इसी परिधि में आ जायं । मैं यह नहीं समझ पाया कि जब आप मान्यता देते हैं, उसका अनुदान वहन करते हैं तो शासन के ऊपर पूरे वेतन वितरण की जिम्मेदारी आ जाती है । मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें और इस भेदभाव को समाप्त करके उनके भी वेतन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसके मानने पर यह होगा कि जिन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हुई है उनको फौरन अनुदान देना शुरू कर दें । मैं ऐसा मानता हूं कि यह ठीक नहीं है । जो हमारा प्राविधान है कि संस्था का तात्पर्य मान्यता प्राप्त संस्था से है यही उचित होगा । यह विद्यालयों के लिये भी ठीक है, शासन के लिये भी ठीक है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नांकित शब्दों को रख दिया जाय :—

(ख) 'संस्था' का तात्पर्य मान्यता प्राप्त संस्था से है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) को निकाल दिया जाय । इसमें मुख्य बात यह है कि आपने अनुरक्षण अनुदान भी रखा है और सहायक अनुदान भी किसी संस्था को देने की बात रखी है । अगर आप इन दोनों ग्रांट्स को स्वीकार करते हैं तो यह संभव है कि २,४ वर्ष के बाद जो अनुरक्षण अनुदान देते हैं वह बोझ हो जाय और ऐसी सहायता जो दी जाती है वह वैसी न रहकर बोझ हो जाय । इसलिये मैंने इस उपखंड को निकाल देने की बात कही है कि इसको निकाल दिया जाय तो अच्छा रहेगा ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इस उपखंड को निकाल देने पर माननीय सदस्य विचार करें कि क्या वह संस्थाओं के अनुकूल होगा । जो अनुरक्षण अनुदान की परिभाषा है वह अनुरक्षण अनुदान शासन देता है । इसको निकाल देने से वह अनुरक्षण अनुदान नहीं रहेगा । जो सहायता उनको करना चाहते हैं वह भी नहीं रहेगी । इसलिये मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं यह प्रस्ताव आपकी आज्ञा से करता हूं कि खंड २ (ङ) में दूसरी पंक्ति के शब्द "जिसके" से लेकर छठी पंक्ति के शब्द "सेवा आयोजित हो" तक पूरा हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जो इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम के अनुसार नियुक्त हो"

इसमें अध्यापकों की परिभाषा बदली गई है । इससे पूर्व जो हमारा अधिनियम है उसमें अध्यापकों की परिभाषा दूसरी है । इसमें से जिला विद्यालय निरीक्षक, अनुदान और सहायता अनुदान उन सब को हटाकर इसको रखने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी । मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वह पूरा न होगा । इसलिये मेरा कहना है कि जो विवाद बाद में पैदा हो जाते हैं उसमें अध्यापकों को बड़ी परेशानी होगी । इसलिये जो हमारे नियम बने हैं उनके आधार पर ही अध्यापकों की परिभाषा को मानें । यही निवेदन मुझे मंत्री जी से करना है ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं यदि ऐसा कर दिया जाय तो अध्यापकों की दो श्रेणियां हो जायगी । उससे शासन को बड़ा नुकसान होगा । इसलिये जो अध्यापकों की परिभाषा इसमें दी हुई है वही मान्य है । उससे अध्यापकों का लाभ होगा । संस्थाओं का भी लाभ होगा और सरकार का भी लाभ होगा । इसलिये मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ (ङ) में दूसरी पंक्ति "जिसके" से लेकर छठी पंक्ति के शब्द "सेवा आयोजित हैं" तक पूरा हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"जो इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम के अनुसार नियुक्त हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (ङ) एवं (च) भाग में अनुरक्षण अनुदान के स्थान पर "माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त" रख दिया जाय ।

इसके पीछे भावना वही है जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर सरकार की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से होनी चाहिये अनुदान देने के लिये इस संशोधन पर, लिहाजा सरकार विचार करे ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है वह जो मापदंड निर्धारित हैं उनके अनुसार अनुदान दिये जाते हैं । अगर माननीय सदस्य का संशोधन मान लिया जाता है तो जितने भी कमचारी ये संस्थायें रख लेंगी और उसी अनुपात से उनको अनुदान भी देना होगा, जो नियमानुसार नहीं होगा । इसलिये मैं इसे नहीं मान सकता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २(ङ) एवं (च) भाग में अनुरक्षण अनुदान के स्थान पर "माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया या और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

३—(१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुये भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा ।

(२) वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किया जायेगा ।

श्री मोहनलाल कपूर—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "बीसवें" के स्थान पर शब्द "दसवें" रख दिया जाय । श्रीमन्, अपने राज्य में जितने भी कार्यालय में यह परम्परा है कि उनमें पहली तारीख को वेतन बट जाता है लेकिन विद्यालयों में अनियमित रूप से वेतन बटता है । मंत्री जी ने अब प्राविधान किया है कि २०वें दिन वेतन मिल जाय । यह बहुत लम्बी अवधि है । वेतन मिलना तो पहली ही तारीख को चाहिये था अध्यापकों को लेकिन पहली तारीख में अगर कठिनाई है तो १० वें दिन वेतन अवश्य बंट जाना चाहिये । क्योंकि अध्यापक अल्पवेतन भोगी हैं इसलिये मेरा संशोधन मान लिया जायगा ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को भी नहीं मान सकता । इसलिये कि विद्यालयों में फीस १५ तारीख को ली जाती है, एक दो दिन खजाने में उसको जमा करने में लग जाते हैं । इसीलिये २०वां दिन रखा है ताकि सरकारी अनुदान तथा फीस दोनों ही उस खाते में इकट्ठा हो जायं और उसका भुगतान कर सकें । चूंकि हम फीस १५ तारीख को लेते हैं इसलिये २० तारीख तक वेतन देते हैं । अतः मैं इस संशोधन को नहीं मान रहा हूं ।

श्री मोहनलाल कपूर—

फीस पहले जमा करने का आप प्राविधान कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "बीसवें" के स्थान पर शब्द "दसवें" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उप खंड (१) की तीसरी पंक्ति में जो शब्द "बीसवें दिन" हैं उसे काट दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "दूसरे सप्ताह" लिख दिया जाय । मान्यवर, जो इस तरह से संशोधन होगा उसकी शक्ल आप देख लें । उसके आगे जहां उन्होंने २० वें दिन दिया है उसमें दूसरे सप्ताह के लिये मैंने संशोधन दिया है । मान्यवर, पहली तारीख से और १४ तारीख तक फीस लेना शुरू हो जाता है । दूसरे सप्ताह कर देने से न २० वें दिन होगा, न १० वें दिन होगा । सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि ३१ तारीख को उनके पे बिल बन जाते हैं और उनको वेतन दे दिया जाता है । दूसरों को वेतन देने में इतना विलम्ब हो तो विरोध उससे हो जाता है । इसलिए मेरा जो यह संशोधन है वह लीगल भी है और मौरल का भी है । ऐसा कर देने से रीजनेबुल भी हो जायेगा । मैं दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे जल्दी में इसे पास न करवायें । हमारा यह कर्त्तव्य नहीं होना चाहिये । हम अगर जल्दी में इसे पास कर देंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा । यदि आप १० वें दिन या महीने के पहले दिन नहीं करते हैं तो दूसरे सप्ताह तो उसमें कर ही सकते हैं । ऐसा करना औचित्य की बात होगी और मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसे अवश्य मान लें और अध्यापकों के प्रति कुछ उदार हो जायं ।

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, जितने भी वेतन भोगी कर्मचारी हैं उन सबको ३१ तारीख को वेतन मिल जाता है, वह कैसे मिलता है ? इसका आभास हमको भी है और माननीय मंत्री जी को भी है । मैं चाहता हूं कि इसमें दिनों की या दिन की शर्तें बिलकुल न रखी जाय और हर स्कूल में पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू कर दिया जाय । उनको ही २० वें दिन क्यों वेतन दिया जाय और कर्मचारियों को पहली को दिया जाय, यह जो कठिनाई है उसे दूर करना चाहिये । मैं अनुरोध करूंगा कि फीस तो पहली से लेकर पंद्रह तारीख तक ली जाती है । अतः आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे अध्यापकों और कर्मचारियों को जो उस स्कूल में कार्य करते हैं, उनको वेतन शीघ्रातिशीघ्र मिल सके. . .

श्री अध्यक्ष—

आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं ?

श्री भगवती सिंह विशरद—

जी हां, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं और मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे यहां पर पेमेंट आप वेजेज ऐक्ट लागू कर दें तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक थोड़ी सी सफाई कर देना चाहता हूं । सवाल इसमें इतना है कि एक महीने की तनख्वाह मिलती है । अगर पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है तो फिर अगली पहली को मिलती है । कठिनाई जो है वह सिर्फ पहले महीने की है । अगर अप्रल के बाद से इसको लागू करते हैं तो अप्रैल में जरा कठिनाई होगी—शुरू महीने में । उसके बाद तो २० तारीख को मिलेगी, फिर अगली २० तारीख को । तो अन्ततोगत्वा आखिर में फर्क नहीं पड़ता, समय उतना ही लगता है । पहले की ही कठिनाई है । इसीलिए रखा गया था कि पहली अप्रैल से लागू हो गयी । पहले अप्रैल में २० तारीख को उसके बाद हर महीने चलता रहेगा—मई, जून, जुलाई, अगस्त । दिक्कत यह है कि आपका कानून तब से लागू हो रहा है । वैसे तो लड़के फीस पहली से ही जमा करनी शुरू कर देते हैं लेकिन अमूमन

[श्री अनन्तराम जायसवाल--]

१५ तारीख को करीब-करीब सब दे देते हैं। उसके बाद उसका ८० फीसदी बैंक में जमा हो जाना चाहिए और तब सरकारी अनुदान मिलकर वेतन वितरण होना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था की गयी है। इसलिए यह शंका निर्मूल है। पहले अप्रैल के महीने में ही दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिये इस संबंध में आप लोगों ने जो संशोधन दिया है उसको वापस ले लिया जाय।

श्री भगवती सिंह विशारद--

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट लागू कर दें। अगर हर विद्यालय में लागू कर दें तो मंत्री जी को जरा भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इनका विभाग जो निर्जीव है वह भी ठीक हो जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, कहीं कानून नहीं है कि फीस १५को ली जाय, पहली को भी ले सकते हैं। जायसवाल जी ने कहा कि २० को ही महीना हो जाता है। लेकिन महीना तो पहली से शुरू होता है, उसको बाद में क्यों ले जा रहे हैं। फिर भी दूसरे हफ्ते में भी मिल जाय तब भी गनीमत है। इसके बावजूद कहते हैं कि और समय बढ़े। आपने देखा होगा आगे की धाराओं में ३ महीने, ४ महीने तक उनको झुला सकते हैं तनख्वाह के मामले में। इसलिए ठण्डे दिल से देखें कि जब कि वाजिबी है पहली तारीख को तो फीस जमा हो या न हो, आप ला बना सकते हैं कि पहली से १ हफ्ते के अन्दर फीस ले ली जाय और दो हफ्ते में जमा कर दें और देय हो जाय। तो इस तरह से दो सप्ताह वाली बात बहुत रीजनेबिल है और इसको मंत्री जी अवश्य मान लें और उधर के पक्ष वालों से प्रार्थना है कि इसको पास करें।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मैं अभी अभी जेल से छूट कर आया हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...

श्री अध्यक्ष--

उनका जवाब हो गया।

श्री राम गोपाल सण्ड--

बस एक बात सुन लें कि मार्च में अनुदान आ जाता है और जून, जुलाई का भी अनुदान दे दिया तो पहली को ही वेतन दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करें कि ५ तारीख तक हर अध्यापक को वेतन दे दिया जाय, इसीलिए यह संशोधन रखा गया है। २० तारीख तक तो पौने दो महीने हो जाते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ की भी यही मांग है कि ५ तक तनख्वाह मिल जाय।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, यह संशोधन भी वसा ही है जैसा कपूर साहब ने रखा था और मैंने उसका भी विरोध किया था, उसी बुनियाद पर इसका भी विरोध करता हूं और माननीय जायसवाल साहब ने अपील भी की है संशोधन वापस करने की मैं भी अपील करता हूं कि संशोधन वापस ले लें और इसे ऐसा ही पास करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ के उपखण्ड (१) की तीसरी पंक्ति में जो शब्द "बीसवें दिन" हैं उसे काट दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "दूसरे सप्ताह" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३(१) के अन्त में निम्नांकित टिप्पणी जोड़ दी जाय--

"यदि ३१ मार्च, १९७१ के पूर्व का कोई वेतन अवशेष हो तो उसे शिक्षा विभाग दिलाने की व्यवस्था करेगा ।"

मान्यवर, माननीय कमलापति जी ने जब मुख्य मंत्री पद का भार लिया था उसके बाद रामजी लाल जी सहायक शिक्षा मंत्री हुए तो श्री बी० के० आर० बी० राव ने एक लेख लिखा मुझे अवसर हुआ था उसे देखने का । उन्होंने उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश "सिक स्टेट आफ इंडिया" है--भारतवर्ष का एक रोगी राज्य है । जैसे अठारहवीं शताब्दी में टर्की यूरोप का सिकमैन था । इसको ठीक करने के लिए आपके पास क्या दवा है । अगर कोई संशोधन आयेगा और आपकी यह दृष्टि होगी कि विरोध से यह संशोधन आया, विरोध करेंगे तो आपकी मंशा पूरी नहीं होगी । माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के वेतन के लिये आपने व्यवस्था की है कि बैंकों से दी जाय तो आपने यह बड़ी कृपा की है । अब आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । हमारी और आपकी सबकी भावना एक ही है । पहली अप्रल से पूर्व वह अध्यापक नहीं रहेगा इसलिए कि उसके पहले का उसे वेतन नहीं देना है । उनको वेतन मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय, खेर कमेटी आपकी अध्यक्षता में बनी थी । उस समय उसने कहा था कि ६० प्रतिशत प्राइमरी एजूकेशन पर और ५० या ५५ प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर लगाया जाय । पंजाब और मध्य भारत में दसवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है ।

हमारे मंत्री जी बड़े प्रगतिशील हैं । मैं भी मंत्री जी के साथ रहा हूं । हम सब भुक्त भोगी हैं । मैं निवेदन करूंगा कि पहली अप्रल से पहले का बकाया वेतन दिया जाना चाहिए । २/४ लाख लग जायेगा लेकिन बकाया सब खत्म हो जायगा और अध्यापकों को बड़ी राहत मिलेगी । फिर आगे की व्यवस्था तो आप कर ही रहे हैं । शिक्षा पर जितना प्रदेश खर्च कर रहा है अन्य प्रदेशों के मुकाबले में उसका परसेन्टेज बहुत कम है । ऐसे अवसर पर जब आप यह विधेयक लाये हैं और हमारे अध्यापकों के भाग्य का आप निबटारा करने वाले हैं तो इसको स्वीकार करने की कृपा करें । मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है आशा है कि मंत्री जी उस को स्वीकार करने की कृपा करेंगें ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, विधेयक में प्राविधान है कि राज्य सरकार की प्रत्येक संस्था के अध्यापक और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये सरकार उत्तरदायी होगी जो इसके पश्चात् देय होगा । लेकिन माननीय पहले के वेतन की बात कह रहे हैं । इसमें २, ४ लाख की बात नहीं है बल्कि इतना वित्तीय भार शासन वहन नहीं कर सकता है । इसलिए मैं माननीय सदस्य के संशोधन को नहीं मानता हूं ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

वह जरा बता दें कि कितना भार पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप ही अन्दाजा लगा लें ।

प्रश्न यह है कि खण्ड ३(१) के अन्त में निम्नांकित टिप्पणी जोड़ दी जाय--

"यदि ३१ मार्च, १९७१ के पूर्व का कोई वेतन अवशेष हो तो उसे शिक्षा विभाग दिलाने की व्यवस्था करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वकृति हुआ ।)

खण्ड ४

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

४--निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तगत रजिस्टर, लेखा बही तथा बाउचर भी हैं) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण के ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

श्री कल्याणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड ४ की पांचवी व छठवीं पंक्तियों में से निम्नांकित शब्द निकाल दिये जाएं--

"किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा"

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाकर जहां पर एक ओर सरकार ने अध्यापकों को राहत दी है वहां दूसरी ओर उनके सिर पर कच्चे धागे में तलवार लटका दी है । मैं आपका ध्यान खण्ड ४ की ओर दिलाना चाहता हूं । जहां तक जिला विद्यालय निरीक्षक के अधिकारों का सवाल है वहां पर कहा गया है--

"निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी संस्था का नरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा बाउचर भी है) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिये कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोक रोकने के लिये कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे"

(इस समय ३ बज कर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जब किसी विद्यालय में किसी भी अध्यापक की नियुक्ति की जाती है तो वह नियुक्ति तब तक वैध नहीं समझी जाती जब तक उसका एप्रूवल जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं कर देता है । फिर भी यदि किसी विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण ने किसी अध्यापक को सरप्लस रख लिया है तो उसमें उस अध्यापक की कोई गलती नहीं है । कसूर तो मैनेजमेन्ट का है । अब जुर्म कर रहा है मैनेजमेन्ट और सजा दी जा रही है अध्यापक को या कर्मचारी को । इसलिये अगर यह अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को दे दिया गया तो मैनेजमेन्ट अपने प्रभाव से किसी भी अध्यापक को निकलवा देगा, किसी भी गरीब अध्यापक को सरप्लस घोषित कर देगा । इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस खण्ड में से अध्यापक और कर्मचारियों की छटनी वाली बात को निकाल दिया जाय । बाकी अगर प्रबन्धाधिकरण अनावश्यक व्यय करता है तो उसको रोकने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को होना

चाहिये । अगर आप इस संशोधन को मान लेंगे तो प्रदेश के अध्यापक और कर्मचारी इस बात के लिये आश्वस्त हो जायेंगे कि इस विधेयक में उनकी सेवा की गारंटी भी सन्निहित है ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

श्रीमन्, अनुदान दिये जाने के नियम हैं उन नियमों में ऐसा है कि विषय वार इतने अध्यापक या कर्मचारी रखे जायेंगे लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि मैनेजमेन्ट किसी के प्रभाव में आकर कुछ ऐसे भी अध्यापक रख लेता है और कर्मचारी भी रख लेता है जिनके लिये अनुदान नहीं दिया गया है । ऐसी हालत को रोकने के लिये यह अधिकार रखा गया है और यह कहा गया है कि जिन लोगों के लिये अनुदान नहीं दिया गया है उनको वह निकाल देगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड में यह प्राविधान पहले से मौजूद है कि अगर किसी असिस्टन्ट टीचर की नियुक्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति ली जानी चाहिये और प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिये डिप्टी डाइरेक्टर की अनुमति लेनी चाहिये । इसके रहते हुए जो यह प्राविधान किया जा रहा है वह रिडंडेन्ट है । अगर आपकी जानकारी में ऐसी बात आती है कि कोई ऐसा रख लिया गया है तो आप उस अधिकारी के खिलाफ जिसके कार्यकाल में ऐसा हुआ है, ऐक्शन ले सकते हैं । इसलिये यह खण्ड रिडंडेट है ।

श्री कल्याण सिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में सही ही कहा कि मैनजमेन्ट किसी के प्रभाव में आकर अधिक नियुक्ति कर लेता है । इससे तो मेरी ही बात की पुष्टि होती है । जब मैनेजमेन्ट सरप्लस एप्वाइन्टमेन्ट करता है तो कसूर तो उसका ही है, अध्यापक का तो है नहीं । फिर उस गलती की सजा आप अध्यापक को क्या दे रहे हैं, या कर्मचारी को क्यों दे रहे हैं । यह तो सामान्य न्याय की परिधि के बाहर की बात हो जाती है । जब किसी अध्यापक की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक या प्रधानाचार्य की नियुक्ति डि० डाय० के अनुमति के बिना नहीं होती फिर सरप्लस नियुक्ति किस प्रकार से हो जायगी । बेकार तो अपनी एप्लीकेशन सभी जगह देता है । इसलिए जो गलती करे उसी को सजा दी जानी चाहिये । अतः मैं मंत्री जी से फिर प्रार्थना करता हूं कि इसमें से अध्यापक और कर्मचारियों की छटनी वाली बात को निकाल दिया जाय नहीं तो मैनेजमेन्ट जिला विद्यालय निरीक्षक से मिल कर पुराने अध्यापकों को सर लस दिखाकर निकलवा देगा ।

इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक हाथ से तो राहत देने जा रहे हैं और दूसरे हाथ से बड़ी निर्ममता के साथ गरीब अध्यापक के सिर पर कच्चे धागे में नंगी तलवार लटकाना चाहते हैं जिससे कभी भी उसकी सेवा की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी । इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस खण्ड के इन शब्दों को निकाल दें । इससे सरकार को कोई क्षति होने वाली नहीं है ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, ऐसी भी शिकायत शासन के पास आती हैं कि प्रिंसिपल डिसएप्रूव है लेकिन फिर भी लगा हुआ है । अध्यापक की पोस्ट सैंकशन्ड नहीं है लेकिन फिर भी वह लगा हुआ है । ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का होता है वह अधिक तादाद में लगे रहते हैं । तो अनुदान देने के नियमों के अनुसार शासन को अधिक देना पड़ता है । हम तो संस्था का अनुदान काटते हैं । यह फिर बार-बार लिखते हैं । तब उनसे कहते हैं कि इनकी छटनी कीजिये । तो जो रखने वाले हैं वह छटनी करते हैं इसलिये मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ की पांचवीं व छठवीं पंक्तियों में से निम्नांकित शब्द निकाल दिये जाएं --

"किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

५--(१) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशा में निरीक्षक बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, परिचालित किया जायगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है ।

(२) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या यदि निरीक्षक वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिये निदेश दे तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे, उक्त लेखों में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाय तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

(३) अनुरक्षण अनुदान और निःशुल्कता तथा अन्य रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान की समस्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायगी ।

(४) उक्त लेखों में जमा की गई धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये, नहीं किया जायगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना,

(ग) कोई अन्य व्यय जिसके लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी निदेश दें।

(५) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो, तो चेक द्वारा किया जायगा।

(६) किसी ऐसे स्थान के संबंध में जहां कोई अनुसूचित बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिये अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिये अभिदेश समझे जायेंगे।

श्री कल्याणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"खण्ड ५ के उपखण्ड (१) की प्रथम पंक्ति में अंकित "प्रत्येक संस्था" तथा "का प्रबन्धाधिकरण" शब्दावली के मध्य निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जाएं—

"जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाएं भी सम्मिलित हैं"।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा में एक प्रश्न किया था जिसके लिखित उत्तर म सरकार ने मुझे बताया है कि इस विधेयक की परिधि के अन्दर वह संस्थाएं नहीं आतीं और उन संस्थाओं के अध्यापक अथवा कर्मचारी भी नहीं आते जो स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हैं। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने प्रदेश में एक परिपत्र जारी कर के प्रान्त के सब जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिया कि जो संस्थाएं स्थानीय निकायों के द्वारा संचालित हैं उनके प्रबन्धाधिकरण को सह खाता खोलने की अनुमति न दी जाय। अब तक तो केवल तीन प्रकार के विद्यालयों की श्रेणी चालू थी और इससे अब चौथे प्रकार की श्रेणी और आ गयी। कदाचित मंत्री जी को यह गलतफहमी हो गयी हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा जो संस्थाएं चलती हैं वहां के अध्याकों और कर्मचारियों को वहां के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन दे दिया जाता है। किन्तु अगर वह प्रान्त का सर्वेक्षण करायेंगे तो यह पायेंगे कि ५० प्रतिशत वह संस्थायें जो स्थानीय निकायों द्वारा चलायी जाती हैं वहां के अध्यापकों को ६-६, ७-७ महीने तक का वेतन नहीं दिया गया है। तो जहां आप अध्यापकों के साथ यह न्याय करने जा रहे हैं कि उनका वेतन नियमित रूप से मिले वहां आप इतनी कृपा और करें कि इस विधेयक में स्थानीय निकायों की संस्थाएं भी जोड़ दी जाएं। मैं नहीं समझ सकता कि किस तर्क के आधार पर स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाओं को छोड़ते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस संशोधन के मानने पर वह संस्थायें जोस्थानीय निकायों द्वारा चलायी जाती हैं इसकी परिधि में आती हैं लेकिन आगे हमारे इसी विधेयक में धारा १३ के मातहत यह प्राविधान है

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित, भारत सरकार द्वारा संचालित और राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय इसकी परिधि में नहीं रखे जायंगे । क्योंकि वह प्राविधान मौजूद है इसलिये यहां पर इसको मानने की आवश्यकता नहीं । मैं इस संशोधन का इस कारण से विरोध करता हूं ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जिस खंड १३ का उल्लेख किया है उसमें लिखा है "कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।"

मैंने भी अपने संशोधन म इन संस्थाओं का जिक्र नहीं किया है जो रेलवे प्रशासन द्वारा या औद्योगिक उपक्रम द्वारा जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो । मैंने तो केवल स्थानीय निकायों की सस्थाओं की बात कही है । रेलवे बोर्ड या औद्योगिक उपक्रम आदि के बारे में तो हम आश्वस्त हैं कि उनके द्वारा संचालित सस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से वितरित होता है । लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जो स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सस्थायें हैं उनके ५० प्रतिशत स्कूलों में ५--५ और ६--६ महीने तक वेतन नहीं मिलता है और उनके वेतन दिलाने की प्रणाली का कहीं उल्लेख नहीं है । यदि स्थानीय संस्थाओं का प्रबन्ध नहीं किया गया तो इससे वहां के अध्यापकों में बड़ा असन्तोष फैलेगा । उनको शामिल न करके आप स्थानीय निकायों के अध्यापकों को विवश कर रहे हैं कि वह भी आन्दोलन करें और तब सरकार माने ? इस प्रकार आप सत्याग्रह और आन्दोलन करने की परम्परा को चला रहे हैं । आप की यह नीति अच्छी नहीं है कि जब सत्याग्रह, आन्दोलन और तोड़-फोड़ होती है तब आप मानते हैं । किसी उचित मांग को मानना हर विवेकशील व्यक्ति का काम है, हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी एक विवेकशील व्यक्ति हैं वह इसकी परिधि में स्थानीय निकायों को अवश्य ले लेंगे ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, शासन के पास, स्थानीय निकायों द्वारा जो संस्थायें चलाई जा रही हैं उनके बारे में कोई शिकायत वेतन वक्त से न मिलने के बारे में नहीं है जब कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसी शिकायत रहती थी । हमने गैर सरकारी संस्थाओं को इसमें रखा है और जब वहां कोई शिकायत नहीं तो उनको इस की परिधि में लेना उचित न होगा । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खड ५ के उपखड (१) की प्रथम पंक्ति में अंकित "प्रत्येक संस्था" तथा "का प्रबन्धाधिकरण" शब्दावली के मध्य निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायं—

"जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाएं भी सम्मिलित हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खड ५ के उपखण्ड (१) की दूसरी लाइन में "शब्द लेखा खोलेगा जो" के आगे और "प्रबन्धाधिकरण" के पहले शब्द "अध्यापक" जोड़ दिया जाय ।

इस खण्ड ५ म यह कहा गया है कि एक मुश्तरका खाता निरीक्षक के और मेनेजमेंट के नाम से खुलेगा और आगे इसमें दिया है कि जब कभी निरीक्षक समझेगा तो वह ज्वाइन्ट एकाउन्ट को केवल मैनेजमेंट के नाम कर देगा और जिन कारणों से शिकायत मिलेगी फिर वह रिपीट हो जायगी। इस तरह से धारा ५ में जो प्राविजो दिया है वह भी विधड़ा हो जाता है। यह प्राविजो इस प्रकार है कि लेखा खोले जाने के पश्चात निरीक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है।" इसमें फिर उसी को इस में अधिकार दे दिया गया है। यदि इसमें अध्यापक भी जोड़ दिया जाय तो उनके हितों की भी रक्षा हो जाय और प्रिंसिपल व हेड मास्टर का नाम भी जुड़ा रहे। जहां दो हो रहे वहां एक और जोड़ दिया जाय। यह एक शाब्दिक सशोधन है और मेरी प्रार्थना है कि इसको मान लिया जाय वरना फिर शिकायतें आती रहेंगी और अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। हर हालत में जनहित में होगा अगर अध्यापक और प्रिंसिपल के नाम से भी एकाउन्ट खुल।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

कोई भी अध्यापक संस्था का वतन भोगी होता है। मैनेजमेंट चन्दा मांग कर लाता है तो उसके स्थान पर अध्यापक रखना बिलकुल उचित है ही नहीं, यह बिलकुल नामुमिकिन है। हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक और मैनजमेंट दोनों मिलकर खाता खोलेंगे और दोनों ही मिल कर उसमें से धनराशि निकाल कर अध्यापकों के वेतन का वितरण करेंगे। इस लिये मनजमेंट को निकाल देना और अध्यापक का रखना उचित नहीं है, मै इसका विरोध करता हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

विद्यालय निरीक्षक भी तो वेतन भोगी है। तो प्रिंसिपल, जिसके हित के लिये आप कानून बना रहे हैं। उसमें क्यों नहीं रखते हैं? यह कौन सा तरीका है मेरी समझ में नहीं आता है और मेरा अब भी विचार है कि इसमें आप को अध्यापक और प्रिंसिपल रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

विद्यालय निरीक्षक शासन का वेतन भोगी है स्कूल का नहीं। जो उस स्कूल में अध्यापक है वह कसे प्रबन्धक हो सकता है। हमारे विधान में भी है कि वह तो प्रबन्धक हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की दूसरी लाइन म शब्द "लेखा खोलेगा जो" के आगे और" प्रबंधाधिकरण" के पहले शब्द "अध्यापक" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ५ के उपखड (१) का प्रथम प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह]

मान्यवर, यह प्रतिबन्ध इस प्रकार है "प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है ।

यह सदन को विदित होगा कि जब इससे पहले की सरकार थी जिसमें श्री श्रीपति मिश्र शिक्षा मंत्री थे तो इस सम्बन्ध में जब सदन में मांग उठायी गयी थी तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम तमाम विद्यालयों के बजाय केवल ऐसे विद्यालयों के खाते खोलेंगे जो हैबीचुअल डिफाल्टर्स हैं । और उसका सदन में विरोध किया गया था आज मंत्री महोदय जो एक चीज एक तरफ से दे रहे हैं उसे दूसरे हाथ से वापस ले रहे हैं । लेजिस्लेचर को पाबन्दी लगानी पड़ रही है सरकार के ऊपर कि वे इस प्रकार से बैंक के जरिये से अध्यापकों के वेतन के भुगतान का प्रबन्ध करें लेकिन इतना व्यापक अधिकार केवल एक जिला विद्यालय निरीक्षक को दे दें कि वह किसी मैनेजमेंट को अकेला खाता आपरेट करने की आज्ञा दे दे । तो यहां पर जो शब्द दिये गये हैं वे स्पष्ट नहीं हैं । किन परिस्थितियों में आप जिला विद्यालय निरीक्षक को ऐसी पावर्स दे रहे हैं । इनका यहां पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है । केवल इतना लिखा गया है कि यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है ।

इसमें कोई गाइड लाइन्स नहीं हैं । इसलिये यह जो डेलीगेशन्स आप कर रहे हैं इससे बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी गाइड लाइन उन्हीं मैनेजमेंट के हाथ में आप डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को अधिकार देते हैं जिनके यहां अपना खाता ज्वाइन्ट एकाउन्ट में चल रहा है । डिस्ट्रिक्ट इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स को पावर है कि वह बिना किसी गाइड लाइन के मैनेजमेंट के इस खाते को आपरेट करें । मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं । एक तरफ से आप देने जा रहे हैं अध्यापकों के हित में दूसरी तरफ से आप अध्यापकों से ले रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री मोहन लाल कपूर—

मंत्री जी से इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है कि इस प्रकार से बहुत से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले हैं और जिनको अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करना है उसके बाद जो विद्यालय निरीक्षक हैं, वे उनके निर्णय पर फिर भेद उत्पन्न कर दे । अभी मेरठ विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जाने का मुझे मौका मिला । वहां पर इस प्रकार की चर्चा थी कि अगर कोई डैफिसिट है और किसी प्रकार का रुपया जो वेतन काटने में डैफिसिट में आयेगा वह केवल उन विद्यालयों को मिलेगा, जिनका संयुक्त खाता होगा और जनका नहीं होगा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी प्रबन्धक की है इस लिये उनकी कोई कमी होती है तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती । तो इस प्रकार से यह एक अजीब बात हो जायेगी कि संयुक्त खाते वालों की जो कमी होगी वह तो राज्य सरकार पूरा करेगी लेकिन जो प्रबन्धक के द्वारा खाते खोले जायेंगे उनके वेतन की कमी को राज्य सरकार पूरा नहीं करेगी । यह बड़ा भय है । यह बात लागू भी हो गई है । अगर आप उत्तर दें तो इसका भी स्पष्टीकरण कर दें । अगर कमी होती है अनुरक्षण प्राप्त करने वाले विद्यालय में, कोई भी हो, संयुक्त खात का या प्रबन्धाधिकरण खाते का तो दोनों को करेंगे तो ठीक है ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इस प्रतिबन्ध के निकाल देने पर कोई विशेष लाभ होने को नहीं है बल्कि इसके रहने में लाभ है । बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं और उनके ऐसे मैनेजमेंट हैं जिनका वेतन वितरण समय पर हो जाता है, पहली तारीख को हो जाता है । उनकी वित्तीय स्थिति भी बहुत

अच्छी है। तो ऐसी संस्थाओं का जिनका संचालन अच्छी प्रकार हो रहा है वहां के मनेजमेंट को अगर हमारा विद्यालय निरीक्षक समझता है उनको अधिकार देने की बात तो वह उनके सामने रख दी गई है। वह उनको अधिकार दे दे और बैंक को लिख दे कि अकेले ही ये संचालन करेंगे। यह तो ठीक है लेकिन माननीय सदस्य आगे की बात भूल गये। अगर वे भी ठीक काम नहीं करेंगे तो उसको विखंडित भी कर सकते हैं अगर वे यह जान लें कि यह ठीक नहीं हो रहा है लोक हित में। मान्यवर, इस प्रतिबन्ध का रखना ठीक है। म इस स्पष्टीकरण को नहीं मानता।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, संयुक्त खाते वाले की कमी को तो आप पूरा कर दग, लेकिन प्रबन्धाधिकरण वाले हस्ताक्षर से जो बटता है उसकी भी कमी आप पूरी करेंगे या नहीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने निवेदन कर दिया कि उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) का प्रथम प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन संख्या २१ व २२ की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में "होती है" के बाद तथा "छात्रों से प्राप्त" से पूर्व "पंखा, स्याही व विज्ञान शुल्क छोड़ कर" जोड़ दिया जाय। श्रीमन्, मने यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है कि जो शिक्षा शुल्क है इसमें यह तीनों शुल्क भी जोड़ दिये गये हैं। यह तीनों शुल्क विद्यार्थियों की आवश्यकता पर व्यय होते हैं, जैसे पंखा चलता है उसमें बिजली का कंजम्पशन होता है, इसी प्रकार से स्याही का खर्च है और विज्ञान के सामान का खर्च है। तो इन तीनों शुल्क को छोड़ कर बाकी को जमा कराया जाय नहीं तो स्कूलों को बड़ी कठिनाई होगी।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, हर विद्यालय म कई प्रकार के शुल्क लिये जाते हैं। फिर तीन ही क्यों, सभी छोड़े जायं। तो यह उपयुक्त नहीं होगा। हम नियम बनायेंगे उनमें व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार के जो शुल्क हैं उनकी परिभाषा ऐसी बना दें कि जिससे संस्थाओं को कोई कठिनाई न हो। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसे वापस ले लें, नियमों में इसका ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में "होती है" के बाद तथा "छात्रों से प्राप्त" से पूर्व "पंखा, स्याही व विज्ञान शुल्क छोड़ कर" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ के उपखण्ड (३) की दूसरी पंक्ति में "धनराशि" के पश्चात् "का ८० प्रतिशत" जोड़ दिया जाय।

दूसरे, खण्ड ५ के उपखंड (३) में "की जायेगी' के पश्चात "अनुरक्षण अनुदान की समस्त राशि का २० प्रतिशत प्रबन्धाधिकरण को मरम्मत भवन, फर्नीचर, कार्यालय, सज्जा आदि के लिये दिया जायगा" जोड़ा जाय।

श्रीमन्, मैंने ये संशोधन इस आशय से प्रस्तुत किये हैं कि अनुदान में जब असेंसमेंट होता है तो केवल वेतन का ही भाग नहीं होता बल्कि जो अन्य आवश्यकतायें हैं विद्यालय की, मरम्मत आदि की, उसका रुपया भी उसमें शामिल होता है। जो फीस आती है वह सारी की सारी उसमें चली जाती है और अनुदान का समस्त रुपया खाते में जमा हो जायगा। इसलिये मैंने कहा है कि अनुदान का ८० प्रतिशत जमा हो जिस तरह से फीस का ८० प्रतिशत होता है। २० प्रतिशत विद्यालय की अन्य आवश्यकताओं के लिये छोड़ा जाय नहीं तो भवन की बड़ी दुर्दशा हो जायेगी, फर्नीचर बैठने को नहीं रहेगा। यह स्कूलों की व्यावहारिक कठिनाई है। आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, भवनों की मरम्मत आदि के लिए माननीय सदस्य यह संशोधन रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक संस्थायें अनेक प्रकार का चन्दा भी लेती है। उससे यह हो सकता है। फिर हम कहते हैं कि जो ८० फीसदी लेंगे, यदि किसी संस्था का वेतन ७० या ६० फीसदी में ही बंट जाता है तो जो पैसा खाते में बच जायगा उसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कुछ बचता है तो शासन तो उसको लेगा नहीं, वह उनके काम आयेगा। और वह चन्दे से भी अपना काम चला सकते हैं। जब हम नियम बनायगे उस समय इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में "धनराशि" के पश्चात् का "८० प्रतिशत" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ?)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के उपखण्ड (३) 'में' "की जायगी "के पश्चात् अनुरक्षण अनुदान की समस्त की राशि का २० प्रतिशत प्रबन्धाधिकरण की मरम्मत भवन, फर्नीचर, कार्यालय सज्जा आदि के लिये दिया जायेगा" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खण्ड ५ (४) (क) में "प्रारम्भ होने" और "पश्चात्" शब्दों के बीच "के" के स्थान पर शब्द "तक और" रख दिये जायं।

मान्यवर, ५ (४) में लिखा है, उक्तलेखों में जमा की गयी धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये, नहीं किया जायेगा, अर्थात् :

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान,

इस संशोधन के रखने का यह आशय था कि इस विधेयक के लाने के पूर्व का जो वेतन मैनेजमेंट ने नहीं दिया है उसके भुगतान की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि बहुत-सी ऐसी शिक्षण संस्थायें हो सकती हैं जो कि ८० फीसदी के अन्दर अध्यापकों के वेतन की देनदारी न कर पायें और कुछ ऐसी भी हो सकती है जो कि वेतन देने के पश्चात् कुछ बचा लेंगी, लेकिन आपने तो इसको बहुत रेस्ट्रीक्ट कर दिया है। म मंत्री जी का ध्यान उन दिक्कतों और परेशानियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनको देख कर वे इस विधेयक को लाये हैं। मेरा अनुरोध शासन से यह है कि जो वेतन इस विधेयक के लाने के पूर्व का है उसको देने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले ले।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, इसके पूर्व एक संशोधन इस प्रकार का आया था और उसमें यही भाव प्रदर्शित किये गये थे। मैंने उस समय भी निवेदन किया था और अब भी कहता हूं कि शासन इस वित्तीय भार को वहन नहीं कर सकता है, जब से यह अधिनियम लागू होगा तबसे हम देनदार होंगे। शेष के लिये हम देनदार नहीं हैं। शासन उनको नहीं दे सकता है। माननीय सदस्य का यह संशोधन मैं नहीं मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ (४) (क) में "प्रारम्भ होने" और "पश्चात्" शब्दों के बीच "के" के स्थान पर शब्द "तक और" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ (४) (क) निकाल दिया जाय तथा

खण्ड ५ (४) (ग) के अन्त में निम्नांकित व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ दी जाय---

"वेतन का अर्थ पेन्शन की धनराशि से भी है"

मान्यवर, आप तो शिक्षाविद और शिक्षा शास्त्री और भलीभांति जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों का और शिक्षा का कितना गहरा संबंध है। इस समय यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक किताब लिखी है। यह पुस्तक करीब ८१० महीने हुए तब उन्होंने लिखी थी। आपकी कृपा दृष्टि उस पुस्तक पर गयी होगी। ऐसा लगता है कि शिक्षा मन्त्री जी ने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है और न ही इस विधेयक को पढ़ा है। उनके उत्तरों से ऐसा आभास लगता है कि उन्होंने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में करीब ४ करोड़ छात्र विश्वविद्यालयों में हैं और उत्तर प्रदेश में करीब ३-४ लाख के हैं और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में १२ लाख छात्र हैं।

मान्यवर, इतना बड़ा संगठन है जिसका मान्यवर को पता है, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस संशोधन के माध्यम से डा० कोठारी ने कहा है कि शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये बड़ी हिम्मत एवं उत्साह की जरूरत है। अगर विधेयक इसी रूप में रहेगा तो उत्तर प्रदेश उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको स्वीकार कर लिया जाय। मान लीजिये इस विधेयक को १ अप्रैल से शासन ने लागू किया तो उसके पहले का अगर वेतन शेष है और विद्यालय के पास एक दो लाख रुपया बचता है तो उसको क्यों रोक रहे हैं। उसके बाद अधिनियम में देखते हैं कि जो पिछला वेतन है, ४, ६ महीने का है, उसका आप दायित्व नहीं ले रहे हैं। मैंने दूसरे संशोधन में कहा था कि

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

पहले जो अध्यापक था, तो उसके बाद भी आपका दायित्व आ गया। चार छः लाख घटने बढ़ने से शिक्षा पर असर नहीं पड़ता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस विद्यालय का पैसा बचता है, उसका पिछला वेतन दे दिया जाय। दूसरे संशोधन में यह जोड़ा है कि सन १९६६ के बाद जो एडेड स्कूल्स और कालेजेज हैं, उनके प्रिंसिपल्स को ६० रुपया और टीचर्स को ५० रुपया पेन्शन दी जाती है।

मान्यवर, इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी पेन्शन को भी विधेयक में माना हो, इस लिये एक प्राविजों रखिये जिसमें वेतन के मानें पेन्शन भी हों। क्योंकि वह पहले अध्यापक था और पेन्शन वेतन का हिस्सा माना जाता है। दूसरा संशोधन बहुत स्पष्ट है इसको मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उन्होंने न से शुरू किया तो हां नहीं होगा। मैंने दो तीन वर्ष पूर्व उनके भाषण सुने थे। आपने कहा थी कि विद्यालय की सारी अव्यवस्था दूर करूंगा, प्रदेश का ढांचा बदल दूंगा और समाजवादी सरकार में आने के बाद हिम्मत टूट गई कि पिछला वेतन देने में इतना भाग रहे हैं। पहला वाला यह है कि अगर किसी संस्था में पैसा बचता है तो पिछले वेतन में दिया जाय, इसको रोका न जाय। इसलिये दो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं, शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य इस खंड २ को निकालना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि वेतन भुगतान के बारे में में सारा विधेयक है, अगर इसको निकाल दें तो फिर क्या बचेगा। पेन्शन रिटायर होने के बाद मिलती है, इसको वेतन में कैसे मिला सकेंगे। दोनों ही सुझाव मुझे अमान्य हैं और मैं इन्हें नहीं मान सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ (४) (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ५ (४) (ग) के अन्त में निम्नांकित व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ दी जाय--
"वेतन का अर्थ पेन्शन की धनराशि से भी है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ तथा ७

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

६--(१) यदि निरीक्षक का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा ४ के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा ३ अथवा धारा ५ के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही की जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिये अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिये कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाय।

(३) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, अतिक्रमण कर सकता है। और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे—

(१) समय समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो ; या

(२) किसी भी समय उक्त आदेश को विखंडित कर सकता है,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी।

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत, नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा, और विशेष रूप से, धारा ५ में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।

(५) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमित या करण में दी गई किसी असंगत बात के होते हुये भी प्रभावी होगा।

अपील

७—धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "शिक्षा उपनिदेशक को" के बाद तथा "यह सिफारिश" शब्द के पूर्व शब्द "तीन दिन के भीतर" जोड़ दिये जायं ।

मान्यवर, धारा ६ में यह प्राविधान किया गया है कि अगर कोई विद्यालय या मैनेजमेंट धारा ३,४,५ का अनुसरण नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन इसके अन्दर कोई अवधि नहीं है । यहां सिर्फ एक लफ्ज है कि वह सिफारिश कर सकता है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । जब विद्यालय निरीक्षक स्वयं संतुष्ट हो जाय कि अवहेलना हुई तो एक निश्चित समय के अन्दर कार्यवाही करनी चाहिये । अगर उसे यह छूट रहती है कि जब वह चाहे तब आगे कदम उठाये तो कभी भी फाइल का डिस्पोजल नहीं होगा और इस कानून का मंशा पूरा नहीं होगा और कोई मैनेजमेंट कभी भी डिफाल्ट नहीं हो पायेगा इसलिये हमने कहा कि तीन दिन के अन्दर कदम उठायें । मैं नहीं समझता कि इसमें मंत्री जी को कोई आपत्ति होगी । वैसे तो तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन हमने तुरन्त न कह कर ३ दिन का समय दिया है । इससे तो ऐक्ट की जो मंशा है वह और आगे बढ़ती है । मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको मान लें ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, दिनों या समय की पाबन्दी करने से गत्यावरोध ही होगा । जो प्राविधान है वह उचित है इसलिये मैं इस संशोधन को नहीं मानता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "शिक्षा उपनिदेशक को" के बाद तथा "यह सिफारिश" शब्द के पूर्व शब्द "तीन दिन के भीतर" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

३० और ३१ दोनों एक साथ ही पढ़े देता हूं । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड(२) की पहली पंक्ति में शब्द "होने पर" और "संभागीय शिक्षा" के बीच में शब्द "शीघ्र ही" जोड़ दिया जायं ।

इसी तरह से खंड ६ के उपखंड(३) की पंक्ति में शब्द "एक" के स्थान पर 'दो' कर दिया जाय ।

मान्यवर, इसमें भी वही व्यवस्था है कि अगर आज्ञा का पालन नहीं होता तो उसकी मरजी पर है कि आगे की कार्यवाही करे लेकिन यह नहीं कि कब तक कार्यवाही करे । जब धारा ६ में यह समाधान हो जाता है कि मैनेजमेंट से डिफाल्ट हो गया है तो तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये । यह शब्द इसमें आना चाहिये कि इमीडिएटली ऐक्शन हो जाय । अगर यह शब्द नहीं होगा तो कभी भी ऐक्शन नहीं होगा । कोई विद्यालय या मैनेजमेंट तनख्वाह नहीं दे रहा है या बैंक में एकाउन्ट नहीं खोल रहा है तो उसके विरुद्ध तुरन्त कायवाही होनी चाहिये । ऐसे ही दूसरी चीज है । जब आप टेक ओवर करते हैं तो आपने एक वर्ष के लिये रखा है । अगर कोई मैनेजमेंट निकम्मा रहा है और तनख्वाह नहीं देता है और इस बात का समाधान हो जाता है तो उसको अगर टेक ओवर किया जाय तो दो वर्ष के लिये किया जाय ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

माननीय सदस्य ने पहला संशोधन जो रखा है उसमें वह शब्द "शीघ्र" रखना चाहते हैं जब कि उसमें एक सप्ताह का टाइम रखा गया है । तो"शीघ्र" शब्द से तो अच्छा "एक सप्ताह" अधिक उचित है ।

दूसरे संशोधन में वे १ वर्ष के स्थान पर २ वर्ष चाहते हैं, लेकिन हमने तो यह प्राविजन किया है कि ऐसी अवधि को ५ वर्ष तक बढाया जा सकता है। इसलिये दोनों संशोधन मुझे स्वीकार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खं० ६ के उपखंड (२) की पहली पंक्ति में शब्द"होने पर" और 'संभागीय शिक्षा" के बीच में शब्द "शीघ्र ही" जोड़ दिये जायं तथा

खंड ६ के उप खंड (३) की दूसरी पंक्ति में शब्द"एक" के स्थान पर "दो" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६(३) के प्रतिबन्ध के उपखंड (१) में शब्द जहां "पांच" है उसके स्थान पर"दस" लिख दिया जाय और इसका उपखंड (२) मय अग्रेतर प्रतिबन्ध के निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, जब उपखंड (१) के अधीन आपको यह मालूम हो जायेगा कि अमुक संस्था ने ठीक से कार्य नहीं किया है तो उसको आप अपने हाथ में ले सकते हैं और उसकी अवधि आपने ५ वर्ष की अधिक से अधिक रखी है । जब आप किसी संस्था को अपने हाथ में लेते हैं तो कम से कम १० वर्ष तक आप उसे अपने पास रखिये, ५ वर्ष का समय कम है । इसलिये मेरा संशोधन यह है कि आप ५ के स्थान पर १० वर्ष कर दें ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो एक वर्ष के बाद ही यह प्रार्थना करती हैं कि उसका प्रबन्ध उनको पुनः सौंप दिया जाय और अब वे इन्तजाम ठीक तरह से करेंगे। तो ५ वर्ष की जो अवधि है वह बहुत उपयुक्त है । मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ६(३) के प्रतिबन्ध के उपखंड (१) में शब्द जहां"पांच" है उसके स्थान पर "दस" लिख दिया जाय और इसका उपखंड (२) मय अग्रेतर प्रतिबन्ध के निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ६ व ७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

पुनरीक्षण

८---राज्य सरकार धारा ७ के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है

और उसका परीक्षण कर सकती है, और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में "राज्य सरकार" शब्द के स्थान पर शब्द "राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश" लिख दिया जाय । मान्यवर, इसमें निगरानी सुनने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार राज्य सरकार ने स्वयं अपने पास रखा है । मैनेजमेंट किसी न किसी पार्टी से संबंधित रहता है । इसलिये कोई स्वतंत्र संस्था इसके लिये होना चाहिये ताकि न्याय हो सके । अगर माननीय मंत्री जी कांग्रेस पार्टी के हैं तो वह निश्चय ही कांग्रेस पार्टी की राय मानेंगे । इसलिये हम सरकार की मरजी पर इसको न छोड़ें वरना यह पावर आर्बीट्रेरी होगी और हमेशा आर्बीट्रेरीली इस्तेमाल होगी। चूंकि सरकार हमेशा किसी न किसी पार्टी की हुआ करेगी । इसलिये जहां आप निगरानी सुनने का अधिकार दे रहे हैं, यह अधिकार उस दल की राजनीति से हटाकर किसी निष्पक्ष संस्था को दिया जाना चाहिये । इसलिये मैंने संशोधन दिया है बोर्ड आफ रेवेन्यू रख दिया जाय, उनको यह काम आप सौंप दें, वह अपील सुन लेंगे, उनके सामने दोनों पक्ष बराबर होंगे । लेकिन यदि गवर्नमेंट सुनेगी, मंत्री जी सुनेंगे तो हमेशा अन्याय होता रहेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा शाब्दिक संशोधन मंत्री जी अवश्य मान लें ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

आश्चर्य है कि माननीय सदस्य को राजस्व परिषद् कहां से याद आ गया । राजस्व परिषद् का अलग दायरा है, उसका अलग काम है । यह शिक्षा का काम, अध्यापकों का मसला शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आता है । इस काम को राजस्व परिषद कैसे देख सकती है, कैसे उसकी निगरानी सुन सकती है । इसलिये मैं उनका संशोधन नहीं मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ८ में "राज्य सरकार" शब्द के स्थान पर "राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश" लिख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९---(१) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में निहित किसी बात के होते हुए भी मान्यता की शरतों को संशोधित करने वाला कोई विनियमन और किसी संस्था को कोई नई मान्यता या किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिये उसे मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय ।

बोर्ड कतिपय के लिये सरकार अनुमोद

(२) किसी ऐसे आपत्काल में जिसमें, राज्य सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के संबंध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति द्वारा प्रयोग किये जायेंगे, और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की धारा १३ में अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किये बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है ।

(३) यदि राज्य सरकार उप-धारा (२) के अधीन कोई निदेश जारी करे तो वह, यदि उचित समझे यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित किया जाय ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं खंड ९ का विरोध करता हूं । बोर्ड को जो मान्यता संबंधी पावर थी, उसको सरकार इसके द्वारा अपने हाथ में ले रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि बोर्ड का जो गठन किया गया था, इस आधार पर सिद्धांततः किया गया था कि शिक्षा के ऊपर नौकरशाही का असर न हो । इसीलिये यह किया गया था कि जो शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनका अपना एक बोर्ड होगा, उनकी एक मान्यता समिति होगी, जो विभिन्न विषयों और विभिन्न विद्यालयों को मान्यता देने का काम करेगी । अब इस खंड के द्वारा सरकार उस पावर को अपने हाथ में ले रही है मान्यता देने की स्वीकृति का कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय । इसके पीछे मंशा यह है कि चूंकि सरकार ने अध्यापकों के वेतन भुगतान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, तो तमाम विषयों की और बहुत विद्यालयों को मान्यता न मिल जाये, जिस से सरकार की देनदारी बढे । अब सरकार के शिक्षा विभाग के स्थान पर उसके अतिरिक्त सरकार का वित्त विभाग इस बात को तय करेगा कि किस स्कूल को मान्यता दी जानी चाहिये या नहीं दी जानी चाहिये । यदि यह अधिकार आप बोर्ड से ले लेते हैं तो आप शिक्षा जगत के अन्दर उसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी बनायेंगे, जिसके भय से इंटरमीडिएट बोर्ड का गठन किया गया है । इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ऐसा प्राविजन इस विधेयक में न रखें कि शिक्षा के अन्दर जो शिक्षा शास्त्रियों को आजादी थी, उसको आप खत्म करें और नौकरशाही शिक्षा जगत पर हावी हो जाये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह जो विधेयक आया है, मैं समझता हूं संविद काल में यह तैयार किया गया था और यह अधिकांश रूप में वही है, सिर्फ उसमें खंड ९ नहीं था । नेगी जी ने जो कहा है, उससे मैं सहमत हूं । यह सरकार को नहीं चाहिये था कि मान्यता देने का अधिकार भी अपने हाथ में ले ले । आज हम इस बात की चर्चा करते हैं कि विरोध पक्ष को सताने के लिये जो भी इस सरकार के हाथ में है उसे वह करती है ।

आज कोई विरोधी पक्ष का स्कूल चलाना चाहे तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी, नाना प्रकार की सरकार अड़चन लगायेगी । बोर्ड मान्यता देता है । फिर कारण क्या है ? जिसको चाहेंगे मान्यता देंगे जिसको चाहेंगे नहीं देंगे । हमने यह कल्पना की थी, शिक्षा की जितनी बुरी हालत है, जिस दिन कटौती का प्रस्ताव पेश होगा उस दिन समय देंगे, आज सारे कागजी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

घोड़े दौड़ रहे हैं । केवल हाजिरी का रजिस्टर भर दिया जाता है, आदमी रहता नहीं। हमारे दल का यहां तक विचार था कि एक अलग बोर्ड बनाया जाय शिक्षाविदों का, शिक्षा सरकार के चंगुल से निकल जाय, एक स्वतंत्र बाडी रहे जो शिक्षा के बारे में विचार करें। हम कल्पना कर रहे थे कि चाहे जन संघ की सरकार हो, कांग्रेस आर की हो या कांग्रेस ओ की हो, शिक्षा किसी पार्टी के प्रभाव में न रहे। आज यह विधेयक लाकर खंड ९ के द्वारा सब अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। यह बड़ा अन्याय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा सरकार के पंजे से अलग रहे। इसका आधारभूत कारण केवल राजनीति है। यह खंड क्यों रखा गया है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? जरा बताएं। यह कहना कि फाइनेंशियल कंट्रोल रखेंगे इसके द्वारा जिससे रुपये का दुरुपयोग न हो, यह कारण तो लगता नहीं। अगर कोई नयी संस्था चलाना चाहे तो उसे यह भय नहीं होना चाहिए कि अगर हम खोलना चाहेंगे तो मान्यता नहीं मिलेगी। यह तो घोर अन्याय हो जायगा। मैं इस खंड का घोर विरोध करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

मान्यवर, धारा ९ की १, २, ३ उपधाराएं हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपसे ज्यादा विशेषज्ञ नहीं होगा। आप देखें कितना विरोधी है विधेयक। यह मानता है कि शिक्षा का शासन अलग रहना चाहिए। इसी आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना। केवल कम्युनिस्ट रूस में यह अधिकार नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, हंसी आती है कि किधर जा रहे हैं मंत्री जी। घोषणा कुछ है और कार्य कुछ हो रहा है। आपने बोर्ड का गठन किया। उसमें शिक्षा परिषद की मान्यता समिति बनी है। वह संस्तुति करती है और चेयरमैन दस्तखत करता है तो मान्य हो जाता है। आप पहले कहते हैं (१) में--- "इंटर मीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में निहित किसी बात के होते हुए भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को नयी मान्यता या किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिए उसे मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय।" इसके मानी यह है कि आप चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में जितनी स्वायत्तता है वह समाप्त करें। तो राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेते? सब का शासन चलाएं। आप चला लीजिये। यह नहीं है कि आपकी ही सरकार बैठी रहेगी।

पहली उपधारा के अन्दर जो प्रवृत्ति है बड़ी गलत प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से कहता हूं यह समझते हैं कि बड़ी छोटी सी धारा जोड़ दी गयी है। इसका अन्ततोगत्वा प्रभाव बहुत बड़ा है। तीसरा देखिये। अभी सदन में कहा था कि चूंकि बोर्ड अभी गठित नहीं हुआ है, बीच में वैकुअम हो गया, पुराने सदस्यों ने दावा कर दिया कि मान्यता न दे, इसलिए ऐसा प्राविधान किया। तीसरे में यह है---"यदि राज्य सरकार उपधारा (२) के अधीन कोई निदेश जारी करें तो वह, यदि उचित समझें यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित किया जाय।" मान्यता के लिए समिति गठित कर दी है उसके बाद आप यह रख कर क्या कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, सदन को संतुष्ट करें।

मुझे तो दुख है कि इस तरह से यदि शिक्षा मन्त्री शिक्षा के काम को चलायेंगे तो किस तरह से जनता का भला होगा और कैसे शिक्षा में सुधार किया जायगा। मन्त्री जी सारी बातों का उत्तर 'नहीं' में ही देते हैं। वह शिक्षा में डाक्टर हैं लेकिन शायद अब वह अध्यापक नहीं रहे तो इस वजह से उनके हित का ध्यान नहीं रह गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरी बात को आप मान लें।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मन्त्री जी को बताऊं कि आपका इन्टरमीडिएट बोर्ड ऐक्ट बना हुआ है। उसमें सरकार को और डाइरेक्टर को मान्यता समिति की बात की अपील करने का अधिकार रहता है। डाइरेक्टर उसका चेयरमैन होता है। अब आप उस अधिकार को सरकार में रख रहे हैं। मन्त्री जी तो पी० एच० डी० हैं। इस बात को समझ सकते है कि किस तरह से इसका परिणाम होगा। जनता की भावना का आदर करें। सरकार के नियंत्रण में उसको न रखें। जनता की भावना की जनता के प्रतिनिधि जो यहां पर रख रहे हैं उसका आप आदर करें। हर बार आप "नहीं" कह देते हैं। तुलसी दास जी ने कहा है कि "जिन मुख निकसत नाहिं" बस इसके आगे आप स्वयं समझ लें। किसी बात के लिये तो "हां" कहिये। आप क्यों सरकार में इस प्रकार की बातों को रखकर केन्द्रीयकरण की ओर जा रहे हैं। जनतन्त्र में तो विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये।

एक मान्यता समिति है और एक बोर्ड बना हुआ है उसके यहां आयेगा तो वह फाइनल करेंगे। आप इस प्रकार से केन्द्रीयकरण क्यों कर रहे हैं। आप क्यों जनभावना से डरते हैं। हाउस की ही समिति बना दें और उस मान्यता समिति को काट दें। जब आप पावर ले रहे हैं तब क्यों इस बोर्ड का चुनाव करने जा रहे हैं। जनता से चुनाव कर लें वही फाइनल अथारिटी हो जाय। आप ही इसके चेरमैन हो जायं। मैं चाहता हूं कि जब आपके यहां इन्टरमीडिएट बोर्ड ऐक्ट के अनुसार डाइरेक्टर को और सरकार को पावर है तो फिर इस पावर को लेकर क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं रफी साहब की तरह से मन्त्री बनिये। पहले ऐसे मन्त्री हुआ करते थे कि कैबिनेट से पास होने के बाद भी कभी-कभी कामा और फुलस्टाप वगैरा की यदि जरूरत होती तो अपने आप ही जनता के हित में कर दिया करते थे। मैं इसलिये आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप वापस ले लें, नहीं तो इसका डुप्लीकेशन होगा और ट्रिपलीकेशन होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मान्यता के सम्बन्ध में यह व्यवस्था इस अधिनियम की धारा ९ बन गई। इससे साफ जाहिर है कि किसी उद्देश्य से ही यह हुआ होगा। इस कानून के द्वारा आप अध्यापकों को राहत देने जा रहे हैं कि उनको नियमित रूप से वेतन मिले। इसकी धारा १० को आप देखें कि जिसमें आपने यह जिम्मेदारी ले ली है कि यह सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि हर २० तारीख को उनको वेतन मिल जाय तो इस प्रसंग में जब आप मान्यता सम्बन्धी इस व्यवस्था को जाचेंगे तो मालूम होगा कि इसी खयाल से यह प्राविधान किया गया है कि मान्यता प्राप्त नये स्कूल कम से कम बढ़ें पहले से ही एक ऐक्ट है, हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट है। उसके तहत बोर्ड की रचना हुई है। एक मान्यता समिति पहले से बनी हुई है। आपके अध्यक्ष मान्यता समिति और बोर्ड दोनों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो मान्यता प्रदान करने के कुछ नियम हैं कि इतनी बिल्डिंग होनी चाहिये, इतने टीचर होने चाहिये, इतना फंड होना चाहिये आदि आदि। इन सब शर्तों पर विचार करने के बाद मान्यता समिति निर्णय लेती है। फिर वह निर्णय बोर्ड के सामने आता है और तब बोर्ड अपना निर्णय लेता है।

तो इसमें कहीं सरकार का प्रत्यक्ष दखल नहीं आता था। कुछ नियन्त्रण जरूर रहता था एजूकेशन डायरेक्टर के माध्यम से और वह आज भी उपलब्ध है। अभी तक इस सम्बन्धमें सरकार के अनुमोदन के बिना ही निर्णय होते थे। सरकार के अनुमोदन अथवा अननुमोदन की जरूरत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

नहीं थी। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है क्योंकि सरकार के ऊपर कई मान्यता देने से जो खर्चा बढ़ेगा उसे सरकार चाहती है न होने पाये यह विचार इसमें अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसका नतीजा यह होगा कि नई शिक्षा संस्थायें नहीं खुल पायेंगी और प्रदेश में शिक्षा का प्रसार रुकेगा जब कि प्रदेश पहले ही अन्य प्रदेशों स शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। आज भी हजारों लड़के प्रवेश नहीं पा रहे हैं और इस पर मान्यता के सवाल को सरकार इस तरह जकड़ना चाहती है।

बोर्ड के अधिकार को शिक्षा निदेशक एक्सरसाइज करेंगे, इससे केन्द्रीयकरण बढ़ेगा। इस तरह का प्राविधान करना मेरी राय में गलत है क्योंकि निश्चित रूप से इसका अबयूज होगा।

आप यह चाहते हैं कि कोई निकाय अलग से मुकर्रर कर दिया जाय और जो मान्यता समिति है उसका अस्तित्व महत्वहीन हो जाय। इस धारा के तहत आप यह आदेश करेंगे कि आपातकालीन स्थिति है, बोर्ड की पावर डायरेक्टर साहब एक्सरसाइज करेंगे और इस प्रकार मान्यता के सवाल को सरकार तय करने लगेगी। इसमें पक्षपात की गुंजायश भी बढ़ती है जिसको आप चाहें मान्यता दें, जिसको न चाहें न द। इस नुक्ताचीनी से आप बच नहीं सकते। लिहाजा मेरा निवेदन है कि जिस संदर्भ में और उद्देश्य से आप अधिनियम में खंड ९ जोड़ रहे हैं वह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आपके मन में कुछ भी हो लेकिन जब यह नया कानून बन जायगा तो सारा मामला इसी से तय होगा। ऐसी स्थिति में खण्ड ९ का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि आप इसे निकाल दें।

*श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)--

उपायक्ष महोदय, अगर खंड ९ इस विधयक का अंग बन गया तो शिक्षा जगत पर बड़ा भारी कुठाराघात होगा। अब तक मान्यतायें मिलती रही हैं बोर्ड द्वारा लेकिन जब यह विधेयक अधिनियम बनेगा तो यह ताकत राज्य सरकार के हाथ में चली जायगी। इससे बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी। इस साल मान्यता के सवाल अभी तक तय नहीं हो सके हैं, लड़कों के ऐडमीशन नहीं हो सके हैं। लिहाजा सरकार जो खंड ९ को इस विधेयक का अंग बनाने जा रही है वह इस पर पुनर्विचार करे और अगर ऐसा हो गया तो शिक्षा पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। वर्तमान सरकार शिक्षण संस्थाओं पर अपना कब्जा भी करना चाहती है क्योंकि मध्यावधि चुनाव होने वाला है।

मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक हमेशा रहेगा अगर धारा ९ इस विधेयक का अंग बन गया तो मान्यता मिलने में शिक्षण संस्थाओं को बड़ी कठिनाई होगी और बहुत सी दिक्कतें स्कूलों में व्यवहारिक रूप में पैदा होंगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि धारा ९ को विधेयक का अंग न बनाया जाय बल्कि पहले जो एक बोर्ड बना हुआ था उसके जरिये से जो मान्यतायें मिलती थी उसी तरीके से मान्यतायें चलती रहें। हमें मालूम है कितनी कठिनाइयों के बाद स्कूलों को मान्यतायें मिलती हैं। सारी कंडीशन्स पूरी होने के बावजूद भी मान्यतायें मिलती नहीं हैं। आज १० साल हो गई हैं और अभी ८० केसेज बाकी रह गये हैं। अतः मेरा इस आदरणीय सदन से अनुरोध है कि जो पहले से एक मान्यता समिति बनी हुई है जिसमें कि डाइरेक्टर महोदय उसके अध्यक्ष हैं, वह उसी प्रकार बनी रहें।

(शिक्षा मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामगोपाल संड---

मान्यवर, दो मिनट का समय मुझे दे दीजिये। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अब जो प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं उसकी जांच उप-शिक्षा निदेशक करते हैं और वे उस प्राथना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्र में सभी शर्तों को देखते हैं। उसके बाद वह प्रार्थना-पत्र उप शिक्षा निदेशक (वित्त) के पास जाता है। वह उसकी जांच करता है कि आया वह ठीक है या नहीं, स्कूल को वित्त दिया जा सकता या नहीं। और उसके बाद जो मान्यता समिति जो कि सर्वसत्ता सम्पन्न है, वह उस स्कूल को मान्यता देती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हम सन् १९२१ की तरफ जा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में यह समिति बनी थी और आज सन् १९७१ हो गया यानी हम इस समिति के ५० वर्ष के अधिकार छीन रहे हैं। इस समिति में जो डिप्टी डाइरेक्टर, डी० आई० ओ० एस० और शिक्षा निदेशक आदि हैं और उनका जो एक बोर्ड बना हुआ है, इसके जरिये से हम उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। यह प्रतिगामी खण्ड है और जनता के अधिकारों का हनन करता है। अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के अधिकारों को आप छीन रहे हैं। अतः मैं इसका घोर विरोध करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वे हमें सन् १९२१ की ओर न ले जायं और इसे वापस कर लें तथा हमारे सुझाव को मान लें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, इससे पूर्व भी यह प्रश्न हमारे सामने आया था और मैंने निवेदन किया था कि एक विशेष परिस्थिति में हमें एक नई कमेटी का निर्माण करना पड़ा.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग सत्यनारायण की कथा रोज सुनते हैं किन्तु हमें यह मालूम नहीं होता कि आखिर कथा क्या थी। आज सुबह से माननीय मन्त्री जी केवल एक ही वाक्य कह रहे हैं कि विशेष परिस्थित में, विशेष परिस्थित में तो अभी तक हम यह नहीं जान पाये कि आखिर यह 'विशेष परिस्थिति' कौन सी है। यदि आप खण्ड ९ को देख लें तो उससे साफ है कि बोर्ड भी बना रहेगा और मान्यता समिति भी बनी रहेगी और उनके बावजूद सरकार का अनुमोदन व अननुमोदन का अधिकार भी बना रहेगा। हम लोगों के वक्त में जो अध्यादेश बना था उसमें यह व्यवस्था नहीं थी। आपके कार्यकाल में एक एडीशनल अध्यादेश बनाकर खण्ड ९ बढ़ाया गया है। इसमें यह इम्प्रूवमेंट की बात है। और उस एडीशनल पावर को इस तरह से आप स्तेमाल करेंगे कि शिक्षा का विकास रोकेंगे फिर ट्रांस्फर वाला मामला देख लीजिये। इतना दबाव देखा जाता है--बहस के लिये हम अपने को भी शामिल कर लेते हैं कि उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। एक-एक जिले में ३-३ डी० एम० एक साथ हो जाते हैं। ऐसे दबाव में काम करना पड़ेगा। उसका नतीजा होगा कि आपका मन चाहेगा कि एक स्कूल को मान्यता दे दें लेकिन दबाव के कारण उसको नहीं मिलेगी और उसको मिल जायगी जिसको नहीं मिलनी चाहिये। जो आदमी चाहेगा दबाव डालकर करवा लेगा। तो एक 'विशेष परिस्थिति' पर प्रकाश डाल दीजिये और प्रतिगामी जो एडीशन है उसको हटा लीजिये, आपका लोग नाम लेगें और बड़ा आभार होगा आपका प्रदेश पर।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, विशेष परिस्थिति यह आई कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति के खत्म होने के कारण उन्होंने कह दिया कि हम इन मसलों को नहीं सुलझा सकते, हमारे पास वक्त की कमी है। इसलिए इसको सरकार देखे। क्योंकि इस अध्यादेश में एक पंक्ति यह भी थी कि शासन से अनुमोदन लेना पड़ेगा, तो बोर्ड आफ डायरेक्टर..

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको एक दफा पढ़ लेते, कष्ट दे रहा हूं इसके लिए क्षमा-याचना करता हूं। हम पढ़ देते हैं :---

"इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में निहित किसी बात के होते हुए भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को नई मान्यता या किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिए उसे मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय।

(२) किसी ऐसे आपत्काल में जिसमें राज्य सरकार की राय में यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति द्वारा प्रयोग किये जायेंगे और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिनियम की धारा १३ में अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किये बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है।"

तो मान्यवर, मन्त्री जी की जो बहस चल रही है कि चूंकि इस समय मान्यता समिति समाप्त है इसलिए यह सवाल बेजा होगा ऐसा नहीं है, मान्यवर। यह धारा अगर पास हो गयी तो आपका पहले का एजूकेशन ऐक्ट बना रहेगा, बोर्ड बना रहेगा, मान्यता समिति बनी रहेगी तब भी आप मनमाने ढंग से अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, यह विधेयक जो हमारे सामने है इसमें अध्यापकों के वेतन वितरण की जिम्मेदारी शासन ने ली है और ऐसी सूरत में यह आवश्यक समझा गया कि मान्यता देने में शासन का कोई अंकुश जरूर होना चाहिए। मनमाने तरीके से अगर मान्यता देते रहे तो उसका वित्तीय भार शासन पर पड़ जाता और करोड़ों रुपयों में जाकर बैठता। इसलिए सोचा गया कि शासन का अंकुश मान्यताओं पर रहे इसलिए यह धारा लगाई गई। इसके हटा देने से इतना वित्तीय भार शासन पर हो जायगा कि हम वहन नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह तो रहेगा ही।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों से कि मेरी सूचना है कि अब तक शासन में ८५ मसले आये जिनमें से ८२ तो निर्णय हो चुके हैं। इससे जाहिर है कि कोई जबरदस्ती किसी को अमान्य कर दें किसी स्कूल को ऐसी बात नहीं है। शासन अपनी दृष्टि से देख रहा है कि ठीक कर रहे है या नहीं। इसलिए मैं इसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

"नहीं" की संख्या ज्यादा है, मैं कहता हूं।

विभाजन की मांग है मान्यवर, नहीं की संख्या ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपको पहले कहना चाहिये था। अब खण्ड १० चलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सदन की राय इसमें बंटी हुई है। इसलिये जरूरी नहीं है कि उधर के बैठने वाले सभी खंड ९ के पक्ष में वोट करें। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि खंड को लेकर विभाजन करा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने देर से कहा। जब मैंने कह दिया तब आपने कहा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी नहीं, आपके पहले ही हमने कहा।

राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

श्रीमन् ने यह कह दिया कि 'हां' की संख्या ज्यादा है इसके बाद आपने सवाल उठाया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नहीं। इससे पहले ही मैंने कहा और विभाजन की मांग की।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस तरह से वह सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं। वैसे हां की संख्या ज्यादा है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सदन का समय नष्ट करने वाले शब्द कहे हैं उस पर हमें आपत्ति है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय राय साहब को बधाई देता हूं कि इस पर यदि विभाजन कर दिया तो सदन का समय नष्ट होगा, उनके समझने की बात है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब कोई ऐसा प्रश्न आये जो महत्वपूर्ण हो और डिवीजन मांगा जाय तो अवश्य देना चाहिये। हमें भी मालूम हो जाय कि हम कहां खड़े हैं। कौन सी यह नई मांग है जिसमें इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है ?

श्री त्रिवेणी राय—

हाथ उठाकर भी आप विभाजन करा सकते हैं। इसके बहुत से कायदे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि . . .

(व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, डिवीजन में जरूरी नहीं है कि हम जीतें या हारें। लेकिन हम विभाजन कराना चाहते हैं। इससे भी ज्यादा नीति की या वसूलों की और कौन सी धारा हो सकती है। हमने रिक्वेस्ट की और जब तक आप पूरा नतीजा नहीं सुना पायें हमने विभाजन के लिये आपसे मांग की।

श्री उपाध्यक्ष--

अब प्रत्यक्ष तो हमें यही मालूम पड़ता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, पिछले सत्र में मेरे निष्कासन के प्रश्न पर भी अध्यक्ष जी को जो प्रत्यक्ष लगा था, पर जब नतीजा आया तो उनके खिलाफ गया था।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि इसमें नेगी जी का प्रस्ताव यह है कि खण्ड ९ निकाल दिया जाय या विरोध करें तो हम किस बात पर मत देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यही तो मैं कह रहा हूं कि खण्ड का विरोध करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, विरोध करने पर अगर वह पास न हो तो डिलीट हो जाता है। जब किसी मामले पर वोट ली जाती हैं तो बहुमत प्राप्त होने पर ही वह पास होता है। अगर कोई इसमें अमेंडमेंट न भी हो और वह वोट में गिर जाय तब भी वह पास नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं १५ मिनट का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

अगर इसमें यह होता कि इस खण्ड को निकाल दिया जाय तब तो उस पर वोटिंग की आवश्यकता थी। इसमें वोटिंग की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान लीजिये इसमें कोई संशोधन न होता तब भी आप इस खण्ड पर वोटिंग कराते और उसमें जो भी हश्र होता वह होता। इसलिये इस पर भी आपको वोटिंग कराना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन मूल रूप में यही था कि इस खंड ९ को निकाल दिया जाय। यह तो आपके सचिवालय में इस तरह से कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जब इसको मूव किया था, तब आपको यह कहना चाहिये था। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मैं समझता हूं कि इस पर वोटिंग की आवश्यकता नहीं है इसलिये इस पर मैं डिवीजन को अस्वीकार करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, हम आपकी इस रूलिंग के विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसके विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

खण्ड १०

वेतन के संबंध में दायित्व

१०--(१) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय हों।

(२) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी की कोई बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिये संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १०(१) की दूसरी पंक्ति में "इस अधिनियम" के बाद "के" के स्थान पर "तक और" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह संशोधन इस खंड में परमावश्यक है कारण यह है कि इस खंड के अन्दर राज्य सरकार अध्यापकों को वेतन देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। इसका जो उपखंड (२) है.....

*श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, डिवीजन को चैलेन्ज करने का अधिकार विरोधी दलों का है और नियमावली में भी यह दिया हुआ है कि अगर विरोधी दल इस बात को अनुभव करे तो वह डिवीजन की मांग कर सकता है। विरोधी दल को अपने उस अधिकार से वंचित किया जाना कुछ समझ में नहीं आता है। जब खासतौर से अनन्तराम जायसवाल जी ने डिवीजन मांगा तो उसके आगे का प्रोसीजर यही था कि आप उनको डिवीजन दे देते। अब बहुमत जिसके भी साथ होता, वह मालूम हो जाता। अगर उनके साथ बहुमत न होता तो उनका प्रस्ताव गिर जाता। लेकिन डिवीजन की मांग करना विरोधीदल का राइट है, उसको ही आपने अस्वीकार कर दिया। इस हालत में तो विधान सभा में बैठने में बड़ी कठिनाई हो जायगी। मेरी आपसे अपील है कि आप अपनी पहली रूलिंग को कृपया विदड्रा कर लें और अगर आप विदड्रा नहीं करते हैं तो उसका मतलब है कि लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार आप विधान सभा को नहीं चला रहे हैं, अतः उस हालत में हम स्वयं ही इस सदन से विदड्रा कर जायेंगे।

(माननीय सदस्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम वर्मा--

मैं भी इसके विरोध में अपने दल के सहित सदन से वाक आउट करता हूं ।

(माननीय सदस्य अपने दल के साथ सदन से बाहर चले गये ।)

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन् सदन का समय तबतक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय जबतक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, निवेदन यह है कि आज सुबह कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि ये जितने विधेयक हैं ये आज और कल में पास हो जायंगे । लेकिन इस तरह से तो नहीं पास हो पायेंगे । मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक पास हो तबतक तो सदन का समय बढ़े ही लेकिन उसके आगे भी दो घंटे का समय और बढ़ा दें ताकि कुछ विधेयक और पास हो जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो मैंने एलान कर दिया ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं तो खड़ा हुआ था,आपने मुझे मौका नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक नहीं है, अब समय नहीं बढ़ायेंगे, कल देखा जायगा ।

श्री शिवकुमार पांडेय--

श्रीमन्, आज जो स्थिति पैदा हुई कि सब का सब बिरोधी दल उठ कर चला गया वह केवल इस बात पर कि इस संशोधन पर आपको हां और नहीं भी नहीं कराना चाहिये था.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठें ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

श्रीमन्, इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय हो । उपधारा (२) है : "राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी की कोई बकाया हो ।" इसमें यह प्राविधान कर दिया गया है कि वह धनराशि जो इस विधेयक के प्रारम्भ होने के बाद देय होगी अगर उस कोष से जो ज्वाइंट खाते में चलायी गयी वह वसूल नहीं हो सकती तो राज्य सरकार उस संस्था के असेट्स से लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल कर लेगी । यह आप उसके लिये कर रहे हैं जो इस विधेयक के बाद की देनदारी होगी । लेकिन इस विधेयक के पहले भी जिनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिनके बारे में लगातार इस विधान सभा में प्रश्न उठाये जाते हैं उनको भी इसके अन्दर क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं कि उनकी भी जो देनदारी होगी, वह एज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल कर ली जायगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

माननीय नेगी जी का यह सुझाव मुझे अमान्य है । क्योंकि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि अप्रैल से पहले की जो भी देनदारी किसी संस्था के ऊपर है उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । अब हम जो यह प्राविधान फीस और उसके जमा करने में जो व्यवधान करेंगे उसके लिये कर रहे हैं कि हम उसे लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल करेंगे यह चीज हम अप्रैल से पहले की देनदारी पर लागू नहीं कर सकते । यह अवश्य है कि हम ऐसी संस्थाओं से जिनके अध्यापकों का वेतन आदि बाकी है लिखा पढ़ी कर के उनसे कह सकते हैं कि वे उसका भुगतान करें । लेकिन चूंकि उसका भुगतान उन्हीं की जिम्मेदारी है सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकती । अतः मैं माननीय सदस्य के संशोधन को नहीं मानता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १०(१) की दूसरी पंक्ति में "इस अधिनियम" के बाद शब्द "के" के स्थान पर "तक और" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्याण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १०(१) की द्वितीय पंक्ति में "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने" के बाद तथा "किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो" के मध्य निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायं :

"की तिथि से पूर्व तथा"

अभी माननीय नेगी जी का संशोधन भी इसी आशय का था और उसके उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अप्रैल से पहले के भुगतानों का उत्तरदायित्व उन पर न होगा । मेरा कहना यह है कि जिन संस्थाओं को आप अनुरक्षण अनुदान दे रहे थे उनमें अगर अध्यापकों का ४-५ मास का वेतन अवशेष है और उन संस्थाओं के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही भी नहीं की तो यह कहना कहां तक उचित है कि अप्रैल से पहले के पेमेंट की हमारी जिम्मेदारी न होगी, यह बात तो स्वयं में ही उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कितनी ही संस्थायें हैं जहां ५-५, ६-६ मास का वेतन नहीं बटा है । मिसाल के तौर पर अमर चन्द कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौली, जिला अलीगढ़ यहां की अध्यापिकाओं का वेतन ८ मास का अभी तक बाकी है, इसी तरह से ए० सी० ए० हायर सेकेन्डरी स्कूल, मालवीयानगर, जिला अलीगढ़ के अध्यापकों का ६ मास से वेतन नहीं दिया जा रहा है । उनसे बाद में एक्वीटेन्स रोल पर दस्तख्त करा लिये जायेंगे और वेतन नहीं दिया जायगा । इसी तरह से इन्टर कालेज सुरीर, (मथुरा) के अध्यापकों का भी ११ मास का वेतन नहीं मिला है । यह ऐक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उस तिथि से ही वेतन देने का प्राविधान इसमें है जिस तिथि से यह लागू होगा लेकिन उस वेतन का क्या होगा कि जो अध्यापक काम तो किये हैं लेकिन मैनेजमेंट ने लापरवाही से अनुरक्षण अनुदान लेने के बाद भी उनका वेतन नहीं दिया है । शासन की भी यह जिम्मेदारी थी कि वह देखता कि अनुरक्षण अनुदान का ठीक से उपयोग हुआ है या नहीं । आप इस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह शब्द यहां पर जोड़ दिये जायं जिससे कि उस तिथि से पूर्व की बकाया भी मिल सके । यदि ऐसा न किया गया तो अध्यापकों से जबरदस्ती एक्वींटेंस रोल्स पर दस्तखत करा लिये जायेंगे । यदि आप उनके हितैषी हैं तो इस भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें और उनका बाकी वेतन दिलायें ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

श्रीमन्, मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि मुझे यह संशोधन मान्य नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १० (१) की द्वितीय पंक्ति में "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने" के बाद तथा "किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो" के मध्य निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायं :

"की तिथि से पूर्व तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

दंड, शास्ति तथा प्रक्रिया]

११---(१) यदि धारा ४ के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को ,जो चूक की जाने के समय प्रबन्धक था अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा ३ के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दंड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थ-दंड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे।

(२) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारेन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ११ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

अपवाद

१२---इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

१३--इस अधिनियम की कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी।

स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के संबंध में छूट

श्री कल्याण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि "खण्ड १३ की प्रथम पंक्ति से शब्द 'स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या' निकाल दिये जाये।" इस खंड के अन्दर अधिनियम की परिधि की चर्चा की गयी है और आपने (मंत्री जी) उन संस्थाओं को निकाल दिया है जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा संचालित है। हमें अन्तिम दो के विषय में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि रेलवे प्रशासन तथा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा चलायी गयी संस्थाओं में वेतन नियमतः मिलते हैं, कोई अपवाद हो तो हो लेकिन पूरे प्रदेश के स्थानीय निकायों द्वारा जो संस्थायें चलायी जा रहीं हैं उनमें आज भी अध्यापकों को ५० प्रतिशत तक पिछले ५-५, ६-६ महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। आपने इन संस्थाओं को इस परिधि से क्यों बाहर रखा है। मैं फिर माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इन स्थानीय निकायों को इसमें सम्मिलित नहीं किया तो वहां के अध्यापक गण मजबूर होंगे, आन्दोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे तोड़-फोड़ करेंगे और फिर अशान्ति की व्यवस्था होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी सरकार और आपकी होगी। इसके लिये न तो कोई अध्यापक और न तो कोई कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे अगर उनको इस परिधि के अन्दर न लिया। उनकी आज की जैसी स्थिति रहेगी। आज सरकार क्यों यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है और इसको विधेयक परिधि से निकाल रही है? सरकार को इन निकायों के अध्यापकों और कर्मचारियों का समय से वेतन वितरण करने की जिम्मेडदारी अपने ऊपर लेनी होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा भी एक ऐसा ही संशोधन है कि "खण्ड १३ में शब्द 'स्थानीय प्राधिकरण' निकाल दिये जायं।" आखिर क्यों आप भेद-भाव कर रहे हैं? इस समय स्थानीय निकायों द्वारा जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें अध्यापकों का वेतन समय पर नहीं मिलता हांलांकि उनको भी आपके यहां से अनुदान मिलता है। तो जो आपने अन्य विद्यालयों के लिये किया है वैसे ही स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के लिये करें। आप ने डी० आई० ओ० को पावर दे दी हैं कि अगर वह चाह तो खाता अकेले प्रबन्धक चला सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को स्थानीय निकायों के जो अध्यापक हैं उन पर भी लागू करें और इन स्थानीय निकायों के अध्यापकों को नियम ५ के अन्तर्गत मुक्ति दे दें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाओं के विरुद्ध एसी कोई शिकायतें नहीं हैं कि वहां पर अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि कहीं पर एक-आध शिकायत हो लेकिन उसकी वजह से यहां पर प्राविधान किया जाय वह बात मैं नहीं

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

मानता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि इनको इसकी परिधि में नहीं रखा जा सकता। अतः मैं माननीय सदस्य के जो संशोधन हैं उनको नहीं मानता उनका विरोध करता हूं।

श्री कल्याण सिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वहां के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को समय से वेतन मिलता है और यह भी कहा कि ऐसी शिकायत किसी ही विद्यालय की होगी। मैं माननीय मंत्री जी के इस कथन को चुनौती देता हूं कि इसका सर्वेक्षण करा लिया जाय। पचास प्रतिशत ऐसे स्कूल्स हैं जो स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे हैं और जहां के अध्यापकों को तीन महीने से लेकर छः महीने तक वेतन नहीं दिया जा रहा है आपकी सूचना गलत फहमी के आधार पर है। उन अध्यापकों को वेतन समय से नहीं मिलता है। विभाग से आपको यह गलत सूचना दी गई है। इस सूचना को करेक्ट करा लीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह कि खंड १३ की प्रथम पंक्ति से शब्द "स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३ में शब्द "स्थानीय प्राधिकरण" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४, १५ तथा १६

सद्भावना से किये गये कार्यों का लिए संरक्षण

१४—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने का अधिकार

१५—(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों, अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

१६—(१) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १९७१, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७१ तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९७१ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९७१ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १९७१

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी क्रिया समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम १६ जनवरी, १९७१ को प्रवृत्त हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १४, १५ व १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडियेट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, चार-पांच विधेयक और हैं। यदि आप आज्ञा दें, तो दो और विधेयक ले लिये जाय।

नियम ५६ तथा ५१ की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

एक सूचना नियम ५६ के अन्तर्गत प्राप्त हुई है जो अस्वीकार की गयी है। नियम ५१ के अन्तर्गत.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, ये क्या सूचनाएं हैं, हमें बतला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५६ के अन्तर्गत श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा कहा गया है कि ग्राम छेरी, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद के हरिजन व पिछड़े वर्ग के परिवारों को वहां के धनी लोगों द्वारा खदेड़ दिया गया है। इसको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, छेरी गांव के पांच सौ हरिजनों को मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया है। इसको आपने अस्वीकार यदि कर दिया है तो इसको अल्पसूचित प्रश्न में कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अल्पसूचित प्रश्न में आप इसे कर लें। उसमें जवाब दे दिया जायगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, इलाहाबाद में इसके कारण विषम परिस्थिति पैदा है। वहां के गांवों में आतंक फैला हुआ है। उन से वहां बेगार ली जाती है। जो बेगार नहीं करना चाहते हैं, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी से आप वक्तव्य दिला दें क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी से एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था, लेकिन वहां के अधिकारियों ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इसे अल्प-सूचित में न रखकर इस पर सरकार का वक्तव्य दिला दें कि वहां की वस्तुस्थिति क्या है और सरकार उनको पुनः बसाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही करने जा रही है। वे सब गांव छोड़ कर चले गये हैं। इस गम्भीर प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक वक्तव्य हो जाना चाहिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, एक हफ्ते की लगातार बारिश से कलेक्टर का बंगला, सिविल लाइन्स सभी घिरे हुये हैं। जिलाधीश इत्यादि वहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां कोई व्यवस्था नहीं है, सभी लोग परेशान हैं....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने दफा ५१ में स्वायत्त शासन मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। सारे लोग परेशान हैं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैंने नियम ५१ में एक सूचना दी थी कि आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी...

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, आप एक-एक प्रश्न को ले लें और अपना निर्णय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निर्णय दे चुका हूं। अगर कोई विशेष बात है, जो आपने लिखकर दिया है उससे आप समझते हैं कि महत्व साफ नहीं होता, तो मैं उतना कहने का आपको समय दे देता हूं।

श्री मोहनलाल कपूर—

श्रीमन्, आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों ने एक साल तक बराबर इस बात के लिए हड़ताल की कि उनका सम्बद्धीकरण कानपुर विश्वविद्यालय से कर दिया जाय। स्वास्थ्य मन्त्री जी ने यह घोषणा भी कर दी कि फाइनल ईयर को हमने सम्बद्ध कर दिया, शेष को नहीं किया। लेकिन शेष के लिए भी आश्वासन दिया था कि करायेंगे। लेकिन नहीं कराया। अब उनको निकाल दिया गया है और नये प्रवेश नहीं हो रहे हैं। बड़ी गम्भीर परिस्थिति है। तो मन्त्री जी से उस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, कानपुर में केसा के पांच हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इससे ज्यादा लोकमहत्व का और क्या प्रश्न हो सकता है...

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आज वक्तव्य तो दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आज तो कार्यसूची में ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

विविध वक्तव्य के अन्तर्गत दिया गया है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

हम लोग शायद थे नहीं। श्रीमन्, हम ने अखबारों में पढ़ा कि प्रधान मन्त्री आयी हुई थीं और मुख्य मन्त्री, बिजली मन्त्री और मन्त्रिमण्डल के सब सदस्यों ने उनसे बात की, बाढ़ के सम्बन्ध में और स्टेट की राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में बात की, और विशेष रूप से बिजली कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में बात की और अधिक वित्तीय सहायता देने की भी मांग की। तो आज के वक्तव्य में क्या इस बात की भी चर्चा है कि कोई आश्वासन इन्हें मिला कि नहीं मिला। वक्तव्य तो वही पुराना वाला २८ पेज का दे दिया होगा। प्रधान मन्त्री जी से जो बातचीत हुई उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपने उसको पढ़ लिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अभी कहां मिला है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप उस को पढ़ लें। उसके बाद आवश्यक हो तो कहें।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, प्रधान मन्त्री तो राष्ट्र की नेता हैं। उन से जो इन्होंने बात की उसे बता दें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

प्रधान मन्त्री जी से...

श्री बंशीधर पाण्डेय---

कल बता दीजियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कल बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

कल बता दीजियेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

बलिया नगरपालिका के क्षेत्र में बरसात का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर डेढ़-दो फीट तक जमा हो गया है और आवागमन रुक गया है। शहर का कूड़ा-करकट नालियों के इर्द-गिर्द बह रहा है। बहुत से कच्चे मकान गिर गये हैं। वहां पर ३-४ लाख रुपया नालियों के बनाने के वास्ते दिया गया था और उस रुपये का दुरुपयोग हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिए आप प्रश्न कर लें। यह मामला स्वायत्त शासन संबंधी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, इसमें जल्दी करें, नहीं तो वहां पर बीमारी फैल जायेगी।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों के संबंध में एक सूचना दी थी। वहां पर प्रथम से चौथे वर्ष के लिए छात्रों का प्रवेश नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में आप स्वास्थ्य मन्त्री का केवल वक्तव्य करा दें। स्थिति बड़ी गम्भीर है और विद्यार्थियों के दाखिले नहीं हो रहे हैं। प्रश्न करने में १५-२० दिन लग जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मुझे आपसे एक जानकारी करनी है। अभी मैं पर्वतीय जिलों की ओर गया था। ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जसा कि मैंने पहले भी कहा था पर्वतीय जिलों का संबंध तिब्बत से है, यह भारत की सीमाओं का संबंध है और भारत की सुरक्षा का संबंध है। श्रीमन्, दो दिन बहस हुई। मैंने समय मांगा, मगर मुझे समय नहीं मिला बोलने के लिए। मैंने एक सूचना नियम ५१ में भी दी और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी किया। अभी राजस्व मंत्री ने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन गांवों का, जो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं और उन आदमियों का, जो कि मर चुके हैं, कहीं पता नहीं है। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि, उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा नियम है जिसके अन्तर्गत हम उनको दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप चाहते हैं मैं वही बात कह रहा हूं। अगले हफ्ते राजस्व मंत्री जी का बाढ़ से संबंधी सूचना पर वक्तव्य हो जायेगा।

श्री गिरजाशंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। बाराबंकी जिले में २५–३० गांवों में पानी भर गया है और लोगों का रास्ता निकलना मुश्किल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो राजस्व मंत्री का साप्ताहिक वक्तव्य होगा उसमें ही यह भी आ जायेगा।

श्री गिरजाशंकर तिवारी—

उससे नहीं होगा, सरकार वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। हम कल ११ बजे बैठेंगे, अब हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० अगस्त, १९७१।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९३ पर।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के संबंध में दिनांक १-१-७१ से ३१-५-७१ तक जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा किये गये २५ ग्रामों के दौरे एवं उनके संबंध में प्रस्तुत किये यात्रा व भत्ता बिलों का विवरण :--

क्रमांक	ग्रामों के नाम	देय यात्रा भत्ता की धनराशि
		रु०
१	कलान	४१.८०
२	जलालाबाद	
३	खुदागंज	
४	मदनापुर	५.००
५	गड़ाखास	
६	तिलहर	
७	कटरा	
८	रौसर	
९	मिश्रीपुर	५१.००
१०	पुवायां	
११	बन्ड्रा	
१२	इशौरा	
१३	रजपुरा	६४.८०
१४	मिल्कीपुर	
१५	मगसरा	
१६	गुटइया	
१७	डकिया बुजुर्ग	
१८	कोरोकुइयां	
१९	तकिया हमीद नगर	
२०	सिधौली	४८.००
२१	कनेम	
२२	एंठापुर	
२३	सेरामऊ (द०)	
२४	कोट	
२५	रावतपुर	
	योग .. २५ ग्राम ..	२१०.६०

पी० एल० यू० बी०—ए० बी०-१४९ एल० ए०-१९७२-८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा